लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (श.५)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

vation Unit
8-5-92
nigated
15/11/83
6
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . २—९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां—कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५—१८

अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४२—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९—८०

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	८०-८१
स्थगन प्रस्ताव—	
रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी	८१—८२
विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—	
श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें	८२--९५
सभा-पटल पर रखेगये पत्र	९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
खाद्यान्नों के मूल्य	९६—९९
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—	१००—३७
विचार करने का प्रस्ताव	१००—३१
खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र	१३१—३७
पारित करने का प्रस्ताव	१३७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	१३८
दैनिक संक्षेपिका	१३९—४५
अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१४७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४	१४७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८	१६९—९७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४	१९७—२३८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौंतीसवां प्रतिवेदन	२३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल	२३९—४०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौंतीसवा प्रतिवेदन	२४०
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक	२४०—७५
विचार करने का प्रस्ताव	२४०—७३
खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १	२७३—७५

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९
फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया . . ५००
चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००
सभा का कार्य . . . ५००—०१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन . . . . ५३४—३५
देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२—५३
दैनिक संक्षेपिका . . ५५४—५९

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८—६०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५—४५
रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५—४८
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८—४९
तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९
नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९
रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०—५१
राष्ट्रपति के अथिभाषण पर प्रस्ताव ६५१—८२
दैनिक संक्षेपिका . . ६८३—९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३—७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१६, ३२०, ३२५, ३२९ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१९—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य . . . . ११४९—५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित . . . . . . ११६८—६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १० फरवरी, १९५९

२१ माघ, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

घड़ियां बनाने के कार्य में भारतीयों को प्रशिक्षण

+

†*१. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में स्विट्ज़रलैंड के घड़ी निर्माण उद्योग के जिस प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था, उससे स्विट्ज़रलैण्ड में भारतीय राष्ट्रजनों को घड़ी निर्माण-कार्य में प्रशिक्षण देने के लिये छात्रवृत्तियां देने और भारत में स्विट्ज़रलैण्ड के सहयोग से एक घड़ी निर्माण प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के लिये प्रविधिक तथा वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री रा० चं० माझी** : क्या उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है या कि वह अभी तक विचाराधीन है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : प्रस्ताव को ठुकराया तो नहीं गया है, परन्तु वह तो एक अनौपचारिक प्रस्ताव था। हम औपचारिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

†श्री रा० चं० माझी : : उस प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मोटे तौर पर स्विट्ज़रलैण्ड के प्रतिनिधिमण्डल ने घड़ी निर्माण-कार्य में भारतीयों को स्विट्ज़रलैण्ड में प्रशिक्षण देने के लिये २० छात्रवृत्तियां प्रस्तावित की हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमण्डल ने भारत में एक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है, जिसमें लगभग २५० लड़कों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

†श्री सुबोध हंसदा : भारत में स्थापित की जाने वाली उस प्रशिक्षण संस्था के लिये वे कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता देना चाहते हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह तो उसी समय ज्ञात होगा जब उनकी ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव आयेगा।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या देश के किन्हीं लोगों ने घड़ी निर्माण-कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में, यह समाचार प्रकाशित होते ही कि स्विट्ज़रलैण्ड का प्रतिनिधि-मण्डल यहां आया है, बहुत से लोगों ने इस मंत्रालय को और माननीय मंत्रियों को पत्र लिख दिये हैं, परन्तु उन पत्रों पर उसी समय विचार किया जायेगा जब कि वहां से औपचारिक प्रस्ताव आ जायेगा और उसे दोनों सरकारें स्वीकार कर लेंगी।

†श्री राम कृष्ण : क्या उस प्रतिनिधि-मण्डल ने उस संस्था के भवन निर्माण के लिये किसी स्थान का सुझाव दिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, अभी नहीं।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को ज्ञात है कि घड़ी निर्माण-कार्य में स्विट्ज़रलैण्ड एकाधिकार जमाना चाहता है ? क्या सरकार को जर्मनी या रूस से भी इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रस्ताव तो घड़ी निर्माण-कार्य में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में है। जहां तक भारत में घड़ी निर्माण-केन्द्र स्थापित करने का सम्बन्ध है, उसके बारे में सरकार को लगभग १२ प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है। उन सभी पार्टियों को इस मास के तीसरे सप्ताह में बुलाया गया है। उन में से दो तीन प्रस्थापनायें तो बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। वे स्विट्ज़रलैण्ड की प्रस्थापनायें नहीं हैं। वे प्रस्थापनायें जर्मन, जापानी और ब्रिटिश निर्माताओं से प्राप्त हुई हैं।

†श्री त्यागी : क्या भारत में अभी भी घड़ियों के आयात पर प्रतिबन्ध जारी है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां।

†श्री त्यागी : सरकार कब तक इस प्रकार का प्रतिबन्ध जारी रखने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जब तक विदेशी मुद्रा की अवस्था खराब रहेगी, तब तक यह प्रतिबन्ध लगा रहेगा ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जे न मिलने के कारण देश में बहुत सी घड़ियों की फैक्टरियां बन्द हो रही हैं जिससे बहुत से कारीगर बेकार हो जायेंगे । क्या आयात नीति बनाते समय देश में घड़ियों के छोटे पुर्जों सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक घड़ियों की मरम्मत का सम्बन्ध है, हमारे देश में यह काम प्राचीन काल से हो रहा है और देश में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी फैक्टरियां हैं जिनमें घड़ियों की मरम्मत की जाती है । अतः यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता कि यदि बाहर से पुर्जे नहीं आयेंगे तो यहां क्या हो जायेगा । ये घड़ियां देश में ही तैयार की जा रही हैं ।

केन्द्रीय डिजाइन संगठन तथा निर्माण अभिकरण

+

†*२.
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय डिजाइन संगठन तथा निर्माण अभिकरण स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थापित करने का उद्देश्य क्या है; और

(ग) क्या वे अभिरण स्थायी रूप से स्थापित किये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). देश की विकास परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों पर आने वाली लागत को कम करना अत्यन्त आवश्यक है और इसलिये सरकार इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है । निर्माण सम्बन्धी लागत को कम करने के लिए जो उपाय हैं, उनमें से एक उचित और मितव्ययी ढंग से डिजाइन तैयार करने और निर्माण कार्य करने के लिये उपयुक्त अभिकरण स्थापित करना भी है । इस सम्बन्ध में कई अन्य बातों के साथ ही साथ विचार करना पड़ेगा, जैसे कि निर्माण सामग्री का उचित उपयोग, स्टैण्डर्ड स्थापित करना, ब्यौरे तैयार करना और इमारतों की आदर्श योजनायें तैयार करना ।

(ग) फिलहाल प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि इस प्रकार के अभिकरण स्थापित करने के उपरान्त निर्माण सम्बन्धी लागत में कितने प्रतिशत बचत हो जायेगी ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : क्षमा करना मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सामन्त ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इन नये डिजाइनों को सभी सरकारी निर्माण-कार्यों में लागू किया जायेगा और अभी तक जो स्टैण्डर्ड लागू थे, उन्हें छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** अभी तो इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है । एक विशेष दल इन सभी बातों पर विचार कर रहा है ।

†**श्री रा० चं० माझी :** क्या ये अभिकरण स्थापित किये जा चुके हैं, और यदि हां, तो कितने ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** उस समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त और किसी भी विभाग में कोई भी डिजाइन बनाने वाला अभिकरण नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या केन्द्रीय डिजाइन संगठन केवल मात्र मकानों के डिजाइन बनाने के लिये ही है, अथवा क्या सरकार किसी विशेष उद्योग के कारखानों और मशीनों के सम्बन्ध में भी एक डिजाइन संगठन स्थापित करने का विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** इस समय हम कारखानों और मशीनों की स्थापना के लिये उनके डिजाइनों के लिये किसी संगठन की स्थापना के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं । वह काम मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता । मैं यह बता देना चाहता हूं कि नये डिजाइन तैयार करने, नये ब्यौरे तैयार करने और निर्माण कार्य में मितव्ययता लाने की दृष्टि से उचित सामग्री के सम्बन्ध में विचार करने और उसके उचित उपयोग करने के प्रश्न पर यह मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय और योजना आयोग निरन्तर विचार कर रहे हैं । स्वभावतः इस दिशा में हमने कार्य को गति देनी प्रारम्भ कर दी है । हमारे मंत्रालय में इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को, जिनमें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय भी सम्मिलित है, एक पत्र भेज दिया था जिसमें हमने इस बारे में अपना दृष्टि कोण स्पष्ट कर दिया था । इस बारे में हमें सभी मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं और हम स समय सभी सम्बन्धित अभिकरणों के विचार के लिये उनके पास एक पत्र भेजने ही वाले हैं । हमें आशा है कि हम इस दिशा में और भी अधिक सक्रिय कार्य कर सकेंगे । परन्तु इस समय तो सरकार इस मामले पर निरन्तर विचार कर रही है ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय उपमंत्री ने इससे पूर्व के प्रश्न के उत्तर में निर्माण सामग्री में मितव्ययता करने की ओर उल्लेख किया है । क्या सरकार ने निर्माण कार्यों में अभी तक लगायी जाने वाली विशेष प्रकार की लकड़ी के स्थान पर कोई और लकड़ी लगा कर मितव्ययता करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनायी है ।

†**श्री क० च० रेड्डी :** जी हां ।

†**श्री वें० प० नायर :** वह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्पूर्ण योजना यहां पर नहीं समझायी जा सकती ।

विद्युदंशिक तांबा[1]

\+

†*३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युदंशिक तांबे के निर्माण के सम्वन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रति वर्ष कितना विद्युदंशिक तांबा बाहिर से आयात किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Electrolytic Copper.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस समय देश में विद्युदंशिक तांबे का निर्माण नहीं हो रहा है। देश में इस समय केवल मैसर्स इण्डियन कापर कार्पोरेशन लिमिटेड, घाटशिला ही तांबे का निर्माण कर रहे हैं। परन्तु उनका तांबा बढ़िया किस्म का नहीं है और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता केवल ७,२०० टन है। इस फर्म को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ८४०० टन प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता से विद्युदंशिक तांबें के निर्माण के लिये एक लाइसेंस दिया गया था। उस फर्म ने अभी तक विद्युदंशिक तांबे के निर्माण के लिये ब्यौरे तैयार नहीं किये हैं।

(ख) १९५७ और १९५८ (जनवरी से अक्तूबर तक) में विदेशों से आयात किये गये विद्युदंशिक तांबे के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	टन	रुपये
१९५७	३२,७५०	११,४८,७९,५७६
१९५८ (अक्तूबर तक)	२५,५११	६,६१,००,०९३

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से ज्ञात होता है कि हमें बहुत अधिक कीमत अदा करनी पड़ी है। क्या अपने देश में ही सरकारी क्षेत्र में इसका निर्माण करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विद्युदंशिक तांबे के लिये विस्फोट-तांबे और तांबा अयस्क की आवश्यकता है। परन्तु जैसा कि सभा को ज्ञात है घाटशिला और खेतरी खानों के अतिरिक्त अभी तक और किसी भी स्थान से तांबा प्राप्त नहीं हो रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैसर्स इंडियन कापर कम्पनी ने इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। उन्होंने केवल विदेश से संयंत्र मंगवाने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की मांग की है और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि विद्युदंशिक तांबे के निर्माण के लिये इंडियन कापर कार्पोरेशन को एक लाइसेंस दे दिया गया है। यह लाइसेंस कब दिया गया था और क्या कार्पोरेशन ने इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये सभी बातें विवरण में बता दी गयी हैं। वास्तव में घाटशिला के लोग ताम्र अयस्क से विस्फोट तांबे का निर्माण कर रहे हैं। विद्युदंशिक तांबे के निर्माण के सम्बन्ध में उन्होंने हाल ही में अपना सुझाव दिया है। हमें आशा है कि कुछ ही महीनों में वे इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी कर लेंगे और उसके लिये विदेश से संयंत्र मंगाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या तांबे की कमी को ध्यान में रखते हुये और उसके आयात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सरकार ने केरल में, जहां कि सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध हो सकती है, एक विद्युदंशिक ताम्र शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो काय के लिये एक सुझाव है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : देश में इस समय इस सम्बन्ध में कितनी मांग है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ३५,००० टन विद्युदंशिक तांबे और २५,००० टन विस्फोट तांबे की मांग है ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि हमें प्रतिवर्ष लगभग १० करोड़ रुपयों की कीमत का विद्युदंशिक तांबा आयात करना पड़ता है । क्या इस वर्ष उतनी ही मात्रा में इसका यहीं पर उत्पादन करने के सम्बन्ध म कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : देश में इस के उत्पादन के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व देश में ताम्र अयस्क की उपलब्धि के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। इस समय खेतरी और सिक्किम के क्षेत्रों का भूतत्वीय निरीक्षण करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । यदि कहीं पर तांबे के निक्षेप मिल गये तो सरकार तांबे का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

†**श्री गोरे** : कल राष्ट्रपति ने कुछ एक तांबे की खानों की ओर निर्देश किया था । क्या उन खानों का सम्बन्ध वर्तमान खानों से है या कि नयी खानों से ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उनमें से कुछ एक तो वर्तमान घाटशिला की खाने हैं और कुछ खेतरी और सिक्किम की खाने हैं जिनमें काम आरम्भ कर दिया गया है । परन्तु कोई बड़ी खान नहीं मिली है ।

कैप्टन किनियर

+

†*४. {
श्री अ० मु० तारिक :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री वाजपेयी :
श्री साधन गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामकृष्ण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री वोडयार :
श्री महन्ती :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री हेम राज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराची के सैनिक न्यायालय द्वारा 'जलमणि' नामक एक भारतीय जहाज के कैप्टन के० आर० एम० किनियर को जहाज पर पाकिस्तानी झण्डा लगाने से इनकार करने पर जुर्माना किया गया है ;

(ख) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या यह कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियम है कि जहाज़ जिस देश के बन्दरगाह में ठहरे वहां के झण्डे को जहाज़ पर अवश्य लहराया जाये ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग). २८ दिसम्बर, १९५८ को 'जलमणि' नामक एक भारतीय जहाज़ के मास्टर कैप्टन के० आर० एम० किनियर पर कराची के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा सेना विधि अधिनियम २० (क) के अधीन १००० रुपयों का जुर्माना किया गया था । वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक विधि के अनुसार तो जब भी कोई जहाज़ किसी देश में प्रवेश करता है, उस समय उस पर उस देश का राष्ट्रीय झंडा लहराना आवश्यक है । २५ दिसम्बर, १९५८ के प्रातः जहाज़ के मास्टर ने झण्डा लहराने में इसलिये देर कर दी कि कराची बन्दरगाह की पुलिस का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहते थे कि वह (पुलिस) जहाज़ में हुई उस चोरी के बारे में पता लगाने में असफल रही जिसकी सूचना उसे पहले दी जा चुकी थी । २५ दिसम्बर को जहाज पर पाकिस्तानी झण्डा न लहराना कोई ठीक काम नहीं था । जहाज़ के मास्टर ने स्वयं भी जहाज़ में आ जाने वाली पुलिस के सामने अपनी गलती स्वीकार की थी और उसने इस बारे में खेद प्रकट करते हुये यह कहा था कि अब वह झण्डा लहराने के लिये तैयार है । परन्तु पुलिस ने उसे झण्डा लहराने की अनुमति नहीं दी और उसे गिरफ्तार करके ले गये ।

भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा है । पाकिस्तान सरकार को लिख दिया गया है कि किसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता कि किसी जहाज़ के मास्टर को उसके जहाज़ से पकड़ कर ले जाया जाये और उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाये जैसे कि किसी आम अपराधी के साथ किया जाये और पाकिस्तान सरकार का यह कहना निराधार है कि झण्डा न लहराने से दंगा हो जाने का भय था क्योंकि वह स्थान जहां वह जहाज़ ठहरा था, वहां पर साधारण जनता का आना जाना कानूनन बन्द था । पाकिस्तान सरकार से यह कहा गया है कि वह सम्बन्धित प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे ताकि व्यापारी कार्यों के लिये पाकिस्तानी बन्दरगाहों में ठहरने वाले किसी अन्य भारतीय जहाज़ के साथ वैसा व्यवहार न हो ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है कि इस शिप के कैप्टन की और उसके साथियों की बेइज्जती की गई, उनके मुंह पर तमाचे मारे गये ? अगर यह हकीकत है तो इस सिलसिले में हकूमत हिन्दुस्तान ने कोई प्रोटेस्ट किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस सवाल का अभी तो जवाब दिया गया है । यह तो हमें मालूम नहीं कि किसी को तमाचे मारे गये । लेकिन यह बयान हुआ है कि कुछ धींगामुश्ती उनके साथ हुई और वह जा कर मामूली कैदी की तरह एक रोज़ रखे गये । मैं एक यह बात भी बतला देना चाहता हूं कि जो कैप्टन इस जहाज़ का है वह एक यू० के० का नैशनल है ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित किया है और क्या उस सरकार ने भारत सरकार के विरोध पत्र का उत्तर दे दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पाकिस्तान सरकार भारत सरकार को क्या बतायेगी ? यह तो वहां के बन्दरगाह प्राधिकारियों और सिंधिया स्टीम-शिप कम्पनी के बीच का मामला था । उसका कैप्टन एक अंग्रेज़ था—इंगलैंड का राष्ट्रजन था । पाकिस्तान सरकार का ध्यान हमने इस घटना की ओर आकृष्ट किया है । वास्तव में यह एक भयंकर घटना थी, परन्तु वह तो केवल एक स्थानीय घटना थी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या कैप्टन किनियर के मामले में सफाई का वकील नियुक्त करने का कोई प्रश्न किया गया है और क्या उनके विरुद्ध आपराधिक आशय का आरोप लगाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां, एक वकील नियुक्त कर दिया गया था।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या कैप्टन के विरुद्ध आपराधिक आशय का आरोप सिद्ध हो गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सफाई का वकील ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा नियुक्त किया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सिंधिया स्टीम शिप कम्पनी ने यह सोचा कि क्योंकि केप्टन एक ब्रिटिश राष्ट्रजन है, इसलिये ब्रिटिश उच्चायोग को ही उसकी सहायता करनी चाहिये। शुरू में उसने हमारे उच्चायोग को सूचना नहीं दी। कैप्टेन के मामले में सफाई के लिये ब्रिटिश उच्चायोग ने ही वकील किया था।

भिलाई-इस्पात कारखाना

†*५. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री राधा रमण :
श्री अरविन्दु घोषाल :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई-इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में रूस के प्रधान मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). दिसम्बर, १९५८ में रूस के प्रधान मंत्री से हमारे प्रधान मंत्री को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें भिलाई-इस्पात कारखाने में हो रहे काम के विभिन्न पहलुओं की ओर निर्देश किया गया था और उस कार्य को गति देने के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे। श्री ख्रुश्चेव के पत्र के प्राप्त होने से पहले ही, कुछ एक बातों को सुधारने की ओर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया गया था। प्रधान मंत्री ने उस पत्र के उत्तर में श्री ख्रुश्चेव को सूचित कर दिया गया है कि कौन-कौन सी कार्यवाही पहले ही की जा चुकी थी और अब काम को गति देने के लिये कौन-कौन सी कार्यवाही की जायेगी ताकि यह काम लक्ष्य के अनुसार, जहां तक हो सके निर्धारित समय में ही, पूरा हो सके।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि रूसी प्रधान मंत्री ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की है कि इस कार्य में व्यर्थ में देर लग रही है और उसके कारण कार्य की गति मन्द पड़ गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वास्तव में कार्य तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, कुछ एक दिनों का विलम्ब हो गया था, परन्तु अब हमने गति बढ़ा कर कमी पूरी कर दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे :** क्या एक देश के प्रधान मंत्री का दूसरे देश के प्रधान मंत्री को इस प्रकार का परामर्श देना उचित है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह उचित है । यहां परामर्श देने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । क्योंकि यह तो भारत और रूस दोनों देशों द्वारा चलायी जा रही एक संयुक्त योजना है जिसमें रूसी प्रधान मंत्री बडी रुचि ले रहे हैं । उन्होंने मुझे एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है । उन्होंने चीफ़ इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञों से बातचीत करने के उपरान्त ही यह व्यक्तिगत पत्र लिखा है । यह पत्र केवल उचित ही नहीं था, अपितु मैं तो इस की सराहना करता हूं ।

†**श्री राधा रमण :** क्या उस पत्र में केवल विलम्ब की ही बातें लिखी हुई हैं या कि वह एक सामान्य सा पत्र था ? वह पत्र किस प्रकार का था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं उस व्यक्तिगत और गोपनीय पत्र के सम्बन्ध में और अधिक कुछ नहीं बताना चाहता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या वह विलम्ब हमारे कारण था या कि रूसी इंजीनियरों के कारण ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह विलम्ब न तो हमारे कारण से था और न ही उनके कारण । वह तो ठकेदारों के कारण से था ।

पुर्तगाली सेना द्वारा सीमा का उल्लंघन

†*६. **श्री आसर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली सेना ने २८, २९ और ३० दिसम्बर, १९५८ को बांदा, सावन्तवाड़ी, जिला रत्नगिरि के निकट भारतीय सीमा में गोली चलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना के ब्यौरे क्या हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि ये घटनायें किस किस दिन और किस किस स्थान पर हुई थीं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** ये घटनायें सामान्यतया किस ओर होती हैं ; बेलगांव की ओर, करवार की ओर अथवा रत्नगिरि की ओर ? जब वहां की पुलिस आक्रमणों की रोकथाम करने में असफल सिद्ध हो जाती है तो उस समय सेना को क्यों नहीं बुला लिया जाता ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं ने यह उत्तर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार का ध्यान प्रैस की उन रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है कि इस सीमा पर पर्याप्त मात्रा में तस्कर व्यापार चल रहा है, और यदि हां तो सरकार ने इस की रोक थाम के लिये क्या २ कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नाथ पाई** : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत अरसे से पुर्तगाली नाविक सेना की टुकड़ियां दमन के निकट भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीयों से जान बूझ कर छेड़खानी कर रही हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

अम्बर चर्खे

†*७. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में वर्ष १९५८-५९ में अब तक कितने अम्बर चर्खे दिये गये ;

(ख) कितने चर्खों पर काम हो रहा है ;

(ग) उन से कुल कितने धागे का उत्पादन किया गया ; और

(घ) क्या बुनकरों ने इस धागे को प्रयोग करने से इन्कार कर दिया है जिस के परिणामस्वरूप यह बिना बिका पड़ा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह**: (क) मैसूर राज्य में वर्ष १९५८-५९ में कातने वालों को दिये गये अम्बर चर्खों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष १९५८-५९ में ३१ दिसम्बर, १९५८ तक मैसूर राज्य में २,५५७ अम्बर चर्खे दिये गये ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५८ तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार १९५६-५७ में कार्यक्रम के प्रारम्भ होने तक से मैसूर राज्य में कातने वालों को ११,३९३ अम्बर चर्खे दिये जा चुके हैं । यह अनुमान है कि दिये गये चर्खों में से औसतन १० प्रतिशत पर काम नहीं होता । अतः ३१ दिसम्बर, १९५८ को मसूर राज्य में स्वतंत्र रूप से कताई करने वालों द्वारा चलाये जा रहे अम्बर चर्खों की अनुमानित संख्या १०,२५४ होगी । इस के अतिरिक्त मैसूर में स्थित परिश्रमालयों और विद्यालयों में सिखाने की सहायता के रूप में २,००० चर्खे दिये गये हैं ।

(ग) अब तक प्राप्त अपूर्ण जानकारी के अनुसार भाग (ख) में उल्लिखित चर्खों से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक मैसूर राज्य में २ लाख ४४ हजार पौंड धागे का उपादन किया गया ।

(घ) जी, नहीं ।

†**श्री केशव** : इस वितरण में कुल कितनी लागत आयी और क्या उन व्यक्तियों से, जिन को ये चर्खे दिये गये हैं, कुछ धन वसूल किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विभिन्न राज्यों के लिये अम्बर चर्खे की ये प्रतिमान योजनायें हैं । उसी योजना के अनुसार वितरण लागत का हिसाब लगाया जाता है । यदि माननीय सदस्य की किसी विशेष केन्द्र में रुचि हो तो मैं उस का हिसाब बता सकता हूं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या केन्द्रीय सरकार मैसूर को ७,००० चर्खों के अतिरिक्त और अधिक अम्बर चर्खे दे रही है और इस चर्खे से एक श्रमिक की दैनिक आय क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अम्बर चर्खे का यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और लगभग १ लाख चर्खे प्रति वर्ष से यह प्रति वर्ष १,१५,००० चर्खे होगी । इस योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा है। जहां तक नये अम्बर चर्खों का सम्बन्ध है, आशा है कि चालू वर्ष में लक्ष्य पूरा हो जायेगा। मजूरी बारह आने से सवा रुपया प्रति दिन तक है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या अम्बर चर्खे बिना पैसे के दिये जाते हैं? यदि नहीं, तो प्रत्येक से कितनी लागत वसूल की जाती है?

†**श्री मनुभाई शाह** : विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं को अम्बर चर्खे अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। अधिकांशतः ये ५० प्रतिशत अनुदान और ५० प्रतिशत ऋण के आधार पर दिये जाते हैं। कभी कभी यह पूर्ण ऋण के आधार पर दिये जाते हैं और इस के एक भाग का अनुदान के रूप में अपलेखन कर दिया जाता है।

†**श्री तिम्मय्या** : इन चर्खों में प्रशिक्षण देने के लिये कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : छोटे और बड़े लगभग १,७०० केन्द्र।

†**श्री सोनावने** : मंत्री महोदय ने कहा है कि एक व्यक्ति बारह आने से सवा रुपया प्रति दिन तक कमा सकता है। यह राशि कमाने के लिये इस चर्खे पर कितने घंटे काम करना पड़ता है?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में यह पूर्ण रूप से पूर्णकालिक काम नहीं है जहां कि एक श्रमिक आठ घंटे काम करता है। वास्तव में यह अंशकालिक काम है। परन्तु परिश्रमालयों में उन को आठ घंटे काम करने को कहा जाता है जिस में से पांच छः घंटे अम्बर चर्खों पर काम करना पड़ता है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या अम्बर चर्खे के चलाने और इस पर काम करने में किसी कठिनाई के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो नये अम्बर चर्खे में क्या सुधार किये गये हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : आयोग और सरकार द्वारा मशीन को सुधारने के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं और इस ही लिये, जैसाकि सभा को मालूम है, त्यागी समिति नियुक्त की गयी है और यह सब नये और सुधारे हुए अम्बर चर्खों की देखभाल करेगी। देश में आविष्कृत किये जाने वाले नये चर्खों के बारे में खादी आयोग विचार कर रहा है। कम श्रम से अधिक उत्पादन करने के लिये अम्बर चर्खे में बहुत सुधार किये जा रहे हैं।

भोपाल राजधानी परियोजना

†*८. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **योजना** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल राजधानी परियोजना के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार की प्रस्थापनाओं की जांच करने के लिये नियुक्त कर्मचारी दल ने मामले की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** इस अनुचित देरी के क्या कारण हैं? इस परियोजना पर पिछले दो वर्षों से विचार किया जा रहा है और इस विलम्ब के कारण बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है । सरकार का इस योजना को कब तक पूरी करने का इरादा है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, समिति को पिछले दिसम्बर, के मध्य में नियुक्त किया गया था । कुछ कारणों से समिति की बैठकों में कुछ देरी हो गई है परन्तु हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस की बैठक जल्दी हो ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** हाल ही में चंडीगढ़ में डाक तथा तार विभाग के कुछ क्वार्टर बनाने का काम आरम्भ किया गया । क्या सरकार भोपाल की राजधानी परियोजना को भी सहायता देने के लिये ऐसा कोई कार्य करने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

†श्री **श्या० नं० मिश्र :** जो समिति नियुक्त की गई है, वह इन सब विषयों पर विचार कर सकती है ।

सेठ गोविन्द दास : जो कमेटी इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई है क्या उस से यह भी कहा गया है कि चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को बनाने के समय जो सहायता केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा और पंजाब को दी थी, उस का भी ख्याल रक्खा जाय भोपाल को राजधानी बनाने के सम्बन्ध में ?

श्री श्या० नं० मिश्र : कमेटी के जो टर्म्स ग्राफ़ रिफरेन्स हैं उन में तो यह बात नहीं दी गई है, लेकिन कमेटी उन सारी बातों पर गौर करेगी जिन पर उसे गौर करना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि भोपाल के बहुत से काम रुक गये हैं क्योंकि इस कमेटी के फैसलों में देर हो रही है और उस के कामों के रुकने की वजह से नुक्सान हो रहा है और ऐसी हालत में क्या यह आशा की जा सकती है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी देगी जिस से कि वहां काम आगे बढ़ाया जा सके ?

श्री श्या० नं० मिश्र : माननीय सदस्य की यह मान्यता ठीक नहीं मालूम होती है क्योंकि हम प्रतिवर्ष जो एनुअल प्लैन बनती है उस में इस के लिये प्राविजन करते गये हैं । इस साल भी एनुअल प्लैन में इस का प्राविजन किया गया है ।

जाली पारपत्र

+

†*९. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दामानी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर : }

क्या प्रधान मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली पारपत्रों के बारे में जांच पड़ताल पूरी की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादतअली खां)**:(क) और (ख) . जून, १९५७ में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल पूरी की जा चुकी है परन्तु यह पता लगा है कि इस मामले में अन्य व्यक्ति भी अन्तर्ग्रस्त हैं। उन के बारे में जांच की जा रही है और उस के मार्च, १९५९ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या यह सच है कि यह गिरोह कुछ विदेशी विमान कम्पनियों की सहायता से अपना कार्य कर रहा है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

†**श्री तंगामणि :** पिछले सत्र में जब प्रश्न का उत्तर दिया गया था, तब भी यह सुझाव दिया गया था कि यह गिरोह कुछ विदेशी विमान कम्पनियों की सहायता से कार्य कर रहा है और नाम भी बतलाये गये थे। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इस विषय पर ध्यान दिया है; और यदि हां, तो उस को क्या सूचना मिली है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं बता चुका हूं कि यदि ऐसा सुझाव भी दिया भी गया हो, हमें अभी तक जांच का प्रतिवेदन नहीं मिला है। जांच हो रही है और उन का कहना है कि जांच प्रगति पर है हम उनसे इसके लिये अपूर्ण भाग के लिये अपूर्ण जानकारी देने के लिये नहीं कह सकते ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता :** क्या यह सच है कि ३ $^1/_2$ वर्ष पहले पंजाब में कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया था और वे अब भी मुअत्तिल हैं ? न ही उन को पुनः नियुक्त किया गया है और न ही उन को दण्ड दिया गया है। उन में से लगभग आधे दर्जन व्यक्ति ऐसे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसी और सम्बन्ध में, इस मामले में नहीं ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता :** इस ही जाली पारपत्र उद्योग के सिलसिले में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस को उद्योग बताने में माननीय सदस्य ठीक ही हैं। यह एक उद्योग बन गया है। विभिन्न कारणों से, पंजाब में यह एक उद्योग हो गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस को प्रोत्साहन देने में किन्हीं विमान समवायों का हाथ है या नहीं। परन्तु विमान समवाय यातायात प्राप्त करने में अभिरुचित हैं और इसी लिये व्यक्ति उन के पास आते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि चीज जाली है या नहीं। और बहुधा तो ये व्यक्ति समूचा विमान ही किराये पर ले लेते हैं, अर्थात् जो दल, संस्थायें या कम्पनियां विमान को किराये पर लेती हैं वे उन व्यक्तियों को, जो वहां काम की तलाश में अथवा संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य किसी जगह काम के लिये जाते हैं और जिन को बहुधा ये जाली पारपत्र मिल जाते हैं, विमान की सीटें बेच दी जाती हैं। यह विस्तृत चीज है और मैं समझता हूं कि हम ने व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है ऐसे व्यक्तियों को सजा दी गई हैं, और ऐसे व्यक्तियों को इंगलैंड अथवा पैरिस में उतरने नहीं दिया गया है और उन को वापस लाया गया है। समय समय पर ये सब बातें हो रही हैं। । परन्तु क्यों कि यह प्रश्न एक विशेष घटना से सम्बन्धित है जिस की बहुत सी शाखायें हैं और इस ही लिये यहां और विदेशों में जांच करने के लिये इस में कुछ समय लग गया है ।

†**श्री जाधव :** इस के लिये विदेशी मुद्रा किस प्रकार उपलब्ध की जाती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विदेशी मुद्रा ? वास्तव में, वे अपने आप को विदेशी मुद्रा कमाने वाले समझते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जाली पारपत्र की घटनाओं को कम करने के लिये क्या सरकार ने कोई निरोधात्मक कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने जाली पारपत्रों की घटनाओं को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की है। सरकार ऐसा करने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

हथकरघा उद्योग के लिये रंग

+

†*१२. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में हुई निर्माताओं, पुराने आयातकर्ताओं और उपभोक्ताओं की एक बैठक में रंगों के व्यापार के लिये एक उचित व्यापार रीति संहिता बनाने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उप-समिति ने कोई सिफारिशें की हैं; और

(ग) हथकरघा उद्योग के हित में रंगों के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) सुलभ मुद्रा क्षेत्र से पुराने आयात करने वालों का आयात अभ्यंश १२$^1/_2$ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत, हथकरघा माल का निर्यात करने वाली हथकरघा सहकारी समितियां अपने निर्यात को नौतल-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य के १० प्रतिशत तक रंगों, रसायनों और बहुत महीन प्रकार के धागे के लिये विशेष आयात अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने की पात्र हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : इस १० प्रतिशत से लाभ उठा कर हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा कुल कितनी मात्रा में रंग का आयात किया गया ?

†**श्री कानूनगो** : ये आंकड़े अनुज्ञप्ति की इस अवधि के अन्त में उपलब्ध होंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग के लिये अपेक्षित रंगों और रसायनों को एकाधिकारी आयात-कर्ता ऊंचे मूल्य पर बेचते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। नवम्बर में मूल्य कुछ बढ़े हैं। परन्तु उन में काफी कमी हो गई है।

†**श्री वें० प० नायर** : वर्ष १९५० और १९५१ को आधार मान कर क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि वस्त्र रसायनों, विशेषरूप से रंगों के मूल्य देशनांक क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं सब नहीं, कुछ रसायनों के मूल्य बता सकता हूं। नवम्बर और जनवरी के बीच उन में पर्याप्त कमी हुई है। उदाहरणतः 'वाटर प्रूफ' 'येलो' नवम्बर में ९५ प्वाइंट पर थे। ये घट कर ५० प्वांइट पर आ गये। साल्युबिल्स, ग्रीन ५५ प्वाइंट पर चले गये। इस में कुछ कमी नहीं हुई। 'नफ्था ग्रुप' ६९६–६९७ था। 'बेस येलो' ९५० आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर :** ये ६६६–६६७ आंकड़े उन्होंने कितनी मात्रा के दिये हैं। उस से हमें क्या पता लग सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्भवतः माननीय सदस्य ने विस्तृत प्रश्न नहीं पूछा ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं ने विस्तृत प्रश्न पूछा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर इस का उत्तर दे दिया गया है ।

†**श्री रंगा :** क्या इन रंगों को विभिन्न राज्यों में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** शीर्षस्थ सहकारी समितियां इसको प्राप्त कर सकती हैं परन्तु निर्यात प्रोत्साहन केवल ऐसी ही शीर्षस्थ समितियों को उपलब्ध है जो निर्यात करती हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

+

†*१३. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री गोपालन : }

क्या **योजना** मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन बढ़ाने के लिये केन्द्र और राज्यों द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के मेरे उत्तर में निर्दिष्ट कागजात तैयार किये जा रहे हैं और उन को शीघ्र ही संसद् में रख दिया जायेगा । १९५९–६० में संसाधन स्थिति के बारे में राज्य सरकारों से अग्रेतर बातचीत की गई है। इस बातचीत के परिणामों को भी कागजात में सम्मिलित कर दिया जायेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या कुछ राज्य सरकारों ने एक 'विकास ऋण योजना' आरम्भ की है और यदि हां, तो ये राज्य कौन कौन से हैं और क्या योजना सफल हो गयी है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने किस योजना का निर्देश किया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ राज्यों ने एक 'विकास ऋण योजना' आरम्भ की है । मैं जानना चाहता था कि वे कौन कौन से राज्य हैं और क्या योजना सफल हुई है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** विकास योजनायें ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि वे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने विकास कार्यों के लिये ऋण जारी किये हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पृथक् सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : क्या सब कारखानों को कारखाना अधिनियम और भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाकर और भविष्य निधि की प्रतिशतता ६१/४ से ८१/३ बढ़ा कर संसाधन बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : यह तो एक सुझाव है।

†अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

†श्री तंगामणि : क्या मैं इस की व्याख्या करूं।

†अध्यक्ष महोदय : व्याख्या करने का कोई प्रश्न नहीं है। हम सब समझते हैं कि यह एक सुझाव है। इसमें और अधिक किस व्याख्या की जरूरत है। माननीय सदस्य कोई और प्रश्न सोच लें मैं उन का नाम पुकारूंगा।

†श्री हेम बरुआ : क्या किसी राज्य ने सरकार को सूचित किया है कि करारोपण की अब कोई गुंजाइश नहीं रही है, अतः बाकी कालावधि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन ढूंढ़ने में वे असमर्थ हैं ? यदि हां, तो वे राज्य कौन कौन से हैं ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : हमें किसी भी राज्य से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। वास्तव में, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह पता चलता है कि वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि संसाधन स्थिति में सुधार होने की आशा है।

†श्री तंगामणि : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने, जिसकी बैठक पिछले नवम्बर में हुई थी, इस प्रश्न पर विचार किया था और संसाधनों के बारे में कोई सुझाव दिये थे ? यदि हां, तो क्या सुझाव दिये थे ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : राष्ट्रीय विकास परिषद् के सुझाव हमने सभा पटल पर रख दिये हैं। बहुत सी बातों पर विचार किया गया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गये।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या सरकार ने योजना की सफलता के लिये पूंजीपतियों से अपने वार्षिक लाभ का कुछ अंश सरकार को ऋण के रूप में देने की अपील की है; और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह भी एक सुझाव है।

†श्री स० म० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई अपील की गयी है या नहीं, क्योंकि, मुझे याद है कि माननीय प्रधान मंत्री ने उनसे अपने लाभ में से सरकार को कुछ देने की प्रार्थना की थी।

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अधिकांशतः यह एक सुझाव मात्र है। उपमंत्री महोदय को पता होगा कि उन्होंने क्या अपील की है। ऐसी कोई नहीं है।

†श्री पाणिग्रही : क्या राज्य सरकारों ने १९५९-६० के लिये अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था करने की अपनी क्षमता की सूचना दी है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : हम ने राज्य सरकारों से उनकी वार्षिक योजनाओं पर विचार किया है और राज्य सरकारें अपने संसाधन बढ़ा रही हैं। परन्तु आयव्ययक के पेश किये जाने से पूर्व पूर्णरूप से हम कुछ नहीं कह सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी :** यह बात ध्यान में रखते हुए कि जब कि आन्ध्र सरकार से अतिरिक्त कराधान द्वारा ११ करोड़ रुपये बढ़ाने को कहा गया था तो उन्होंने १७ करोड़ रुपये बढ़ा दिये, क्या योजना आयोग द्वितीय योजना काल के आने वाले दो वर्षों के लिये योजना व्यय में वृद्धि कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है ।

गैर-सरकारी उद्योगों में विनियोजन

+

†*१४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हाल्दर : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनके द्वारा गैर-सरकारी उद्योगों में धन लगाये जाने के बारे में कोई निर्देश अथवा परामर्श दिये हैं; और

(ख) किस प्रकार का परामर्श दिया गया है और क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि "नियमानुसार गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण सहायता की व्यवस्था औद्योगिक वित्त निगम अथवा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के द्वारा की जाये" और "यदि किसी आपवादिक मामले में राज्य सरकार यह सोचती है कि सीधी सहायता अत्यावश्यक है तो उस परिस्थिति में योजना आयोग को बताये बिना किसी प्रकार की वचनबद्धता न की जाये" ।

कुछ मामलों में इस परामर्श का अनुसरण नहीं किया गया है और सम्बन्धित राज्य सरकारों से विषय पर बातचीत हो रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस विषय पर केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार और राजस्थान सरकार से कोई बातचीत हुई है; और यदि हां, तो उन्होंने क्या विचार प्रकट किये और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** वास्तव में हर ऐसे मामले में जहां ऐसे प्रस्ताव किये गये हैं, सम्बन्धित राज्य सरकार और योजना आयोग में बातचीत हुई है । जहां तक इन राज्य सरकारों, विशेषतः केरल, के विचारों का सम्बन्ध है, उनका विचार था कि इस प्रयोजन के लिये एक इकट्ठी व्यवस्था की जाये । योजना आयोग का विचार है कि यदि किसी विशेष मामले में, आपवादिक परिस्थितियों में राज्य विनियोजन करना पड़े तो उसको योजना आयोग को निर्देशित किया जाये । इस आधार पर हम केरल सरकार के कुछ प्रस्तावों और राजस्थान सरकार के भी कुछ प्रस्तावों पर सहमत हो गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनमें योजना आयोग की सहमति के बिना विनियोजन किया गया है और कितना धन लगाया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** इसके लिये एक पृथक प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** गैर-सरकारी समवायों में धन लगाते समय क्या राज्य सरकारों ने योजना आयोग की सहमति ले ली है; और यदि नहीं, तो उन राज्यों को धन का आवंटन करते समय योजना आयोग क्या कार्यवाही करेगा ? ऐसे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने ऐसा किया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह एक बहुत विस्तृत प्रश्न है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितनी राज्य सरकारों ने ऐसा निर्देश दिया है । परन्तु योजना आयोग द्वारा उनका अनुमोदन न किये जाने के कारण मैं अपने उत्तर में बतला चुका हूं । मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन मामलों में योजना आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले विनियोजनों का अनुमोदन नहीं किया और इस पर भी राज्य सरकारों ने धन लगाया, उन मामलों में योजना आयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये धन दे रहा है या नहीं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** ऐसे कुछ मामलों में जहां राज्य सरकारों ने योजना आयोग की पूर्व अनुमति बिना धन लगाया, जांच की जा रही है । कुछ और ऐसे मामलों में जिनमें इस सम्बन्ध में राज्यों पर कुछ ज़ोर नहीं डाला गया था और राज्य सरकारें धन लगाने का वचन बहुत पहले—लगभग ४ वर्ष पहले—दे चुकी थीं, योजना आयोग को अपनी अनुमति देनी पड़ी ।

†**श्री दासप्पा :** क्या यह सच नहीं है कि बहुत से उद्योगपति कई कारणों से, अर्थात्, धन लगाने वाली जनता में विश्वास उत्पन्न करने और राज्य सरकार से कुछ सुविधायें और रियायतें प्राप्त करने के लिये, राज्य सरकारों से पूंजी विनियोजित करने की मांग कर रहे हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** वास्तव में केरल सरकार का विचार यह है—योजना आयोग का परामर्श न्यायोचित साधारण पूंजी में धन लगाने से सम्बन्धित न था । परन्तु योजना आयोग का विचार है कि किसी भी प्रकार की पूंजी विनियोजन के लिये योजना आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाये ।

†**श्री विमल घोष :** उपमंत्री महोदय के उत्तर से मैं यह समझता हूं कि साधारण अंश खरीदने में कोई रुकावट नहीं है यदि योजना आयोग की पूर्व अनुमति ले ली गई हो ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** सिद्धान्त रूप से यह बात कही जा सकती है ।

†**श्री वें० प० नायर :** किस नियम के अनुसार योजना आयोग को यह अधिकार मिले हुए हैं कि वह राज्यों को अपने धन को विशेष योजनाओं में लगाने के लिये जिनमें वे धन लगाना चाहते हैं, रोकने के आदेश जारी कर सकता है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** ऐसा कोई नियम नहीं है परन्तु योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था के हित में यह ठीक जंचता है ।

†**श्री वें० प० नायर :** यह स्पष्ट है कि ....

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि ऐसा कोई नियम है क्या; उत्तर यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं है । मैं किसी तर्क की अनुमति नहीं देता ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों में, जैसे केरल में, औद्योगिक विकास राज्य द्वारा धन विनियोजित किये जाने के द्वारा ही सम्भव हो सका है ? योजना आयोग ऐसे राज्यों में ऐसे ऐतिहासिक विकास के लिये क्यों आपत्ति करता है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जहां तक इतिहास का सम्बन्ध है, किसी को इस प्रक्रम पर उस पर सोचने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु योजना आयोग के विचार कुछ उचित कारणों पर आधारित हैं । एक कारण यह है कि राज्य सरकारों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिनसे परियोजनाओं की टैक्निकल जांच हो सके और यह बहुत सम्भव है कि उनको हानि उठानी पड़े । दूसरा कारण यह है कि इस प्रयोजन के लिये वित्तीय संस्थायें स्थापित हैं जिनके द्वारा यह सहायता दी जा सकती है । तीसरा कारण यह है कि इस समय हमारे पास जो योजना संसाधन है उनका अन्यथा उपयोग किया जा सकता है ।

†**श्री रंगा** : क्या राज्य सरकारों और भारत सरकार में यह सामान्य नीति नहीं है कि राज्य वित्त निगम के संसाधनों की पर्याप्तता तक, राज्य सरकार स्थानीय उपक्रमों को सीधे राज्य के संसाधनों से सहायता न लेकर इन निगमों से सहायता लेने के लिये प्रोत्साहन देने का भरसक प्रयत्न करें ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यही मैंने कहा है । यह वित्तीय संस्थाओं के द्वारा हो ।

†**श्री कोडियान** : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय ने कहा है कि योजना आयोग इस सम्बन्ध में केरल सरकार के कुछ प्रस्तावों से सहमत हो गया है । वे प्रस्ताव क्या हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : क्योंकि मूल प्रश्न केरल के विषय में नहीं था, इस समय मेरे पास वे सब योजनायें नहीं हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि वे राज्य सरकारें जिन्हों ने इस विषय में योजना आयोग के परामर्श पर ध्यान नहीं दिया, वे हैं जहां आद्योगिक विकास पिछले छः सात वर्षों में नगण्य रहा । इन राज्यों में उद्योगों के लिये योजना आयोग और क्या उत्प्रेरणा देगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : आसाम के मामले में हम ने एक अपवाद माना है क्योंकि औद्योगिक रूप से यह एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है । परन्तु माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि यदि इस प्रकार की चीजें बिना ठीक जांच के छोड़ दी जायें तो विभिन्न राज्यों में आपस में अनावश्यक स्पर्धा हो जायेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप इस हद तक राज्य सरकारों पर ही विश्वास क्यों नहीं करते ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की इस खबर की ओर आकृष्ट हुआ है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के लिये अलग किया गया रुपया एक पूंजीपति---बिरला--को दे दिया गया है, और यदि हां, तो क्या यह कार्य सरकार की हिदायतों और इच्छाओं के अनुकूल है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : यह बात सच नहीं है । पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक का कारखाना स्थापित करने के लिये ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया था जो किसी और को दिया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना

+

*१५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ का कारखाना खोलने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : पिछले दो महीनों में इस बारे में कोई नयी बात नहीं हुई है लेकिन मार्च या अप्रैल, १९५९ तक कुछ निश्चित प्रस्ताव मिलने की आशा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो बातचीत चल रही है वह किस कम्पनी के साथ या किस संस्था के साथ चल रही है या ये जो प्रोपोज़ल्स हैं ये किन के पास से आई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : वैसे तो तीन चार कम्पनियों से बातचीत चल रही है और उन की टीम भी आ गई है और हम आशा करते हैं कि अगले महीने में या दो एक महीने में उस की दरख्वास्तें आ जायेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन संस्थाओं के साथ बातचीत चल रही है वे इस देश की हैं या बाहर की, अगर बाहर की हैं तो क्या उस का विवरण दिया जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक टैक्नीकल कोलेबोरेशन और फाइनेंशल कोलेबोरेशन का ताल्लुक है वे फौरेन कम्पनीज़ हैं और जहां तक एंटरप्राइज़ को लगाने का सम्बन्ध है वह हिन्दुस्तानी कम्पनी है ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : क्या यह सच है कि इस कारखाने के लिये लगभग १०० एकड़ भूमि ली जा चुकी है ? क्या यह भी सच है कि यह भूमि लेते समय काश्तकारों की खड़ी फसल नष्ट कर दी गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । अभी यह अवस्था नहीं आई है । मेरा ख्याल है माननीय सदस्य किसी अन्य कारखाने का जिक्र कर रहे हैं । यह फैक्टरी तो अब भी विचाराधीन अवस्था में है ।

श्री सिंहासन सिंह : यह जो कारखाना स्थापित होगा यह पब्लिक सैक्टर में होगा या प्राइवेट सैक्टर में और अगर यह प्राइवेट सैक्टर में होगा तो यह किसे मिल रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : प्राइवेट सैक्टर की भी बात हो रही है और किस को यह दिया जायगा, अभी तय नहीं किया गया तथा कौन कोलेबोरेट करेगा वह भी तय नहीं किया गया है। जब प्रोपोज़ल्स आयेंगी तब यह सारी चीज़ तय की जायगी ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : इस फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ होने पर क्या देश की समस्त आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह आशा है कि इस फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ होने के बाद देश के पास आवश्यकता से अधिक माल हो जायेगा । यह प्रति वर्ष २०,००० से ३०,००० टन कृत्रिम रबड़ तैयार करने की क्षमता रखता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन चार कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उन के नाम क्या हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मैसर्स गुडयीर, युनिअन कारबाइड, फायरस्टोन और डनलाप।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्योंकि इस संयंत्र के बारे में लगभग तीन वर्षों से बातचीत चल रही है, इसलिये यह धारणा बनती जा रही है कि कहीं यह कागज़ों की फाइलों में ही न रह जाय। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई विशेष कदम उठाये जायेंगे जिस से यह संयंत्र जल्दी से जल्दी लगाया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो प्रोपोज़ल्स आ रहे हैं वे काफी प्रेक्टिकल हैं और हम समझते हैं कि इस साल में उस का पूरा नक्शा तय हो जायगा और उस का प्रिलिमिनरी काम काज भी शुरू कर दिया जायगा।

दण्डकारण्य योजना

†*१६. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य योजना के लिये कुल कितने डाक्टरों, अध्यापकों और अन्य पेशे वाले लोगों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगी ; और

(ग) इन की भर्ती के लिये क्या सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) वर्तमान अवस्था में अन्तिम रूप से इस बात का अनुमान लगा लेना सम्भव नहीं है कि कितने डाक्टरों, अध्यापकों और अन्य पेशे वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र में कितने विस्थापित व्यक्ति बसते हैं और स्थानीय आबादी की आवश्यकतायें कितनी हैं। फौरन ही जिन डाक्टरों की आवश्यकता है वह हैं एक तो चीफ मेडिकल आफिसर और ७ मेडिकल आफिसर।

(ख) और (ग). इन की भर्ती सरकारी विभागों के सामान्य नियमों के अनुसार ही की जाती है। फिर भी, उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, इरादा यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार के, विशेष रूप से पुनर्वास विभाग के, ऐसे यथासंभव अधिक से अधिक अधिकारियों को, जो दण्डकारण्य में काम करने को राजी हों, खपा लिया जाय। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य-सेवाओं से भी भर्ती की जा सकेगी। इन सभी स्रोतों से भर्ती का काम पिछले कुछ समय से चालू है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जायगा कि विभिन्न पेशे वाले इन लोगों में से आम तौर पर उन लोगों को ही भर्ती किया जाय जो उन शरणार्थियों की भाषा ही बोलते हों जो वहां जाने वाले हों ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जहां तक डाक्टरों और अध्यापकों की नियुक्तियों का प्रश्न है, बंगला-भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि इन पदों में से कुछ प्रतिशत पद उड़ीसा और मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिये सुरक्षित कर दिये जायें ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : अपने मूल-उत्तर में मैं यह बता चुका हूं कि यह भर्ती मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सेवाओं में से भी की जाती है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यदि वहां भेजा गया तो सामंजस्य स्थापित करने के स्थान पर वे वहां ठीक उस का उल्टा कार्य करेंगे, क्या सरकार ने दण्डकारण्य के निवासियों के बीच सामंजस्य बनाये रखने की कोई योजना बनाई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या इस सम्बन्ध में उन्हें पुनर्वास विभाग से मांगने के स्थान पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया जायगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : उन्हें पुनर्वास विभाग से नहीं मांगा जाता । हम राज्य सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वह हमें ३ या ४ चलते-फिरते चिकित्सा-दल दे दे । वह हमें तीन दलों के लिये डाक्टर देने को राजी हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यदि कलकत्ते के समाचार-पत्रों द्वारा व्यक्त की गई यह शंका सच हो कि पंजाब सरकार के दंडकारण्य परियोजना पर अपने दावे पर जोर देने के कारण दण्डकारण्य में बंगाली-विरोधी भावना उत्पन्न होती जा रही है, तो स्थिति को सामान्य रूप देने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह बात तो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : अब तक वहां कितने डाक्टर और अध्यापक गये हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं बता चुका हूं कि ७ चलते-फिरते दलों की आवश्यकता है । चीफ मेडिकल आफिसर नियुक्त हो चुका है ।

सौरभित रसायन[1]

+

†*१७. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सौरभित रसायनों के उत्पादन के विषय में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १**].

†**श्री वें० प० नायर** : देश को कुल जितने सौरभित रसायन की आश्यकता है उस का कितने प्रतिशत अब देश में बनता है और कितने का आयात किया जाता है ?

---

†मल अंग्रेजी में

[1]Aromatic Chemicals.

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक प्रतिशत परिमाण का सम्बन्ध है, मैन्थोल, थाइमोल और कैम्फर को छोड़ कर लगभग ३० प्रतिशत देश में ही बनता है। हम कृत्रिम कैम्फर, थाइमोल और मैन्थोल के उत्पादन के लिये कारखानों की स्थापना के प्रयास भी कर रहे हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं केवल मैन्थोल, थाइमोल और कैम्फर की ही नहीं वरन् देश की सौरभित रसायनों की वार्षिक आवश्यकता और देश में होने वाले उत्पादन के आंकड़े पूछ रहा था।

†**श्री मनुभाई शाह** : १९५७ में औसतन १.९० करोड़ रुपये का आयात हुआ था। अब विदेशी मुद्राओं संबंधी कठिनाइयों के कारण इसे घटा कर चालू वर्ष में एक करोड़ रुपये का कर दिया गया है। कृत्रिम थाइमोल, मैन्थोल और कैम्फर का उत्पादन आरम्भ हो जाने पर यह और भी कम हो जायेगा और मुश्किल से २० से ३० लाख रुपयों तक का रह जायेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : विवरण से यह पता चलता है कि आयोनोन के उत्पादन में भारी कमी हो गयी है। मैं इस के कारण जानना चाहता हूं। मैं उन सौरभित रसायनों के संबंध में भी स्थिति जानना चाहता हूं जो भारत में अगिया घास[1] के तेल से बनाये जाते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : इन की पूरी सूची दे दी गयी है। यह सब कुछ स्थानीय निर्माताओं के यहां से होने वाली निकासी पर निर्भर करता है। यह बात नहीं है कि किसी कारखाने की क्षमता कम हो गयी है। जहां तक शेष सौरभित रसायन उद्योगों का प्रश्न है, यहां प्रत्येक छोटे-बड़े कारखाने के बारे में बता सकना संभव नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसे उत्पादनों को लेना है जो बड़े हैं और उस प्रकार के हैं जिन का मैं ने उल्लेख किया है।

†**श्री वें० प० नायर** : जब बहुत ही छोटे उद्योगों को सौरभित रसायनों की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें साधारण मूल्य से ८०० से १००० प्रतिशत तक अधिक कीमत देनी पड़ती है। इस बात की व्यवस्था के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि छोटे उद्योगों को जिन सौरभित रसायनों की आवश्यकता पड़े वह उन्हें उचित मूल्य पर मिल जायं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं बता चुका हूं कि दो प्रकार की कार्यवाही की गयी है। एक तो यह कि जिन विभिन्न सौरभित रसायनों का छोटे पैमाने पर नियमित रूप से बाकायदा उत्पादन लाभप्रद अथवा वांछनीय नहीं है उन के आयात की अनुमति दे दी जाये। दूसरी कार्यवाही यह है कि जिन सौरभित रसायनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो उन के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया जाय।

†**श्री तंगामणि** : क्या १९५८ की तुलना में इस वर्ष सौरभित रसायनों के उत्पादन में कुछ वृद्धि होने की संभावना है और क्या छोटे पैमाने वाले उद्योगों को विशेष रूप से दक्षिण के निर्माताओं को उन के वितरण के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। हम छोटे पैमाने वाले उद्योगों के विकास को पूरा समर्थन दे रहे हैं और ऐसे कई लोगों को जो आसवन[2] द्वारा अथवा अन्य प्रकार से यह सौरभित रसायन निकालना चाहते हैं उन्हें प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से इन्हें निकालने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन के वितरण में भी छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Lemon-grass-oil.

[2] Distillation.

बीड़ी-मजदूरों की न्यूनतम मजूरी

+

†*१८. { **श्री वारियर :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी है; और

(ख) शेष राज्यों को इन का अनुकरण करने के लिये राजी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में बीड़ी मजदूरों की मजूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर दी हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आसाम को छोड़ कर शेष राज्यों में बीड़ी उद्योग है ही नहीं। वहां इस उद्योग में काम करने वालों की संख्या हजार से भी कम होने के कारण राज्य सरकार ने न्यूनतम मजूरी तय नहीं की है ।

†**श्री वारियर :** क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बनने के बाद सभी राज्यों में इसे क्रियान्वित किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां ।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अतिक्रमण के बारे में सरकार के पास कुल कितनी शिकायतें आई हैं और न्यूनतम मजूरी अधिनयम का उल्लंघन करने वाले मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** यह बात राज्यों के क्षेत्र की है। साधारणतया ये शिकायतें संबंधित राज्य सरकार के पास आती हैं और उन्हें ही इन पर कार्यवाही करनी होती है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

मिट्टी के तेल के भाव

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में मिट्टी के तेल के भाव निरतन्र ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार मिट्टी के तेल के भावों को ऊंचे चढ़ने से रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करने वाली है;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ङ) क्या इस संकट का सामना करने के लिये तीनों तेल कम्पनियों से सरकार के साथ सहयोग करने के लिये कहा गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ङ). सरकार देश में मिट्टी के तेल के संभरण और खपत से संबंधित स्थिति पर कड़ी नजर रखे थी पिछले कुछ हफ्तों में मिट्टी के तेल के बिक्री मूल्य में होने वाली वृद्धि से चिंतित थी। पिछले अवसरों पर मैं ने अपरिष्कृत तेल के आयात के लिये दी गयी विदेशी मुद्राओं में थोड़ी कटौती कर लेने के संबंध में सरकार की नीति का संकेत किया था। सभा को ज्ञात है कि अपनी विदेशी मुद्राओं संबंधी कठिनाइयों के कारण यह कटौती अनिवार्य थी। फिर भी, सरकार मिट्टी के तेल के बिक्री के भावों में वृद्धि को उचित नहीं समझती। इस संबंध में राज्य सरकारों की राय भी ली गयी और जब कई स्थानों पर, विशेष रूप से बम्बई में, स्थिति बिगड़ने लगी तो स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :

(१) उन्हों ने तेल कम्पनियों को बिक्री पर लगाये गये उन सभी प्रतिबन्धों को हटा लेने की हिदायत दी है जो विदेशी मुद्रायें बचाने के लिये लगाये गये थे;

(२) अतिरिक्त विदेशी मुद्राओं का विशेष आवंटन किया गया है और ये मुद्रायें उन्हें उपलब्ध भी कर दी गई हैं;

(३) तेल कम्पनियों से कहा गया है कि वे इस आवंटन से तुरन्त अतिरिक्त मिट्टी के तेल का आयात करने का प्रबन्ध करें। इस बीच देश में मौजूद स्टाक अधिक मात्रा में उठाने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया है। इसलिये, स्थिति में तत्काल सुधार होना चाहिये ।

(४) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार इस बात का पता लगाने का भी प्रयास कर रही है कि बाजार भाव क्यों बढ़े थे ।

(५) राज्य सरकारों को भी की गयी कार्यवाही के बारे में सूचना दे दी गई है और उन से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें।

यह आशा की जाती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के व्यापारी इस कार्य में सरकार के साथ सहयोग करेंगे और जो कार्यवाही की जा चुकी है उसी के फलस्वरूप आगामी कुछ ही दिनों में मिट्टी के तेल के भाव अपने सामान्य स्तर पर आ जायेंगे। यदि स्थिति न सुधरी तो सरकार और भी कार्यवाही करने को तैयार है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या बम्बई सरकार के अलावा उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मद्रास और देश भर में मिट्टी के तेल की कमी महसूस की गयी थी, और यदि हां, तो उन स्थानों की सरकार ने मिट्टी के तेल के मूल्य में होने वाली इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह कमी आमतौर पर देश भर में ही महसूस की गयी थी, और मैं बता चुका हूं कि यह कई कारणों से थी जिनमें से एक यह था कि मिट्टी के तेल के आयात के लिये कम विदेशी मुद्रायें दी गयीं थीं। यह बाधा दूर हो जाने पर अब यह आशा की जाती है कि प्रायः तत्काल ही स्थिति में सुधार हो जायेगा।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या अब मिट्टी के तेल को अत्यावश्यक पण्य अधिनियम में शामिल कर लिया जायेगा ताकि राज्य सरकारें मिट्टी का तेल छिपाने वालों को पकड़ने में सक्षम हो सकें ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी हां। हम ने राज्य सरकारों को सभी आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह दी है जिसमें मिट्टी के तेल के वितरण का प्रबन्ध इस अधिनियम के अधीन कराने के प्रश्न पर विचार भी शामिल है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को पता है कि इन तेल कम्पनियों ने कुछ कटौती करने के सरकार के सुझाव से पूरा लाभ उठाया है और वह यह कटौती बड़े ही मनमाने ढंग से करके बाजार में कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर रही हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह माननीय सदस्य की अपनी राय हो सकती है। मुझे यह जानकर बड़ा खेद होगा कि कोई मिट्टी के तेल की कमी से लाभ उठा कर अपने मुनाफ़े के लिये उसके भाव भी बढ़ा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : तेल कम्पनियों को तो कोई खेद नहीं है। केवल मंत्री महोदय ही ऐसे हैं जिन्हें खेद है। सरकार के सुझाव के कारण वे अब खूब कमाई कर रही हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जो भी हो, हम स्थिति की ओर से पूरी तरह सजग हैं। हम ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप तत्काल स्थिति में सुधार हो जायगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** तेल कम्पनियों के साथ के हमारे स्पष्टतः मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पूरी तरह इस बात से अनवगत नहीं थी कि मिट्टी के तेल के संभरण के सम्बन्ध में क्या कुछ होने वाला है, और यदि हां, तो इस बात को सरकार कैसे उचित ठहराती है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं कहीं भी व्यक्त किये गये किसी भी दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहरा रहा। मैं तो केवल यह बात बता रहा हूं कि जब भी थोक सप्लाई और खुदरा वितरण के बीच में बहुत से लोग आ जाते हैं तो इस बात का पता करना बहुत कठिन हो जाता है कि ग़लती कहां है। एक कारण यह था कि विदेशी मुद्राओं में थोड़ी कटौती हो जाने के फलस्वरूप मिट्टी के तेल की कमी हो गयी। देश के विभिन्न भागों द्वारा मिट्टी के तेल की इस कमी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किये जाते ही हम ने फौरन कार्यवाही की और कुछ ही दिनों में स्थिति सुधर गयी। मैं नहीं समझता कि अब भी भाव उतने ही अधिक हैं जितने कुछ दिन पहले तक थे।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार को पता है कि मद्रास में नियंत्रित खुदरा भाव ३ आने फी बोतल थे जो बढ़ा कर चार आने फी बोतल हो गये थे और अब भी उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिलता ? मिट्टी के तेल का मौजूदा खुदरा भाव क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** भाव कुछ चढ़ गये थे और मुझे आशा है कि अब वह मद्रास में भी घट गये होंगे।

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री गोविन्द दास : जितना आयात मिट्टी के तेल का कम हुआ था, क्या गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाया है कि उस अनुपात से फुटकर व्यापारियों ने कीमतें ज्यादा बढ़ाई, और अगर इस का पता लगाया गया है तो इस प्रकार के मुनाफाखोर व्यापारियों के सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है कि किया जाये ?

श्री के० दे० मालवीय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि निर्यात में जितनी कमी हुई सम्भवत: उस के अनुपात से ज्यादा दाम फुटकर व्यापारियों ने बढ़ाये, और यह बात मुनासिब नहीं है । इस के सम्बन्ध में व्यापारियों को इस प्रकार नहीं करना चाहिये । इन सब बातों को देख कर सरकार ने ऐसे कदम उठाये हैं जिन से ऐसा आइन्दा न हो । देश भर में काफी तेल प्राप्त है ।

†**श्री गोरे :** क्या यह बात सच नहीं है कि पिछले दो महीनों से यह कमी देश भर में महसूस की जा रही है और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री के० दे० मालवीय : पहला भाग सही है । प्रश्न का दूसरा भाग सही नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या सरकार को पता है कि कुछ तेल कम्पनियां, जो गैस सिलिंडरों और कुकिंग रेंजों के संभरण का भी नियंत्रण करती हैं, तेल का कृत्रिम अकाल पैदा कर देना चाहती हैं ताकि उनके सिलिण्डरों और कुकिंग रेंजों की बिक्री बढ़ जाये ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे विभिन्न कम्पनियों के इन प्रयासों की जानकारी नहीं है क्योंकि गैस के सिलिंडर बहुत थोड़े क्षेत्रों में लोकप्रिय हुए हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि यू० पी० के अन्दर तेल का भाव ४ आ० से ले कर १२ आ० बोतल तक हो गया है जब कि उस का भाव ३ आ० से अधिक नहीं होना चाहिये ?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, दाम जरूर बहुत हो गये, और उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा हो गये यह बहुत अफसोस की बात है । इस से कम हो जायें तो अच्छा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीन में रूसी राजदूत का भारत सम्बन्धी लेख

†*१०. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री महन्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि चीन में रूसी राजदूत ने एक अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में भारतीय प्रधान मंत्री के कथन और कृत्य के बारे में एक आलोचनात्मक निबंध लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत सम्बन्धी रूस की वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का कोई संकेत मिलता है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). माननीय सदस्य ने जिस लेख का उल्लेख किया उसे हम ने देखा है । हमें यह सोचने का कोई कारण नहीं मिला कि इस लेख से भारत के प्रति रूस सरकार के रुख में किसी परिवर्तन का संकेत मिलता है । वास्तव में

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हमारे दोनों देशों के सम्बन्ध यथावत सौहार्दपूर्ण हैं और दोनों ही सरकार इनमें और भी सुधार करने को कृतसंकल्प हैं।

आसनसोल का केंद्रीय अस्पताल

†*११. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के अधीन आसनसोल के केन्द्रीय अस्पताल का विस्तार कर उसे १६५ शैयाओं से बढ़ा कर २५० शैयाओं वाला बनाने की कोई योजना मंजूर की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्राक्कलित लागत कितनी है; और

(ग) भवन निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) ५,१७,१५६ रुपये ।

(ग) कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ हो चुका है । वार्डों के नक्शों और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है ।

बम्बई में सीमेंट के नये कारखाने

†*१९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की सरकार ने या बम्बई की किसी गैर सरकारी फर्म ने सरकार से बम्बई राज्य में सीमेन्ट के नये कारखाने चालू करने के लिये लाइसेंस देने का आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई लाइसेंस मंजूर किया गया है; और

(ग) ये कारखाने कहां-कहां खोले जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां, दो फर्मों ने आवेदन किये हैं ।

(ख) और (ग). ये प्रस्तावित स्थान हैं राजूर और वेरावल । इन दोनों फर्मों को अभी लाइसेंस नहीं दिये गये हैं । सीमेंट की संभरण की स्थिति सहज-सुलभ होने के कारण सीमेन्ट के नये कारखानों के लिये लाइसेंस देने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है । फिर भी यह मसला पुनर्विचाराधीन रखा जायेगा ।

शिक्षित बेरोजगार

†*२०. **श्री दामानी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिये बनायी गयी अग्रिम योजनाओं को पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पाकिस्तानी विमानों का उतरना

†*२१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार अनुसूचित पाकिस्तानी विमान लगातार दो दिन तक (प्रत्येक दिन दो) एक ही बहाने से दमदम हवाई अड्डे पर उतरे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). दिसम्बर, १९५८ के तीसरे सप्ताह में विमानों के उतरने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई । यदि माननीय सदस्य अवधि के विषय में कुछ संकेत कर सकें तो, आवश्यक होने पर, और आगे पूछताछ की जाये ।

चाय का निर्यात

†२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन और अमरीका को चाय के निर्यात सम्बन्धी वर्त्तमान स्थिति (पृथक-पृथक) क्या है; और

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जनवरी—नवम्बर, १९५८ की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ब्रिटेन और अमरीका को किया गया भारतीय चाय का निर्यात इस प्रकार है :—

जनवरी—नवम्बर	ब्रिटेन को		अमरीका को	
	परिमाण (लाख पौंडों में)	कीमत (करोड़ रुपयों में)	परिमाण (लाख पौंडों में)	कीमत (करोड़ रुपयों में)
१९५८ . .	२९२९	७९.८१	२२७	५.९३
१९५७	२७५८	७५.७४	२०९.९	५.८२

(ख) चाय उत्पादक अन्य देशों और स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से अमरीका, कनाडा, आयर्लैंड, नीदरलैंड्स और पश्चिमी जर्मनी स्थापित की गयी चाय परिषदों में भारत भाग लेता है । इन परिषदों का उद्देश्य आम तौर पर चाय की खपत बढ़ाना होता है । हम अनेक देशों में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं । उपहार-पार्सलें भी बांटी जाती हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कराने के उद्देश्य से चाय बोर्ड विदेशों को शिष्ट मण्डल भेजता है। सामान्य प्रचार कार्यवाही के अलावा सरकार ने उत्पादन और निर्यात शुल्कों में छूट की घोषणा की है ताकि हमारी चाय विश्व के बाजारों में प्रभावशाली ढंग से होड़ में भाग ले सके।

पंजाब में वक्फ़ सम्पत्तियां

†*२३. **श्री अन्सार हरवानी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की प्रायः सभी वक्फ़ सम्पत्तियों का प्रबन्ध अब भी निष्क्रान्त संपत्ति अभिरक्षक द्वारा होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सम्पत्तियां मुक्त कर देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). अधिकांश मामलों में पंजाब की मुस्लिम वक्फ़ों की सम्पत्तियां मुक्त की जा चुकी हैं। लेकिन सभी वक्फ़ों की सम्पत्तियों को मुक्त कर देना सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि पंजाब के अधिकांश जिलों में शायद ही कोई मुस्लिम आबादी रह गयी है। इसलिये, यह निश्चय किया गया है कि गैर-धार्मिक प्रकार के, अर्थात् स्कूलों, कॉलिजों, अस्पतालों आदि की सम्पत्तियां नाममात्र के किराये पर दीर्घकालीन आधार पर विस्थापित शिक्षा संबन्धी और सांस्कृतिक संस्थाओं को दे दी जायें। जहां तक धार्मिक वक्फ़ों की सम्पत्तियों का प्रश्न है, भविष्य में उनके प्रबन्ध का प्रश्न अब भी विचाराधीन है।

सोलहवां भारतीय श्रम सम्मेलन

†*२४. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन ने निश्चय किया है कि केन्द्र और राज्य सरकारें श्रम विधियों के प्रशासन के लिये जो भी व्यवस्था करें उसकी कमियां अपनी ओर से पूरी कर दें; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं। सम्मेलन ने केन्द्र और राज्यों में क्रियान्विति तथा मूल्यांकन व्यवस्था स्थापित करने के प्रश्न पर चर्चा की थी।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर और मनीपुर को छोड़ कर अन्य सभी राज्य सरकारों और प्रशासनों ने कार्यान्विति न करने के मामलों की देख-भाल करने के लिये अपने-अपने श्रम विभागों में सेक्शन स्थापित किये हैं। नौ राज्य सरकारों/प्रशासनों (बिहार, केरल, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली और त्रिपुरा) ने भी त्रिपक्षीय कार्यान्विति समितियां स्थापित की हैं।

---

†मूल **अंग्रेजी में**

भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

†*२५. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में भूतपूर्व फ़्रांसीसी बस्तियों के विधि सम्मत हस्तान्तरण सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : हमें बताया गया है कि पाण्डिचेरी, कराइकल, माहे और यानम नामक फ़्रांसीसी बस्तियों के बारे में सेशन संधि का अनुसमर्थन करने के प्रश्न को फ़्रांसीसी पार्लियामेंट के आगामी सत्र की कार्यावलि में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी जो इस वर्ष के २८ अप्रैल, से आरम्भ होने वाला है ।

सैलम में अल्युमिनियम संयंत्र

†*२६. { **श्री सुब्बया अम्बलम् :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री सम्पत : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैलम में जिस अल्युमिनियम संयंत्र के खोलने का विचार है उसका लागत व्यय कितना होगा;

(ख) उसकी उत्पादन क्षमता ;

(ग) क्या टेक्निशियनों द्वारा संयंत्र के बारे में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ; और

(ङ) वह कब से आरम्भ होने वाला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). १९ दिसम्बर, १९५८ को इस सभा को अतारांकित प्रश्न संख्या २२०९ के उत्तर में बताया गया था कि एक पक्ष ने इटली की फर्म के सहयोग से एक अल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने का अस्थायी सुझाव दिया है और मामले की जांच की जा रही है । यह भी कहा गया था कि इटली की फर्म के कुछ प्रतिनिधियों ने उस स्थान को देखा भी है । इस विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*२७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, रूपनरायनपुर, में केबल्स के निर्माण में विभिन्न प्रकार का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात करने की सम्भावना का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). परामर्शदाताओं से जो समझौता हुआ उसमें केवल नेपाल, बर्मा, लंका के लिये निर्यात की व्यवस्था है किन्तु इस बात पर सहमति दे दी गई है कि निर्यात खंड में इण्डोनेशिया भी शामिल कर लिया जाये । कारखाने का जितना विस्तार इस समय किया गया है वह डाक और तार विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है, जिसका कुछ समय पहले ८०० मील का अनुमान लगाया गया था तथा लगभग २०० मील लम्बे केबल्स के निर्यात का भी अनुमान लगाया गया था । चूंकि अकेले डाक और तार विभाग की आवश्यकता ही बढ़ कर १३०० मील की हो गई है तथा बढ़ी हुई देश की मांग पूरी करने एवं यथासम्भव निर्यात करने के लिये उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

फिल्मों को राजकीय पुरस्कार

†*२८. श्री अरविन्द घोषाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजकीय पुरस्कारों के लिये प्रलेखीय चलचित्रों का निरीक्षण करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति में कितने सदस्य हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जी हां । १९५८ के राजकीय पुरस्कारों के लिये भेजे गये प्रलेखीय चलचित्रों की प्रारम्भिक जांच के लिये हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई है । इसमें सभापति को मिलाकर पांच सदस्य हैं । यह स्पष्ट किया जा सकता है कि समिति का कार्य केन्द्रीय समिति के समक्ष प्रलेखीय चलचित्रों की एक तालिका रखना है, जिसके बारे में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार केन्द्रीय समिति को ही प्राप्त है ।

सोवियत रूस से अखबारी कागज की खरीद

†*२९. श्री महन्ती : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ने राज्य व्यापार निगम को सोवियत रूस से २,००० दशमिक टन अखबारी कागज खरीदने का परामर्श दिया है यद्यपि उद्धत किये गये मूल्य बहुत अधिक थे ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम को भारत में अन्य सूत्र से ४८ पौण्ड प्रति दशमिक टन के भाव से अखबारी कागज देने का प्रस्ताव किया गया था जबकि रूस ने जो संभरण किया उसकी दर ५५ पौंड—१० शि०—० पें० प्रति दशमिक टन थी ;

(ग) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम ने कम लागत पर खरीदना क्यों अस्वीकार कर दिया जबकि फर्म ने इस प्रकार का प्रस्ताव न रखा था ; और

(घ) इस प्रकार कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

† मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रेस रजिस्ट्रार ने राज्य व्यापार निगम को अखबारी कागज की किस्म के बारे में भारतीय पूर्वी समाचारपत्र सोसाइटी के द्वारा समाचार-पत्रों के हितों के विचारों की जांच-पड़ताल करने के पश्चात् ही राय दी थी।

(ख) जी हां। रूसियों द्वारा मूल्य ५५ पौण्ड प्रति दशमिक टन बताया गया था।

(ग) प्रस्ताव प्रत्यक्ष सौदा न होकर एक तृतीय पक्ष के द्वारा किया गया था। भुगतान स्टर्लिंग में किया जाना था।

(घ) कुछ नहीं क्योंकि सौदा उन देशों के द्वारा किया गया था जिनसे राज्य व्यापार निगम का रुपयों में भुगतान करने का करार था।

भारतीय हस्तशिल्प

*३०. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंग्लैंड तथा यूरोप में भारतीय हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय कुटीर उद्योग के उत्पादों को सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाने की दृष्टि से इन देशों में स्थायी स्टाल खोलने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी देशों में कार्यवाही की जा रही है जिनमें इंग्लैंड और यूरोप भी शामिल हैं। भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम के अलावा, जिसकी स्थापना अप्रैल, १९३८ में निर्यात से सम्बन्धित कार्यकलापों की देखभाल करने के लिये की गई थी। विदेशों में प्रदर्शनियों, व्यवसाय केन्द्रों आदि के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। विदेशों से व्यवसायियों का व्यापार मंडल भारत में विक्रेताओं और निर्यातकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के लिये आमंत्रित किया गया था।

फ्रांकफर्ट (पश्चिमी जर्मनी) लास एंजिलेस तथा न्यूयार्क में पूर्णरूपेण हस्तशिल्पों के लिये व्यवसाय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बम्बई राज्य में वस्त्र मिलों का बन्द होना

†*३१. **श्री सोनावने** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के बारसी की क्रमशः (१) राजेन टेक्सटाइल और (२) जयशंकर और (३) लोकमान्य टेक्सटाइल मिल्स के पूर्णरूपेण अथवा आंशिक बन्द होने के कारण ; और

(ख) उत्पादन में कमी तथा लगभग दो हजार मजदूरों के बेकार हो जाने को दृष्टि में रखते हुए इस समस्या को किस प्रकार तथा किस तरीके से हल किया जा रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जयशंकर और लोकमान्य टेक्सटाइल मिलों ने जो आंशिक रूप से बन्द होने वाली थी उन्होंने तीसरी पाली के बन्द होने का नोटिस दे दिया है। राजेन टेक्सटाइल के बारे में बताया जाता है कि वह १–१–५९ से बन्द है । इन निर्माणकारी एककों के साथ कठिनाई पुरानी ढंग की मशीनें तथा स्टाक का जमा हो जाना है ।

(ख) राजेन टेक्सटाइल्स के बन्द हो जाने से १३२१ मजदूर बेकार हो गये हैं; अन्य दो मिलों में छंटनी नहीं हुई है । बन्द हुई मिलों का निरीक्षण इसी मास टेक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा प्रबन्धक पर्यवेक्षक दल की सिफारिशों को समक्ष रखते हुए उन्हें पुनः चलाने पर विचार करेंगे ।

हथकरघा उत्पादों पर छूट

†*३२. **श्री सम्पत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य की सहकारी समितियों के हथकरघा बुनकरों को दी जाने वाले छूट की राशि संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) भुगतान शीघ्रता से करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) राज्य सरकार ने बताया है कि ३१–३–१९५८ तक सहकारी समितियों को छूट के दावे के रूप में व्यय करने के लिये ५५,३४,५६५ रुपयों की आवश्यकता होगी ।

(ख) ४० लाख रुपये की राशि मंजूर की गई हैं ।

साबुन का निर्माण

†*३३. **श्री ओझा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिना विद्युत् की सहायता से देशी साबुन निर्माताओं को खोपड़ा और कास्टिक सोडा मिलने में अनुभव की गई कठिनाइयों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

(ख) खोपड़ा का आयात करने के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस बिना विद्युत की सहायता से साबुन निर्माताओं की संस्थाओं को दिये जाते हैं । कास्टिक सोडा का आयात भी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अधिक मात्रा में किया जा रहा है । राज्य व्यापार निगम जिसके द्वारा आयात की निकासी लेती है और जिसके ऊपर आयात किये गये कास्टिक सोडा के वितरण का दायित्व रहता है, वह साबुन निर्माताओं की यथाशक्ति मांग पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं । नये एकक स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये हैं तथा देश में कास्टिक सोडा उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना भी तैयार की गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यूरोपीय सामान्य विपणन योजना

†*३४. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री आसर :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री साधन गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय सामान्य विपणन योजना के बन जाने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का अनुमान लगा लिया है ।

(ख) क्या इससे हमारी निर्यात आय पर प्रतिकूल अथवा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) किन-किन पदार्थों तथा कहां तक उनके निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). संक्षिप्त रूप से उसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता । किन्तु सरकार इस बारे में देख-रेख कर रही है और स्थिति की जांच की जा रही है ।

(घ) सामान्य विपणि के सदस्य राज्यों से व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार के अन्तर्गत इसका अनुमान लगाने तथा उपचार संबंधी संभव उपायों के बारे में बातचीत के साथ ही परामर्श लिया जा रहा है ।

सोवियत रूस द्वारा काश्मीरी शालों का आयात

†*३५. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस की सरकार ने काश्मीरी शालों, कढ़ाई की गई वस्तुओं, कागज बनाने की मशीन तथा काश्मीर में तैयार की गई अन्य कलात्मक चीज़ों के आयात करने में अत्यधिक रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार करती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां। सोवियत रूस से पिछले कुछ वर्षों में काश्मीरी शालों तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं के लिये आर्डर प्राप्त हुये हैं ।

(ख) हाल ही में सोवियत रूस से भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात के बारे में किये गये व्यापार करार में यह उपबन्ध किया गया है कि उसमें काश्मीरी शालें आदि भी शामिल कर ली जायें । इन हस्तशिल्पों आदि के उत्पादन का विकास करने के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केरल बागान हड़ताल की जांच

†*३६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल बागान हड़ताल की अनुशासन संहिता की दृष्टि से जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंगरेनी कोयला खानें

†*३७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरेनी कोयला खानों के विकलांग मजदूरों को अभी तक सैनिक कृत्रिम अंग केन्द्र पूना नहीं भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें भेजने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ; और

(घ) उन विकलांग खनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें फरवरी, १९५९ के अन्त तक केन्द्र में भेज दिया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १३ अंगविक्षतों में से छ: को १२-१-५९ को कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना भेज दिया गया है ।

(घ) कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि एक बार में सात अंगविक्षत भेजे जायेंगे । इन अंगविक्षतों को अंगों के जोड़ने के लिये केन्द्र में कम से कम छ: सप्ताह ठहरना पड़ता है । अगला जत्था इस जत्थे के आते ही भेज दिया जायेगा ।

नये समाचार अभिकरण का निर्माण

†*३८. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया के कर्मचारियों ने एक नये समाचार अभिकरण का निर्माण करने के लिये निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). यू० पी० आई० कर्मचारी वर्ग की यूनियन तथा यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया में चाव रखने वाले कुछ अन्य लोगों द्वारा वैकल्पिक योजनायें रखी गई हैं। सरकार की राय जानने के लिये इनकी जानकारी उसे दी गई थी।

यह बात सरकार के अधिकार में नहीं कि वह किसी योजना को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दे क्योंकि अभिकरण एक स्वतन्त्र निकाय है, उनके प्रस्तावों के बारे में अपनी राय दे दी थी। यह महसूस किया गया था कि प्रस्ताव अभिकरण को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने अथवा नया अभिकरण चलाने के लिये पर्याप्त नहीं थे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

*३९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम शंकर लाल :

क्या **योजना** मंत्री २९ नवम्बर १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की योजना के बारे में क्या इस बीच कोई निर्णय किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : १९५९–६० की वार्षिक योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और पहाड़ी इलाकों के विकास के लिये २ करोड़ रुपये की रकम मंजूर की है। राज्य सरकार इस रकम से जिन स्कीमों को चलायेगी उनके विवरण की प्रतीक्षा है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*४०. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे उद्योग जिनकी पूंजी ५ लाख से कम है और जिनमें ५० से अधिक मजदूर काम में लगे हैं, वे "छोटे पैमाने के उद्योगों" की परिभाषा में नहीं आते ;

(ख) क्या सरकार को केरल के होजरी सार्थों के पास से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पुनरीक्षित परिभाषा के अनुसार अब छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक की परिभाषा यह है कि जिसमें ५ लाख रुपये से अधिक पूंजी का विनियोग न किया गया हो और प्रत्येक पाली में ५० से अधिक व्यक्ति विद्युत का उपयोग न करते हों तथा यदि विद्युत न हो तो १०० से अधिक मजदूर काम न करते हों।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि छोटे पैमाने के सूती होजरी एकक में औसतन ११ व्यक्ति काम में लगे होते हैं तथा छोटे पैमाने के ऊनी होजरी एकक में १५, इस प्रकार होजरी उद्योग के अधिकांशतः एकक छोटे पैमाने के उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आ जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*४१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८–५६ में मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये अब तक जो संविदा हुआ था उससे भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को कितनी आय हुई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : व्यापार के हित की दृष्टि से इसका व्योरा बताना वांछनीय नहीं होगा। राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यापार संबंधी सौदों से उसने जो लाभ कमाया उसके आंकड़े बताने वाला एक वार्षिक प्रतिवेदन शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*४२. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट की दो लाख टन की अनुमानित मात्रा के भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा निर्यात करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : अब तक लगभग १,३६,४०० टन कुल मात्रा के लिये संविदा किया जा चुका है तथा लगभग ५४,००० टन वास्तव में निर्यात किया जा चुका है। और अधिक निर्यात करने के बारे में वार्ता चल रही है।

रबड़ तथा चमड़े की पट्टियां

†*४३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रबड़ की पट्टियों और चमड़े की पट्टियों की इस समय कितनी आवश्यकता है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक का देश में कितना उत्पादन होता है और कितना आयात किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

आकाशवाणी गवेषणा विभाग द्वारा रेडियो तैयार किया जाना

†*४४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २० नवम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी फर्म ने ऐसे रेडियो सेट निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जो बिना विद्युत के चलेंगे और जिनको आकाशवाणी का गवेषणा विभाग तैयार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस फर्म को इस प्रकार की अनुमति दी गई है और किन-किन शर्तों पर ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नगर हवेली और दादरा का मामला

†*४५. {**श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री दी० चं० शर्मा :}

क्या **प्रधान मंत्री** १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में दी गई नगर हवेली और दादरा संबंधी पुर्तगाल की शिकायत की प्रत्युक्ति दर्ज कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की आगे की स्थिति न्यायालय ने निश्चित कर ली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

भारतीय चाय का रूस को निर्यात

†*४६. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के बाजारों में भारतीय चाय लोक प्रिय हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी मात्रा निर्यात करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) १६५८ में लगभग २५० लाख पाउण्ड चाय का निर्यात रूस को किया गया था। यद्यपि इस अवस्था में कोई संक्षिप्त भविष्यवाणी नहीं की जा सकती फिर भी यह आशा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा १६५६ में निर्यात कम नहीं होगा ।

जंगपुरा पुल का दोषरहित निर्माण

† ४७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जंगपुरा पुल के दोषरहित निर्माण के लिये उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अनुशासन संबंधी कार्यवाही करने के बारे में जांच की जा चुकी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** जी हां । इस मामले की विस्तृत जांच से पता लगा है कि यह क्षति २० और २१ जुलाई को अभूतपूर्व वर्षा के कारण हुई । क्षति के अन्य कारणों में से एक जिसके बारे में निर्माण कार्य जिन पदाधिकारियों को सौंपा गया था, वे उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं वह यह है कि खुदाई के बाद मिट्टी ठीक ढंग से नहीं जमाई गई अर्थात् उचित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया । संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासन संबंधी कार्यवाही की गई है । पुल तक जाने वाली सड़क को जो क्षति हुई वह अधिक नहीं थी और उसमें ५,००० रुपये से अधिक की क्षति नहीं हुई । इन क्षतियों की पूर्ति ठेकेदार की लागत पर आवश्यक मरम्मत करके कर दी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोयला-खानों को पानी का संभरण

†*४८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार तथा योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागोडियम में जल संभरण योजना के लिये सिंगरेनी कोयला-खानों को १ अप्रैल १९५८ से ३१ जनवरी १९५९ तक कोयला-खान श्रम कल्याण संघ ने कुल कितना धन दिया ; और

(ख) क्या सरकार को विदित है कि जल संभरण की न्यूनत के कारण श्रमिको को पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

ǂ**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) अभी कोई भुगतान नहीं किया गया है। कोयला-खानों को अनुदान देने पर विचार हो रहा है।

(ख) कोयला-खानों में जल संभरण सन्तोषजनक नहीं है।

लक्ष्मीबाई नगर में बाजार

*४९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में लक्ष्मीबाई नगर और नौरोजी नगर आदि में जिन चार बाजारों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी उनमें से प्रत्येक के निर्माण पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ;

(ख) अब तक उनमें से प्रत्येक के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक बाजार के कब तक बन जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३]**

सरकारी विज्ञापन

†*५०. **श्री वें० प० नायर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला भारत सरकार तथा भारत सरकार के उपक्रमों संबंधी विज्ञापन १९५८ में १९५७ की अपेक्षा कम हो गया है या अधिक ?

ǂ**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किये जाने वाले विज्ञापन की मात्रा १९५८ में १९५ की अपेक्षा १७ प्रतिशत ढ़ गई।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्रा०) लि०

†*५१. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम (प्रा०) लि० का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है ;

ǂमूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोई विलम्ब नहीं है ।

पंजाब में औद्योगिक एकक

†**१. श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र में कौन कौन औद्योगिक एकक स्थापित हुए हैं और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उनके लिए सरकार ने कुल कितना धन मंज़ूर किया था और वास्तव में कितना धन व्यय हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) तथा (ख). औद्योगिक नीति संकल्प में देश के औद्योगिक विकास संबंधी सिद्धान्त निर्धारित हैं । उद्योगों का प्रादेशिक विकास अनेकों बातों पर निर्भर है जैसे कच्चे माल, शक्ति परिवहन सुविधाओं, आदि की उपलब्धि । यदि माननीय सदस्य पंजाब के किन्हीं विशेष नगरों, गांवों या जिलों में नये उद्योगों की स्थापना संबंधी जानकारी चाहते हैं तो सरकार को अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में प्रसन्नता होगी ।

प्रविधिक प्रशिक्षण समिति

†**२. श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में प्रविधिक प्रशिक्षण समिति की कितनी बैठकें हुईं ; और

(ख) क्या क्या महत्वपूर्ण निश्चय किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) समिति ने १९५८ के आरम्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था अत : और कोई बैठक बुलाना आवश्यक न था ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

पाकिस्तान से व्यापार

†**३. श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में हुए हाल के परिवर्तनों का प्रभाव भारत और पाकिस्तान के व्यापार पर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) अभी तक कोई ध्यान देने योग्य परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

चाय बागान

†४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल भारत में विदेशी फर्मों के कितने चाय बागान हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :

स्टर्लिंग समवायों के बाग़ान	४१८
रूपी समवायों के बाग़ान जिनमें विदेशी और भारतीय पूंजी मिली हुई हैं परन्तु प्रबन्ध विदेशी हैं	१९९
कुल .	६१७

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में राज्यवार कितना धन व्यय होगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : एक विवरण में जिसमें १९५९-६० में योजना के राज्यवार अधिकतम व्यय का उल्लेख है निम्न है :

		(रुपये करोड़ों में)
१.	आन्ध्र प्रदेश	३७.६६
२.	आसाम	१२.२५
३.	बिहार	४१.२२
४.	बम्बई	८७.७०
५.	केरल	१५.५५
६.	मध्य प्रदेश	३४.२२
७.	मद्रास	३३.६२
८.	मैसूर . .	३२.५०
९.	उड़ीसा . . .	१९.३२
१०.	पंजाब	३५.२०
११.	राजस्थान	२४.०६
१२.	उत्तर प्रदेश . . .	४९.९८
१३.	पश्चिमी बंगाल .	३७.५४
१४.	जम्मू तथा काश्मीर . .	६.८३
	कुल	४७०.६५

गन्दी बस्तियां हटाना

†६. **श्री वाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक गंदी बस्तियों के हटाने की कितनी योजनायें स्वीकृत हुई हैं ; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितना कार्य हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों की गंदी बस्तियों हटाने की १०६ परियोजनायें जिनकी अनुमानित लागत ६.०७ करोड़ रु० है, द्वितीय योजना-काल में अब तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित हो गई हैं। पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन सितम्बर १९५८ से राज्य गंदी बस्तियां हटाने की अपनी योजनायें स्वयं मंजूर कर सकते हैं। अतः संख्या १०६ में उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त और कोई ऐसी परियोजना सम्मिलित नहीं है जो नई प्रक्रिया के अधीन मंजूर हुई हो। इसके बारे में राज्य-सरकारों से जानकारी मांगी गई है।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

संचारी रोगों सम्बन्धी चलचित्र

†७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक संचारी रोगों संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा-सामग्री पर आधारित कितने चल चित्र बनाये गये हैं;

(ख) उनमें से कितनी १६ एम० एम० और कितनी ३५ एम० एम० हैं; और

(ग) १९५७ और १९५८ में कितनी (१) नगरीय क्षेत्रों में और (२) कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई गई हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ७।

(ख) सातों ही चलचित्र ३५ एम० एम० और १६ एम० एम० में हैं।

(ग) इन में से दो चलचित्र जो १९५७ और १९५८ में पूरे हुए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाये गये हैं। पिछले वर्षों में दिखाये जाने के लिए दिये गये चलचित्र चलती गाड़ियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाये जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में शोओं संबंधी निश्चित जानकारी अभी प्राप्त नहीं है।

भूमि की अधिकतम सीमा

†९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने वर्तमान भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने के नियम बना लिए हैं, वहां अधिकतम सीमा के लागू होने के उपरान्त भूमिहीन श्रमिकों के देने के लिए कितनी अतिरेक भूमि प्राप्त हुई ;

(ख) अब तक कितनी अतिरेक भूमि वितरित की गई है ;

(ग) कितनी वितरित भूमि में (राज्यवार) खेती आरम्भ हो गई है ; और

(घ) भूमि सुधार होने पर कितनी अतिरेक भूमि सरकार को प्राप्त होने की आशा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (घ). जम्मू तथा काश्मीर में लगभग ४.७ लाख एकड़ अतिरेक क्षेत्र है। इसमें से २.४ लाख एकड़ कृषकों के पास था और

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें दे दिया गया है। अन्य ५०,००० एकड़ भूमि जो किसी के पास न थी अस्थायी पट्टेदारी पर दे दी गई है। अनुमान है कि शेष अतिरेक भूमि में से और ५०,००० एकड़ भूमि में कृषि हो सकती है तथा शेष कृषियोग्य नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में अधिकार अभिलेख[1] तैयार हो रहा है तथा अतिरेक का ठीक अनुमान रिकार्ड के पूरे होने पर हो सकेगा। अस्थाई अनुमान के अनुसार ४ लाख एकड़ अतिरेक होने की सम्भावना है। लगभग ६७,००० एकड़ भूमि अभी तक प्राप्त हो गई है जो अन्तिम आवंटन होने तक वार्षिक आधार पर दी जा रही है।

अन्य राज्यों में जहां भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान पारित हो गया है, अतिरेक भूमि के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। पंजाब में, अतिरेक भूमि पहिले के पंजाब में जिसके प्राप्त होने की आशा थी लगभग ३,७८,४७० एकड़ थी। पेप्सू क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जिन राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान पारित नहीं हुआ है, वहां अतिरेक भूमि का अनुमान अधिकतम सीमा के प्रस्तावों के निश्चित होने पर ही लगाया जा सकता है। मैसूर में, जहां भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक पुरःस्थापित हो गया है, आशा है कि यदि विधेयक ज्यों का त्यों पारित हो जाये तो लगभग २ लाख एकड़ अतिरेक भूमि उपलब्ध होगी।

वितरित भूमि सम्बन्धी जानकारी, जिसमें खेती होने लगी है, उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रमंडल प्रसारण सम्मेलन

†११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ के राष्ट्रमंडल प्रसारण सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन कौन थे ;

(ग) क्या प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को प्रतिवेदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस पर विचार हो चुका है; और

(ङ) सरकार ने कौन कौन सिफ़ारिशें स्वीकार की हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ङ). १९५८ में कोई राष्ट्रमंडल प्रसारण सम्मेलन नहीं हुआ।

दिल्ली में कुटीर उद्योग

†१२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली को कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कितना धन आवंटित है; और

(ख) अब तक (वर्षवार) कितना धन व्यय किया गया है ?

---

[1]Record of nights.

† मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

"जिरकोन"

†**१३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के उद्देश्यों के लिये 'ज़िरकोन' से लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). आज कल भारतीय 'ज़िरकोन' के लिये विदेशों की कोई मांग नहीं है। देश में इसकी बहुत थोड़ी मांग है। भारत में 'ज़िरकोन' का वर्तमान उत्पादन बहुत कम है। भारत में 'ज़िरकोन' का उत्पादन-मूल्य विदेशों में प्रचलित मूल्यों से अधिक है। 'ज़िरकोन' को विदेशी बाज़ारों में मांग उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि मांग पर्याप्त हुई और उत्पादन लाभ-दायक सिद्ध हुआ तो 'ज़िरकोन' का अधिक उत्पादन किया जायेगा। 'ज़िरकोन' का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक संयंत्र आधिष्ठापित करना होगा।

पंजाब मे रेशम कीट पालन का विकास

†**१४. श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५९-६० में रेशम-कीट-पालन के विकास की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) कितना धन मांगा गया है; और

(घ) १९५९-६० में कितना धन दिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

(घ) राज्य के अंश सहित ३.३८ लाख रुपये।

पंजाब में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग

†**१५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या १९५९-६० में पंजाब में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना मंजूर हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय करने का विचार है; तथा

(ग) योजनायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) नहीं, श्रीमान् । वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों की चालू योजनायें राज्य सरकारों द्वारा उनकी सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृत होती हैं। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल नई योजनाओं के मामले में, भारत सरकार का प्रोद्यौगिक अनुमोदन आवश्यक है। अभी तक आगामी वर्ष के लिये पंजाब सरकार को नई योजनायें स्वीकृत नहीं हुई हैं।

(ख) व्यय किया जाने वाला अस्थाई प्रस्तावित धन निम्न है :

(लाखों में रुपये)

राज्य का नाम	केन्द्रीय सहायता			राज्यांश	योग
	ऋण	अनुदान	योग		
१. हस्तोद्योग .	१.८६	४.७७	६.६३	०.२०	६.८३
२. छोटे पैमाने के उद्योग .	३८.००	१०.००	४८.००	३२.००*	८०.००
३. औद्योगिक सम्पदा	२०.००	...	२०.००	...	२०.००
४. दस्तकारियां .	०.५०	४.००	४.५०	२.५०	७.००
५. रेशम-कीट-पालन		२.६७	२.६७	०.७१	३.३८
††६. खादी तथा ग्रामोद्योग	...	...	...	०.३०	०.३०
					११७.५१

(ग) १९५९-६० के लिये चालू और नई योजनायें एवं हस्तोद्योग, हथकरघा, रेशम-कीट-पालन तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आवश्यक केन्द्रीय सहायता का उल्लेख पटल पर रखे गये विवरण में है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ८]** खादी तथा ग्रामोद्योग योजनाओं की विस्तृत बातें अभी निश्चित नहीं हुई हैं।

जूट-वस्तुय

†१६. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से देश में वर्षवार तथा राज्य वार जूट-वस्तुओं के उत्पादन का कितना मूल्य था ; और

* राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के 'स्थापना-व्यय' के ०.५० लाख रु० सहित ।

††पंजाब में खादी तथा ग्रामोद्योगों पर व्यय होने वाली प्रस्तावित धन-राशियां अभी निश्चित नहीं की गई हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इस उद्देश्य से २ और १९ फरवरी के बीच सरकारों से बात चीत कर रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९४८ में और आज कल देश में (राज्यवार) जूट-वस्तुओं की प्रति व्यक्ति कितनी खपत हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अल्प आय-वर्ग आवास योजना

†१७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प आय-वर्ग आवास योजना में, राज्यवार, ३१ दिसम्बर, १९५८ तक कितनी प्रगति हुई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री श्री क० च० रेड्डी)** : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १ , अनुबन्ध संख्या १०]**

मूंगफली का तेल

†१८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के उत्तरार्ध में सरकार ने मूंगफली के तेल की कुल कितनी मात्रा के लिये निर्यात कोटे दिये हैं ;

(ख) इन कोटों का कितना उपयोग किया गया है; और

(ग) जिन पत्तनों से मूंगफली का तेल जहाज़ों द्वारा भेजा गया है उनकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ३०,००० टन ।

(ख) १६ जनवरी १९५९ तक जहाज़ों द्वारा भेजे जाने के लिये १,५७५ टन मूंगफली का तेल मंजूर हुआ था ।

(ग)

बम्बई	.	९५२ टन
मद्रास	.	१३६ टन
राजकोट	.	४८७ टन

आन्ध्र प्रदेश में 'कार्बानाइजेशन प्लान्ट'

†१९. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार की इस प्रार्थना पर विचार किया है कि वह राज्य में निम्न-ताप 'कार्बानाइजेशन प्लान्ट' स्थापित न करने के निश्चय पर पुनर्विचार करे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में निम्न-ताप 'कार्बानाइजेशन प्लान्ट' स्थापित न करने से किसी भी स्थिति में मना नहीं किया है, अतः पुनर्विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । फिर भी, साधनों के उपलब्ध होने पर आन्ध्र म ऐसे संयंत्र की स्थापना को उचित महत्व दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

कारों तथा ट्रकों का निर्माण

†२०. **श्री ई० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में कारों व ट्रकों के निर्माण की समस्या के विविध पहलुओं पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक प्राविधिक समिति नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सभी संरक्षित उद्योगों के मामले में, प्रशुल्क आयोग प्रगति का साधारणतया तीसरे या चौथे वर्ष प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अनुसार पुनरीक्षण करता है । १९५३ तथा १९५६ में प्रशुल्क आयोग ने मोटर उद्योग की प्रगति का पुनरीक्षण किया था तथा कुछ सिफारिशें की थीं । द्वितीय जांच के उपरान्त, यह उद्योग भी संरक्षित घोषित किया गया । वैसे भी मोटर उद्योग के सम्बन्ध में कालिक जांच इस वर्ष होनी चाहिए । सरकार अब इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि और आगे विचार प्रशुल्क आयोग ही करे या विशेषज्ञों की एक ऐसी प्रविधिक समिति करे जिसमें प्रशुल्क आयोग के एक या अधिक प्रतिनिधि शामिल हों ।

ट्रकों और बसों का निर्माण

†२१. **श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में देश के प्रत्येक कारखाने में कुल कितने ट्रकों और बसों का निर्माण हुआ ;

(ख) देश में बने और विभिन्न कारखानों द्वारा प्रयोग में लाये गये पुर्जों का अनुपात क्या है ;

(ग) ट्रकों और बसों के पुर्जों के किन-किन सेटों के आयात के लिए विभिन्न कारखानों को १९५८ में लाइसेंस दिये गये ; और

(घ) यदि बसों और ट्रकों के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न कारखानों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया हो तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) प्रत्येक कारखाने के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े निम्न हैं :—

निर्माता का नाम	संख्या
१. मैसर्स प्रिमीयर आटोमोबाइल्स लि० बम्बई	४२०७
२. मैसर्स हिन्दुस्तान लि०, उत्तरपाड़ा	१४३१
३. मैसर्स टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग क० लि०, बम्बई	७६९४
४. मैसर्स अशोक लिनन लि०, मद्रास	११७७
५. अन्य ट्रक और बसें जिनके पुर्जे देश में नहीं बनते	४८
योग	१४५५७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश में बने पुर्जों का प्रति शत इस आधार पर निकाला जाता है कि विदेशी सहयोगियों के कारखानों में भारत में बने पुर्जों के मूल्य में और विदेशी सहयोगियों के कारखानों में पूर्णतया विदेशी निर्मित पुर्जों के मूल्य में क्या अनुपात है । इस प्रकार अर्ध-वार्षिक लाइसेंस-काल, अक्टूबर, १९५८ और मार्च, १९५९ के लिए पुर्जों के सी० के० डी० मूल्य के आधार पर देशी पूर्जों की स्थिति मुख्य माडलों के लिए निम्न है :

डाज (मध्यम डिज़िल) . .	५२ प्रतिशत
टाटा-मर्सी-बेंज	५७ प्रतिशत
लेलेंड 'कमेट' . . .	४५ प्रतिशत
विलीज़ जीप्स	६२ प्रतिशत
बेडफार्ड (डिज़िल) . . .	३७.७ प्रतिशत (हाल में ही आरम्भ हुई)

(ग) विभिन्न गाड़ियों के पुर्जों के सेटों की संख्या जिनके लिए लाइसेंस-काल, अक्टूबर १९५७ से मार्च १९५८ और अप्रैल-सितम्बर, १९५८ में आयात लाइसेंस दिये गये थे, निम्न है :

	लाइसेंस काल	
	अक्टूबर ५७– मार्च ५८	अप्रैल–सितम्बर, १९५८
डाज (मध्यम डिजिल)	२५९९	१९८७
डाज (पावर वैगन एण्ड छोटे पहिये वाली) .	३१७	३००
टाटा-मर्सी-बैंज . .	२४५८	३४५९
लेलेंड 'कमेट' . . .	४८०	५००
लेलेंड रायल"टाइ गर/टिटन" . .	१००	६०
बेडफार्ड/शेवरले . .	१००८	१५१२

(घ) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है परन्तु उत्पादन प्रत्येक निर्माता को दिये गये पुर्जों के आयात लाइसेंसों पर निर्भर है ।

टेपयो का उत्पादों का निर्यात

†२२. **श्री सम्पत् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेपयोका-उत्पाद किन देशों को निर्यात किया जाता है ; और

(ख) १९५८ में ऐसा कितना और कितने मूल्य का देशवार निर्यात हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) श्री लंका, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड, बेलजियम और न्यासालैंड ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११**]

दिल्ली में निष्क्राम्य इमारतों की नीलामी

†**२३. श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में दिल्ली में कितनी निष्क्राम्य इमारतें नीलाम की गईं ;

(ख) नीलाम की गई उन इमारतों की संख्या क्या है जिनका कब्जा खरीदारों को दे दिया गया है ;

(ग) नीलाम की गई उन इमारतों की संख्या क्या है जिनका अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) २४५३ ।

(ख) १४६२ ।

(ग) ९९१ ।

(घ) नीलाम की गई सम्पत्ति का कब्जा तभी दिया जाता है जब उनका मल्य नकद अथवा उनके या उनके साथियों के दावों के प्रतिकर में समायोजन कर के चुका दिया जाता है । अधिकतर खरीदार दावेदार ही होते हैं और वे प्रायः सम्पत्ति का मूल्य चुकाने के लिये अन्य दावेदारों को अपने साथ मिला लेते हैं । अकसर ऐसा होता है कि खरीदारों या उनके साथियों ने प्रतिकर के आवेदन पत्र दिल्ली से बाहर दर्ज कराये हुए होते हैं । इसलिये प्रतिकर के आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय करने में समय लगता है । कई बार ऐसा भी हुआ है कि नीलाम में खरीदने वाले नकद अथवा दावों में समायोजन करा कर मूल्य नहीं चुका पाये ।

जम्म और काश्मीर म उद्योग

†**२४. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जम्मू और काश्मीर में चालू किये गये उद्योगों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अभी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई । प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तरों को खाली जगहों की सूचना भेजना

†२५. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
श्री तंगामणि : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके पश्चात् इस बारे में कोई निर्णय किया गया था कि एक विधेयक प्रस्तुत किया जाये जिस के अनुसार सरकार को यह शक्ति प्रदान की जाये कि वह सरकारी और गैर सरकारी नियोजकों को इसके लिये बाध्य कर सके कि वे खाली जगहों की सूचना काम दिलाऊ दफ्तरों को अवश्य भेजें ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: जी हां, शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल में बत्तख फार्म

†२६. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल को एक बड़ा बतख फार्म स्थापित करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

(ग) परियोजना का ब्योरा क्या है ; और

(घ) वहां कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां, गोबरडंगा (मेदिया), २४ परगना, पश्चिमी बंगाल में ।

(ख) योजना की प्रथम प्रावस्था के लिये ७.५० लाख रुपये का ऋण ।

(ग) इस योजना की प्रावस्थाओं को तीन वर्ष में बांटा गया है । पहले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार अंडे देने वाली बत्तखों की संख्या बढ़ायेगी जो पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों को दिये जायेंगे जो अपनी आय बढ़ाने के लिये मुर्गी पालन का कार्य करेंगे । दूसरे वर्ष के पश्चात् विस्थापित व्यक्यिों में लगभग ८००० चूज़ों का वितरण किया जायेगा और तीसरे वर्ष तक केन्द्र में ३००० ऐसी बत्तखें रखी जायेंगी जो अंडे देती हों । फार्म में अंडे और मादा बत्तख विक्रय के लिये उपलब्ध होंगे

(घ) योजना को कार्यान्वित करने का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ।

प्रसारण के प्रभाव का अध्ययन

†२७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि देश भर में यह अध्ययन किया जाये कि प्रसारण का देश के सांस्कृतिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि देश के सांस्कृतिक ढांचे पर प्रसारण के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाये। परन्तु यह काम निधि उपलब्ध होने पर ही किया जा सकेगा क्यों कि इसके लिये योग्य कर्मचारी नियुक्त करने होंगे ।

प्लास्टिक का सामान

†२८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि प्लास्टिक के सामान की आवश्यकता देश में ही पूरी की जा सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या १२**]

भारतीय मानक संस्था

†२९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था ने मीटर प्रणाली को अपनानने के लिये दस वर्षीय योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३**]

खाद्य की उपज में वृद्धि की योजनायें

३०. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पंजाब में खाद्य की उपज बढ़ाने की योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक (वर्षवार) क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४**]

योजना समितियां

†३१. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्य सरकारों ने योजना सम्बन्धी कार्य के लिये सभी दलों के सदस्यों को ले कर समितियां बनाई हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या वे कार्य कर रही हैं ;

(ग) ऐसी समितियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है ;

(घ) इन समितियों की रचना क्या है ;

(ङ) क्या केन्द्र में सभी दलों की समिति ने अभी तक योजना में किसी पहलू पर विचार किया है ; और

(च) यदि हां, तो किन किन मामलों पर विचार किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)**: (क) से (घ). राज्यों में योजना सम्बन्धी समितियां स्थापित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है ।

(ङ) और (च). प्रधान मंत्री ने योजना सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिये अनौपचारिक रूप से कुछ संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई है । अभी तक समिति की कोई बैठक नहीं हुई है ।

औद्योगिक उत्पादन

३२. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में कोई ऐसी कारवाइयां की हैं जिनसे औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में विशेष प्रगति होगी ;

(ख) यदि हां, तो उन कार्रवाईयों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) किन-किन उद्योगों में उत्पादन की प्रगति किस मात्रा में होगी ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). विभिन्न उद्योगों को डेवलपमेंट विंग, टैक्सटाइल कमिश्नर तथा अन्य संस्थाओं जैसे भारतीय मानक संस्था, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् आदि का जो सामान्य मार्ग-दर्शन प्राप्त है, उसके अलावा औद्योगिक विकास पर विशेष रूप से देख रेख रखी जा रही है और सूती वस्त्र, बाइसिकिल, खली घोल कर तेल निकालने, चीनी मिलों की मशीनों, फल संरक्षण आदि अनेक उद्योगों का विशेष अध्ययन तदर्थ समितियों से कराया गया है । छः स्थायी समितियां भी स्थापित की गयी हैं, जो सभी उद्योगों के लिये देश में ही मशीनें बनाने की संभावनाएं खोजेंगी । इन सब उपायों से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी ।

देश में औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ा है, यह औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में हुई वृद्धि से प्रकट होता है ।

आयात लाइसेंस

†३३. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (१) पूंजीगत वस्तुओं और (२) उपभोग वस्तुओं के आयात के लिये कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उक्त दोनों वर्गों के लिये दिये गये लाइसेंस में उनके मूल्य का अनुमान क्या है जिनका प्रयोग नहीं किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जारी किये गये लाइसेंसों के आंकड़े पत्री वर्ष के अनुसार नहीं लाइसेंस देने की अवधि के अनुसार रखे जाते हैं। अक्तूबर, १९५७ से ले कर पूंजीगत वस्तुओं और बिजली के भारी संयंत्रों और उपभोग वस्तुओं के लिये दिये गये लाइसेंसों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

	अक्तूबर, ५७— मार्च, ५८	अप्रैल—सितम्बर, ५८	अक्टूबर, ५८— मार्च, ५९ (१९-१-५९ तक)
			(मूल्य लाख रुपयों में)
पूंजीगत सामान	४,४१७	२,८३६	२,५९०
बिजली के भारी संयंत्र	६५७	८३३	३४६
उपभोग वस्तुयें	१,५१४	१,३५५	अभी उपलब्ध नहीं।

(ख) अनुमान है कि जारी किये गये लाइसेसों में १-६-१९५८ तक लगभग ३३२ करोड़ रुपये का पूंजीगत सामान और लगभग २९० करोड़ रुपये का औद्योगिक तथा उपभोग सामान आयात नहीं किया गया था। औद्योगिक तथा उपभोग सामान के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह देखते हुए कि गत कुछ वर्षों में बहुत कम लाइसेंस दिये गये हैं, आशा है कि उपभोग वस्तुओं के लिये दिये गये सभी लाइसेंस प्रयोग कर लिये जायेंगे।

टिप्पणी : ऊपर दिये गये आंकड़ों में ये शामिल नहीं हैं :—

(१) छोटे बन्दरगाहों जैसे कि विशाखपटनम, राजकोट, पांडीचरी आदि में अप्रयुक्त आयात लाइसेंसों का शेष ;

(२) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेंसों का शेष ;

(३) सरकार द्वारा किये जाने वाले वे निर्यात जिनके लिये लाइसेंस नहीं लेना पड़ता ; और

(४) ऐसे सभी मान्य लाइसेंस जो प्रस्तुत नहीं किये गये एवम् प्रस्तुत किये गये वे लाइसेंस जिनका अंकित मूल्य एक लाख रुपये से कम है और जो १ अक्तूबर, १९५७ से पूर्व जारी किये गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†३४. { **श्री कोडियान :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना अवधि के आरम्भ होने के बाद राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने कुल कितनी राशि दी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५**]

चर भूमि

३५. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री बोडयार :
श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुगन्धी :
श्री आगड़ी :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार के तिस्ता-पेस्ता की चर भूमि पर पाकिस्तानियों ने हाल ही में अधिकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). १४ दिसम्बर, १९५८ को पच्चीस पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने ग्राम झार सिंहेश्वर, थाना हल्दीवारी, कूच बिहार के तीस्ता-पायेस्ती की चर भूमि पर अधिकार कर लिया । भारतीय पुलिस के पहुंच जाने पर वे क्षेत्र को छोड़कर चले गये ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार के पास कड़ा विरोध-पत्र भेजा है और ऐसे रक्षात्मक उपाय बरते हैं कि इस तरह का अतिक्रमण फिर न हो ।

हथकरघा गवेषणा संस्था, बम्बई

†३६. **श्री वारियर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथ करघा गवेषणा संस्था, बम्बई द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) १९५८ में इस संस्था पर कितनी राशि खर्च की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई संस्था स्थापित नहीं की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काम दिलाऊ दफ्तर

†३७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री द० अ० कट्टी :
श्री राम कृष्ण :
श्री ओझा :
श्री पांगरकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि :

(क) १९५८ में काम दिलाऊ दफ्तरों में (राज्यवार) कुल कितने व्यक्ति रजिस्टर किये गये ;

(ख) उसी अवधि में काम दिलाऊ दफ्तरों को (राज्यवार) कुल कितनी खाली नौकरियों की सूचना भेजी गई ;

(ग) उक्त अवधि में वास्तव में कुल कितने (राज्यवार) व्यक्तियों को नौकरियां दिलाई गईं ;

(घ) क्या काम ढूढ़ने वालों की व्यावसायिक बांट में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ङ) १९५८ में अनुसूचित जातियों के कितने लोगों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन कराया था और उस वर्ष कितनों को नौकरी मिली थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ङ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबध संख्या १६]**

विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

†३८. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमालपुर के कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने कमालपुर सब-डिवीजन में खस भूमि के एक बहुत बड़े टुकड़े का पता लगाया है जो कमालपुर के लगभग ३०० विस्थापित परिवारों को आवंटित किया जा सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग). कमालपुर सब-डिवीजन में खस भूमि के एक टुकड़े का सुझाव दिया है जिसका क्षेत्रफल लगभग एक मील है। उस में जंगल और बहुत से टीले हैं। यह पता लगाने के लिये कि क्या वह विस्थापित व्यक्तियों के

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास के लिये उपयुक्त है या नहीं, सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। सर्वेक्षण आदि में सहायता करने के लिये वहां ५० परिवारों को भेजा जा रहा है।

मीरथल (पंजाब) में न्यूजप्रिंट और सल्फाइट सैल्यूलोज की मिलें

†३६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में मीरथल स्थान पर अखबारी कागज का कारखाना और सलफाइट सैल्यूलोज मिल की स्थापना करने की योजना किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** अभी इस पर विचार किया जा रहा है।

कच्ची फिल्मों का आयात

†४०. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८ के पूर्वार्द्ध में कच्ची फिल्मों का कुल कितना आयात किया गया ;

(ख) इस में से राज्य व्यापार निगम ने कितना आयात रुपया मुद्रा के बदले में दिया ; और

(ग) चालू आधे वर्ष (१६५६) में कितना आयात करने की प्रत्याशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री):** (क) जुलाई-अक्तूबर, १६५८ में कुल ७,७६,६२,००० फुट फिल्म का आयात किया गया था। नवम्बर और दिसम्बर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) ४,६६,३३,७३६ फुट।

(ग) चालू आधे वर्ष में दिये जाने वाले आयात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

विलियर्स कोयला खान, तालचेर

†४१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर के विलियर्स कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी की कोई बकाया राशि वहां के प्रबन्धकों से वसूल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बकाया राशि प्राप्त की गई ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त समवाय की अस्तियों की जांच की है; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उक्त समवाय की आस्तियों में से श्रमिकों की बकाया राशियां चुकाई जा सकती हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के अधीन प्रबन्धकों के खिलाफ बकाया मजूरी वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित मजूरी भुगतान प्राधिकारी ने ३.१६ लाख रुपये का भुगतान करने का निदेश दिया था। प्रबन्धकों से वास्तव में कितनी राशि वसूल की गई इस बारे में जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में हथकरघा उद्योग

†४२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पंजाब में किन-किन स्थानों पर हथकरघा उद्योग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; और

(ख) पंजाब में किन-किन स्थानों पर हथकरघा गवेषणा और डिज़ाइन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

कोयला खान श्रमिकों का शिक्षण

†४३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान में कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की सहायता से कोयला खान श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में उस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस संस्था ने ४२ वयस्क शिक्षा केन्द्र स्थापित किये थे और १९५५–५६ की समाप्ति तक ३,६७१ वयस्कों को पढ़ना लिखना सिखाया गया।

(ख) ५,३९,८३१ रुपये ।

चिकित्सा की आयुर्वेदिक तथा आधुनिक प्रणालियां

†४४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि में से आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के औषधालयों पर (अलग-अलग) कितनी राशि खर्च की गई थीं ; और

(ख) उनमें, अलग-अलग, कुल कितने व्यक्तियों का उपचार किया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख).

	व्यय	उपचार कराने वालों की संख्या
(१) आयुर्वेदिक औषधालय	शून्य	शून्य
(२) आधुनिक चिकित्सा प्रण लियों के औषधालय तथा अस्पताल	१,१४,४६,७६० रुपये	१,५६,८४८

विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिये निवास-स्थान

४६. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में भारत के दूतावासों के अपने निवास-स्थान हैं;

(ख) कितने देशों में दूतावासों के लिये निवास-स्थान किराये पर लिये गये हैं ;

(ग) किराये पर लिये गये निवास-स्थानों पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(घ) दूतावासों के लिये निवास-स्थान बनाने के सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) निम्नलिखित देशों में भारत की अपनी इमारतें हैं :—

(१) **मिशनों के प्रधानों के निवास-स्थान के लिये** : आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बर्मा, कनाडा, चीन, श्री लंका, फ़्रांस, होलैंड, हिंदेशिया, जापान, नेपाल, सिंगापुर, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब गणराज्य, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका ।

(२) **कुछ अधिकारियों और/अथवा कर्मचारियों के निवास-स्थान के लिये** : आस्ट्रेलिया, बर्मा, ब्रिटिश ईस्ट अफ़्रीका, चीन, होलैंड, हिंदेशिया, जापान, नेपाल, सिंगापुर, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम ।

(३) **कार्यालय के लिये** : कनाडा, चीन, फ़्रांस, नेपाल, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, संयक्त राज्य अमरीका ।

(ख) साठ देश ।

(ग) आशा की जाती है कि विदेशस्थित भारतीय केन्द्रों के कब्जे में जो इमारतें (पट्टे पर/मिल्कियत) हैं, उनके किराये और रख रखाव पर, १९५८–५९ के दौरान में ६८,३६,१०० रुपये तक व्यय बैठेगा ; इसमें लंदन और डबलिन स्थित केन्द्रों की इमारतों का व्यय शामिल नहीं है, क्योंकि उनके लिये अलग आंकड़े सुलभ नहीं हैं ।

(घ) कराची में चांसरी की इमारत का, और काठमांडू में कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण-कार्य चालू है । आशा है कि अंकारा, ग्यांत्से, गर्तोक, ल्हासा और टोकियो में निर्माण-कार्य १९५९ में शुरू हो जायेगा । अंकरा, कैनबरा, अदिस अबाबा, चीन और ट्रिनिडाड में इमारतें बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, और आशा है कि काम यथासमय शुरू हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती सुधा जोशी की रिहाई

†४७. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **प्रधान मंत्री** १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, जो श्रीमती सुधा जोशी की रिहाई के बारे में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य दूतावास के श्री सालह अल-आबिद से प्राप्त प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अब तक इन प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) सालह अल-आबिद से काफी विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मुख्यतः उस में यही बताया गया है कि श्री आबिद ने गोआ में भारतीय बन्दियों की रिहाई के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये हैं। उन्होंने पुर्तगाली प्राधिकारियों के साथ भारत सम्बन्धी अन्य कई मामलों पर भी बात-चीत की थी। अन्य बातों के अतिरिक्त प्रतिवेदन में भारतीय माहीगीरों के प्रत्यावर्तन, भारतीयों के गोआ आने जाने और पुर्तगाली बस्तियों में प्रकाशित सामग्री भेजने का उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में उन समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है जो भारत के में पुर्तगाली बस्तियों में पेनशनों के वितरण और भारत सरकार के पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों को मर्गाओं में वेतन प्राप्त करने के सिलसिले में उत्पन्न होती हैं।

श्री आबिद का वहां जाने का मूल उद्देश्य भारत के राजनीतिक कैदियों से मिलना और उनकी रिहाई के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना ही था। गोआ में चार भारतीय बन्दियों में से तीन का स्वास्थ्य ठीक है। श्री गुटंक बीमार थे परन्तु अब उनका स्वास्थ्य सुधरने की सूचना मिली है। बन्दियों को प्रायः व्यायाम के लिये पर्याप्त समय दिया जाता है और उन्हें इसके सिवाय और कोई शिकायत नहीं थी कि उन्हें उनकी पसन्द की पुस्तकें नहीं दी जातीं। श्री मोहन लक्ष्मन रानाडे के अतिरिक्त शेष सभी बन्दियों से पुर्तगाली प्राधिकारियों को सहानुभूति है और वे उनकी रिहाई चाहते हैं।

(ख) और (ग). सरकार सभी प्रकार से प्रयत्न कर रही है और आशा करती है कि पुर्तगाल सरकार बिना और विलम्ब किये सामान्यतः सभी भारतीय बन्दियों और विशेषकर श्रीमती सुधा जोशी को जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रिहा कर देगी।

होटल जनपथ

†४८. **श्री अंसार हरवानी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल जनपथ में भोजन व्यवस्था का काम एक गैर-सरकारी व्यक्ति को सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी हां।

(ख) विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले प्रतिष्ठानों में भोजन व्यवस्था का काम प्रायः गैर-सरकारी व्यक्तियों को ही उन शर्तों पर सौंपा जाता है जिन पर मंत्रालय और व्यवस्था करने वाले सहमत हों।

हथकरघा उत्पादों पर अवहार

†४९. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५८ के पश्चात् जिला नासिक में हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाओं द्वारा बेचे गये हथकरघा वस्त्र पर उन संस्थाओं को अवहार नहीं दिया गया है हालांकि वे कई बार इसकी मांग कर चुकी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अवहार का भुगतान न करने के कारण हथकरघा वस्त्र के उत्पादन को हानि पहुंची है ;

(ग) इसका भुगतान कब तक होने की सम्भावना है ; और

(घ) अवहार की कुल कितनी राशि बकाया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कुथ (कांस्ट्स) तेल

†५०. **श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुथ तेल का वार्षिक उत्पादन (राज्य-वार) कितना है ;

(ख) कुथ तेल का वार्षिक निर्यात (देश-वार) कितना है ; और

(ग) देश के बाजार में वह किस भाव पर बिकता है और विदेशी बाजारों में से उसका क्या मूल्य प्राप्त होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). भारत में कुथ तेल का उत्पादन थोड़ी मात्रा में होता है तथा उसका फ्रांस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है। उसका भाव ८०० रुपये से ले कर १००० रुपये प्रति पौंड तक रहता है। उत्पादन, निर्यात की मात्रा और विदेशों के भाव के सम्बन्ध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कुथ (औषधीय जड़ी बूटी)

†५१. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से विदेशों को १९५२ से १९५८ तक वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी मात्रा में कुथ (औषधीय जड़ी बूटी) का निर्यात किया गया ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) आयात करने वाले देश कौन से हैं तथा उसका प्रयोग किन प्रयोजनों के लिये किया जाता है ; और

(ग) उससे विदेशों से कितनी आय होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क)

वर्ष	मात्रा हंडरवेटों में
१९५३ (अप्रैल से दिसम्बर)	११०४
१९५४	४१८१
१९५५ .	४५७२
१९५६ .	३४१६
१९५७ . . .	२९६३
१९५८ (जनवरी से नवम्बर)	२७०६

अप्रैल, १९५३ से पहले के निर्यातों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है । राज्य-वार निर्यातों सम्बन्धी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सिंगापुर, हांगकांग, बर्मा, चीन, लंका और फ्रांस । ज्ञात हुआ है कि कुथ का प्रयोग मुख्यतः मन्दिरों में सुगंध-सामग्री के रूप में किया जाता है ।

(ग) औसत नौ० प० नि० (नौतल पर्यन्त निःशुल्क) निर्यात मूल्य लगभग २३० रुपये प्रति हन्डरवेट है ।

मेघलीबन्द चाय बागान

†**५२. श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेघलीबन्द चाय बागान के मजदूरों और मालिकों के बीच झगड़े के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए दिसम्बर, १९५८ में एक त्रिदलीय बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी बैठक का क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) कोई अन्तिम समझौता नहीं हो सका । पारस्परिक समझौते के लिए और प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखना चाहता हूं ।

विवरण

(क) से (घ). सरकार की जानकारी में यह बात आई कि हाल में बम्बई की दो फर्मों-- मेसर्स फेडको प्राइवेट लिमिटेड (२८.७५ लाख रुपये) और मेसर्स वेकफील्ड प्राइवेट लिमिटेड

†मूल अंग्रेजी में

(१६ लाख रुपये)—को ४४.७५ लाख रुपये के लाइसेंस जारी किए गये थे जैसा कि सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिये था। वे लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं और उन परिस्थितियों की जांच की जा रही है जिनके अन्तर्गत वे जारी किये गये थे। अन्तिम कार्यवाही जांच के परिणामों पर निर्भर होगी।

स्थगन प्रस्ताव

रज़ा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में तालाबन्दी

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री स० म० बनर्जी के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें रामपुर की रज़ा तथा बुलन्द शुगर मिल्स में तालाबन्दी के कारण ३,००० मजदूरों की बेकारी और चीनी के उत्पादन में ६,००० मन प्रति दिन की कमी के सम्बन्ध में बताया गया है। मज़दूरों को जनवरी, १९५९ तक का वेतन अभी नहीं दिया गया है। क्या माननीय मंत्री को कुछ कहना है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री अपना भाषण आरम्भ करें उससे पहले मेरा यह निवेदन है कि इस संघ के जनरल सेक्रेटरी न्यायनिर्णयन के लिये कुछ मामले भेजने का बराबर प्रयत्न करते रहे हैं।

गड़बड़ी इस तरह से आरम्भ हुई। मिल के प्रबन्धकों ने जब कुछ समझौतों को भंग कर दिया तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन दोनों मिलों के मालिक डालमिया हैं। भूख हड़ताल के १५ दिन पश्चात् उन्हें खून की उल्टी हुई और उनका वज़न ३२ पौंड कम हो गया। मिल के डाक्टर ने भी इसका प्रमाण पत्र दिया है। मज़दूरों ने काम बन्द कर दिया। इसके पश्चात् मालिकों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी और जनवरी, १९५९ का वेतन देने से इन्कार कर दिया। मेरा निवेदन है कि यह सब केवल इसलिये किया गया जिससे चीनी मिल मजदूर संघ, जिसके प्रधान श्री शिब्बन लाल सक्सेना हैं, के विरोध में आई० एन० टी० यू० सी० को बढ़ाव दिया जा सके। राज्य सरकार तक आई० एन० टी० यू० सी० को बढ़ावा देने के लिये पक्षपात से काम करती है। मैं चाहता हूं कि सचाई की जानकारी के लिये निष्पक्ष जांच की जानी चाहिये।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : चीनी उद्योग से सम्बन्धित औद्योगिक मामले राज्यों के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इस हड़ताल तथा तालाबन्दी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तथा पटल पर रखी जा सकती है।

आई० एन० टी० यू० सी० की सदस्यता के बारे में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पता है कि पिछले वर्ष हड़ताल की गई थी और उसमें पता लगा था कि चीनी उद्योग में आई० एन० टी० यू० सी० की सदस्य-संख्या उस संघ से, जिसकी ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है, अधिक है। इसलिये यह कहना ग़लत है कि कोई पक्षपात किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रस्ताव को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। माननीय मंत्री यथासंभव शीघ्र जानकारी उपलब्ध करके सभा पटल पर रख देंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मोहम्मद इलियास (हावड़ा) : मेरा एक निवेदन है कि हमने पश्चिमी बंगाल के खाद्य स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। हमें अभी पता लगा कि आपने उसकी अनुमति नहीं दी है। मुझे यह कहना है कि हम जो भी स्थगन प्रस्ताव देते हैं, उसको उठाने की आप अनुमति नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं कि खाद्य मंत्री इस के सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे आज ध्यान दिलाने के प्रस्ताव पर वक्तव्य देने के लिये कहा है।

†श्री मोहम्मद इलियास : लेकिन ध्यान दिलाने के प्रस्ताव पर हम कुछ नहीं बोल सकते। माननीय मंत्री जो कुछ कहेंगे हम उसे केवल सुनेंगे और कोई आपत्ति नहीं कर सकेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि स्थगन प्रस्ताव एक साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभा का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और चर्चा उठाई जा सकती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चर्चा उठाने की यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। स्थगन प्रस्तावों को उठाने की अनुमति देने या न देने का निर्णय करना मेरा काम है। जब तक मैं उसके कारणों से संतुष्ट नहीं हो जाता हूं तब तक स्थगन प्रस्ताव को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वह मुझ से मिलें और मुझे अपनी बात बतायें। कल भी जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखे थे, वे सभी मेरे पास आये थे और वे इस बात को मान गये थे कि मेरा निर्णय ठीक ही था। खाद्य के विषय पर चर्चा करने के कई अवसर मिलेंगे।

विशेषाधिकार-भंग सम्बंधी प्रस्ताव

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें

†श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं सभा के विशेषाधिकार-भंग एक मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री के भूतपूर्व विशेष सहायक, श्री एम० ओ० मथाई ने प्रधान मंत्री के नाम अपने एक पत्र में कुछ बातें कही हैं जो इस प्रकार हैं :

> "किन्तु हमारी संसद् और हमारे समाचार पत्रों में तथ्यों की जांच पड़ताल किये बिना सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप करने की निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति का बहुत ही हतोत्साहक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार की शोचनीय स्थिति में आत्म सम्मान रखने वाले बहुत कम व्यक्ति सरकारी नौकरियों अथवा सार्वजनिक जीवन में जाना चाहेंगे।"

यह इस सभा पर एक भारी आरोप लगाया गया है। श्री मथाई का आरोप है कि सभा तथ्यों की सचाई का पता लगाये बिना ही सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप कर देती है। इससे पहले विशेषाधिकार-भंग के जिस मामले पर हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें केरल के मुख्य मंत्री ने सभा के कुछ ही सदस्यों पर आरोप लगाया था, लेकिन श्री मथाई का आरोप तो समूची सभा पर किया गया है। भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने, प्रधान मंत्री की अनुमति से, इस पत्र को सार्वजनिक रूप से परिचालित भी कर दिया है। प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में बड़ी स्पष्टवादिता से उत्तर दिया है और कहा है कि श्री मथाई ने उस पत्र को सार्वजनिक बनाने की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुमति का प्रश्न एक गलत वक्त पर रखा था। एक ऐसे वक्त पर जब उनके दिल में गुस्सा था। बताया जाता है कि प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि श्री मथाई बहुत से मूर्खता-पूर्ण काम करते रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि श्री मथाई ने सबसे बड़ी मूर्खता का काम यही किया है। . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि नियम २२५ के अन्तर्गत व्यवस्था यह है कि कार्य-सूची के क्रमानुसार कार्यवाही आरम्भ करने से पहले, विशेषाधिकार-भंग का प्रश्न उठाने वाले माननीय सदस्य को उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देने के लिये कहा जायेगा। वक्तव्य संक्षिप्त और संगत होना चाहिये। यहां चर्चा का विषय श्री मथाई का सामान्य आचरण नहीं, बल्कि उनका एक वक्तव्य विशेष ही है। उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य काफ़ी कह चुके हैं। इसके अलावा एक समय में एक ही प्रश्न उठाया जाना चाहिये।

†**श्री बाजपेयी :** श्री मथाई के वक्तव्य में बड़े स्पष्ट ढंग से सभा के विशेषाधिकार को भंग किया गया है। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर विचार करे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैंने भी एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : मैंने भी इस पर एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या आप मुझे भी एक वक्तव्य देने की अनुमति देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नियम २२४ के अन्तर्गत, सभा की एक बैठक में विशेषाधिकार-भंग का एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यदि अन्य प्रस्ताव भी इसी विषय से सम्बधित होंगे तो मैं प्रत्येक को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा केवल एक को ही अनुमति दी जा सकती है, और मैं श्री वाजपेयी को इस प्रश्न को उठाने का अवसर दे चुका हूं। इस अवस्था पर सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि अनुमति मिल जायेगी तो फिर नियम २२६ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा जायेगा और उस अवस्था पर माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इससे पहले जब विशेषाधिकार-भंग का एक प्रश्न रखा गया था, तब कई माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई थी। उस विषय के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे थे। पता नहीं इस अवसर पर आपके इस विनिर्णय का क्या अर्थ हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने सिर्फ यही कहा है कि अभी इस अवस्था पर, मैं नियम २२५ के अन्तर्गत, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति उठाई जायेगी तो उसको सुनूंगा। उसके बाद यदि इस प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है, तो अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का उचित अवसर दिया जायेगा।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : आपत्ति तो तभी की जाती सकती है जब हमारी पूरी बात सुन ली जाये।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या प्रधान मंत्री के भाषण के बाद, हमें अपनी बात कहने की अनुमति दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस अवसर पर केवल एक ही व्यक्ति को ऐसी अनुमति दी जा सकती है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** इस विषय के और भी तो कई पहलू हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी इस समय तो हमें केवल श्री वाजपेयी द्वारा रखे गये विशेषाधिकार प्रस्ताव से मतलब है । यदि इसकी अनुमति नहीं मिलती तो इसी प्रश्न को इस सत्र में फिर से नहीं उठाने दिया जा सकता । यदि इस विषय पर चर्चा हुई तो मैं सभी सदस्यों को जिन्होंने ऐसे प्रस्तावों की सूचना दी है बोलने का अवसर दूंगा । इस अवस्था पर तो सिर्फ यही किया जा सकता है कि इस प्रस्ताव को अनुमति मिलने पर, इस विषय से सम्बन्धित इस प्रकार के अन्य प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया जाये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** लेकिन कुछ बातें ऐसी भी तो हो सकती हैं, जिन्हें प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देने के पहले जानना ही चाहिये । तभी वह ठीक ढंग से उत्तर दे सकेंगे । एक प्रेस सम्मेलन में वह इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दे भी चुके हैं। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित था कि संसद् की बैठक शुरू होने से पहले वह ऐसा वक्तव्य देते। लेकिन अब जब प्रधान मंत्री सभा के समक्ष भाषण देने जा रहे हैं, तो उन्हें उससे पहले हमारे दृष्टिकोण भी तो जानने चाहियें।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : यह सही है कि कई माननीय सदस्यों ने एक दूसरे से मिलते जुलते प्रस्ताव पेश किये हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके अलग-अलग दृष्टिकोण हों। इसलिये यह जरूरी है कि प्रधान मंत्री अपना उत्तर देने से पहले उन सभी दृष्टिकोणों को भी सुन लें। उदाहरण के लिये, मेरा अपना दृष्टिकोण इन सभी से भिन्न है। मैं तो समझता हूं कि श्री मथाई का आरोप सीधा आप पर ही है कि आप संसद्-सदस्यों को ऐसे निराधार आक्षेप करने की अनुमति देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही साथ, नियमों का भी कड़ाई से पालन करना चाहिये। मैंने यह तो नहीं कहा कि अन्य प्रस्तावों को लिया ही नहीं जायेगा।

नियम २२४ में व्यवस्था है कि एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं लिया जायेगा। इस सत्र में कई बैठकें होंगी, अन्य प्रस्ताव अन्य बैठकों में एक-एक करके लिये जा सकते हैं। आज तो इस प्रस्ताव को ही निबटाना है।

†**श्री वें० प० नायर :** नियम में व्यवस्था यह है कि एक बैठक में एक ही प्रश्न लिया जाये, उसमें यह तो प्रतिबन्ध नहीं है कि एक बैठक में एक ही प्रश्न को कई माननीय सदस्य नहीं उठा सकते।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियम २२५ को देखिये। उसमें व्यवस्था है कि सम्बन्धित माननीय सदस्य से उस पर बोलने के लिये कहा जायेगा। मैंने श्री वाजपेयी को इस प्रश्न को उठाने दिया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैंने भी तो एक प्रस्ताव रखा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन इस अवस्था पर तो मैं उस पर बोलने के लिये नहीं कह सकता। हां, यदि नियम २२५ के अन्तर्गत सभा उसकी अनुमति देगी तो मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने, उनके अपने हिसाब से, एक विशेषाधिकार प्रश्न उठाया है, जिसमें कहा गया है कि सभा का अवमान हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अनौचित्य और विशेषाधिकार-भंग में विभेद किया जाये।

जहां तक मेरा ख्याल है मैं तो यह समझता हूं कि यहां जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है वे खेदजनक हैं और उचित भी नहीं हैं। लेकिन यह तो दूसरी बात है। मुझे बताया गया है कि श्री मथाई ने कुछ समय पहले आपको एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने स्वयं अपनी शब्दावली पर हार्दिक खेद प्रकट किया है और कहा है कि उन्होंने किसी एक खास मनोदशा में ही वे शब्द प्रयोग कर दिये थे, पर इस सभा की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने का उनका कोई भी मंशा नहीं था।

इस सम्बन्ध में, मेरा कहना यह है कि किसी बात का अनुचित या अवांछनीय होना एक बात है और उससे विशेषाधिकार भंग होना दूसरी बात है। हमें इन दोनों को एक नहीं मान लेना चाहिये। दोनों अलग-अलग बातों को मिलाना नहीं चाहिये। मुझे श्री मथाई के इन शब्दों पर खेद है, और जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने भी अपने शब्दों पर हार्दिक खेद प्रकट किया है। मैं तो सिर्फ यही समझता हूं कि यह प्रश्न अनौचित्य का प्रश्न ही है। वे शब्द अनुचित हैं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन शब्दों से सभा के विशेषाधिकार-भंग का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो जाता है।

मैं अपनी राय ही रख रहा हूं। यह इसलिये कि जब इस मामले का कुछ उल्लेख किया गया था तो मुझे यह पता भी नहीं था कि यह प्रश्न इसी समय सभा में उठाया जायेगा। यदि मुझे मालूम होता, तो मैं इससे सम्बन्धित कुछ कागजात भी ले आता। जब मैंने सुना कि इस प्रश्न को सभा में उठाने की बात सोची जा रही है तो मैंने ऐसे मामले के पूर्व-दृष्टांतों को जानने की कोशिश की कि ऐसे मामलों में क्या किया जाता है। इसीलिये मैंने संसदीय संवैधानिक और विधि की दृष्टि से इस मामले की जांच कराई। और उस जांच से कम से कम मुझे यह लगता है कि इसे सभा का विशेषाधिकार-भंग या सभा के अवमान का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मैं तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि श्री मथाई की टीका अनुचित है और अवश्य है, पर उसे सभा के विशेषाधिकार-भंग का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। उससे सभा की या आपकी प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं लगता। एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि श्री मथाई का आरोप आप पर है। मेरे पास इस समय वे कागजात नहीं हैं, लेकिन मुझे वे शब्द याद हैं।

उनमें यही कहा गया था कि संसद् में एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि बिना किसी जांच पड़ताल के ही आक्षेप लगा दिये जाते हैं या वक्तव्य दे दिये जाते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : और अध्यक्ष महोदय उसकी अनुमति दे देते हैं, इसका मतलब तो यही निकलता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस विषय में तर्क नहीं करना चाहता । मैं केवल अपनी राय बता रहा हूं । मेरी राय यही है कि श्री मथाई के शब्द दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक तो हैं, और मुझे उन पर खेद है और श्री मथाई ने भी खेद प्रकट किया है, लेकिन उनसे सभा का विशेषाधिकार भंग नहीं होता । जहां तक मेरी अपनी जानकारी है इससे पहले इनसे अधिक कड़े शब्दों को सभा के विशेषाधिकार-भंग का मामला नहीं माना गया है । लेकिन इसका निर्णय तो आप ही करेंगे ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या इसका मतलब यह है कि प्रेस सूचना विभाग को भी उस के उत्तरदायित्व से छुटकारा दे दिया गया है ? उसने भी तो विशेषाधिकार-भंग किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस समय हमारा इससे कोई मतलब नहीं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मुझे इस विषय में बोलने दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियम के अनुसार, पहले तो मुझे यही पूछना है कि क्या इस प्रस्ताव के रखने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति है या नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आपत्ति की बात तो मैं नहीं जानता । मैं तो आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं, इससे अधिक कुछ नहीं । मैं न तो इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति करना चाहता हूं और न सहमति ही प्रकट करना चाहता हूं । मैं तो आपके सामने, आपके निर्णय के लिये ही, कुछ विचार रख रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियमों के अनुसार, आपत्ति सभा ही कर सकती है । यह सही है कि श्री मथाई ने मेरे पास एक पत्र भेजा था । श्री मथाई के पत्र में कहा गया है कि "यदि लोक-सभा यही निर्णय करना ठीक समझती है कि मैं ने संसद् की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है, तो मैं यह कहने को तैयार हूं कि मेरा वैसा कोई भी मंशा नहीं था और मैं उस पर अपना हार्दिक खेद प्रकट करता हूं । एक नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि भारत में संसद् की सर्वोच्च सत्ता कायम रहे, खास तौर से इन दिनों जब कि पड़ोस के कुछ देशों में संसदीय प्रणाली को असफलता बना दिया गया है ।"

अब जो माननीय सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों वे अपनी जगह खड़े हों । अनुमति दिये जाने के लिये कम से कम पच्चीस सदस्यों को खड़ा होना चाहिये ।

(पच्चीस से अधिक सदस्य खड़े हुए)

†**अध्यक्ष महोदय :** अब नियम २२६ के अनुसार, इस प्रश्न का निर्णय सभा द्वारा ही करने या इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री मथाई के इस पत्र को भी ध्यान में रखें जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है ।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : मेरा प्रस्ताव है कि इसे विशेषाधिकार समिति को प्रतिवेदन के लिये सौंप दिया जाये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : मेरा प्रस्ताव है कि सभा ही इसका निर्णय करे और श्री मथाई को सभा के समक्ष बुलाया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री ही० ना० मुकर्जी अब अपना प्रस्ताव रख सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जो :** मेरा प्रस्ताव यह है कि प्रधान मंत्री के सचिवालय के भूतपूर्व कर्मचारी, श्री एम० ओ० मथाई, द्वारा समाचार पत्रों को दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार प्रश्न को, प्रतिवेदन के लिये, विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

हम व्यक्तिगत रूप से श्री मथाई को और अधिक नीचा दिखाने में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन हां इस मामले के सैद्धान्तिकपक्ष को तो सामने रखना ही पड़ेगा ।

आपने अभी बताया है कि श्री मथाई ने आपको लिखे गये अपने पत्र में अपने वक्तव्य के बारे में, अपने ही खास ढंग से, खेद प्रकट किया है । उन के वक्तव्य से सभा की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है, उसे देखते हुए वह अपर्याप्त है । श्री मथाई ने, प्रधान मंत्री की अनुमति से, देश के समाचार पत्रों में कई वक्तव्य प्रकाशित कराये हैं । आपने एक पत्र में उन्होंने संसद्-सदस्यों पर सीधे-सीधे और अध्यक्ष महोदय पर अप्रत्यक्ष ढंग से आरोप लगाये हैं । उसमें उन्होंने संसद् और समाचार पत्रों की टीका की है कि वे गैर-जिम्मेदाराना ढंग से सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप लगाते हैं । यह आक्षेप अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालित सभा की कार्यवाही पर भी है । श्री मथाई का ख्याल है कि संसद् की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चलाई जाती । स्पष्ट ही, यह आक्षेप अध्यक्ष महोदय पर भी आता है । यह बड़ी गम्भीर बात है ।

मैं उन माननीय सदस्यों के सुझावों से सहमत नहीं हूं जो चाहते हैं कि श्री मथाई को सभा के समक्ष पेश किया जाये । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसलिये मैं चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति में इस पर काफी गहराई से विचार किया जाये । समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही सभा इस का निर्णय करेगी ।

इसके अलावा, श्री मथाई ने संसद्-सदस्यों पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्हें असलियत या सचाई का पता लगाये बिना ही सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप करने की आदत सी बन गई है ।

उनका कथन है कि यदि इस "आदत" को छूट दी गई तो कोई भी आत्म-सम्मानी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं बनना चाहेगा । आत्म-सम्मानियों की श्रेणी में वह अपने जैसे लोगों को रखते हैं । ध्यान देने की बात यह है कि यह एक ऐसे व्यक्ति ने उस समय लिखा था जबकि वह स्वयं सरकारी कर्मचारी था ।

और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी उन्हें ऐसे वक्तव्य प्रकाशित कराने की अनुमति दे दी गई थी ।

प्रधान मंत्री ने श्री मथाई के आरोपों को अनुचित ही माना है । वह इन्हें सभा का विशेषाधिकार-भंग का प्रश्न नहीं मानते । वह नहीं मानते कि इन शब्दों से सभा का अपमान हुआ है । मैं कहता हूं कि यह सभा के विशेषाधिकार-भंग का प्रश्न है ।

मेरा ख्याल है कि श्री मथाई के वक्तव्य संसदीय विशेषाधिकार सम्बन्धी विधि के क्षेत्राधिकार म आ जाते हैं । इसलिये श्री मथाई के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । मेरा प्रस्ताव है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

मैं प्रस्ताव करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"कि १० फरवरी, १९५९ को कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सभा का ध्यान प्रधान मंत्री के विशेष सहायक श्री एम० ओ० मथाई द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गये एक पत्र की ओर आकर्षित किये जाने पर, जो प्रधान मंत्री के सचिवालय और भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग द्वारा १७जनवरी, १९५९ को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसमें श्री एम० ओ० मथाई ने अन्य बातों के साथ यह कहा था ;

'किन्तु, हमारी संसद् और हमारे समाचार-पत्रों में तथ्यों की जांच पड़ताल किये बिना सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप करने की निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति का बहुत ही हतोत्साहक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार की शोचनीय स्थिति में आत्म-सम्मान रखने वाले बहुत कम व्यक्ति सरकारी नौकरियों अथवा सार्वजनिक जीवन में जाना चाहेंगे ।'

यह सभा संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो इस बात की जांच करके अपना प्रतिवेदन दे कि क्या श्री एम० ओ० मथाई की उक्त बात, जो कि प्रधान मंत्री के सचिवालय और भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गयी है, संसद्-सदस्यों और लोक-सभा के अध्यक्ष के लिये मानहानिकारक है और क्या इससे संसद् का अवमान हुआ है और इस बात की सिफारिश भी करे कि इस मामले में सभा और क्या कदम उठाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

मैंने अपनी राय प्रकट कर दी है कि जहां तक मैं समझता हूं कि किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। पर चूंकि आप ने यह प्रस्ताव गृहीत कर लिया है अतः उचित यही होगा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जो इस पर पूरी तरह विचार करे।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं उसे सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मुझे एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा निश्चय करती है कि श्री एम० ओ० मथाई को, उन के ऊपर विशेषाधिकार-भंग का जो आरोप लगाया गया है उसका उत्तर देने के लिये, सभा के समक्ष बुलाया जाये और दण्ड दिया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

अब मूल प्रस्ताव और स्थानापन्न प्रस्ताव दोनों सभा के सामने हैं ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं सभा का और प्रधान मंत्री का ध्यान एक-दो बातों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

मुझे स्मरण है कि २७ नवम्बर, १६५८ को प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि,

> "मैं समझता हूं कि इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि यदि इस सभा के किसी सदस्य के प्रति वचन कहे जाते हैं या ऐसी कोई बात होती है जिससे सभा के विशेषाधिकारों पर आघात होता है तो इस सभा के प्रत्येक समूह तथा दल का यह कर्तव्य है कि वह सभा की रक्षा करे और ऐसी बातों को होने से रोकने के लिये कदम उठाये। हम सभी इस सभा के सम्मान से सपर्द्धा करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है वैसे चाहे हममें कितना भी मतभेद क्यों न हो।"

इस बात को घ्यान में रखते हुए हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि हमें सभा के सदस्यों के विशेषाधिकरों तथा इस सभा के अध्यक्ष व राज्य सभा के सभापति के पद के सम्मान की रक्षा करनी है। समाचार पत्रों द्वारा इस बात का प्रचार देश में तथा बाहर भी हो चुका है। अतः इस सभा के लिये आवश्यक है कि वह इस मामले पर विचार करे और ऐसा कदम उठाये कि भविष्य में संसद् के लिये ऐसे अपमानजनक वचन फिर न कहे जायें।

श्रीमान्, इस बात द्वारा केवल संसद् के सदस्यों पर ही आरोप नहीं लगाया गया है बल्कि आप पर भी आरोप लगाया गया है क्योंकि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३५३ में कहा गया है कि :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके।"

हम सभी सदस्य और विशेष रूप से विरोधी दल के सदस्य सदा इस बात का घ्यान रखते हैं। हम जानते हैं कि यदि सभा का एक भी सदस्य अपनी सीमा के बाहर जाता है तो केवल वह सदस्य ही सीमा का उल्लंघन नहीं करता बल्कि सम्पूर्ण सभा के सम्मान को धक्का लगता है।

अतः हम लोग जो सभा के औचित्य का घ्यान रखते हैं और आप के आदेशों का पालन करते हैं, चाहते हैं कि श्री एम० ओ० मथाई ने सभा के सदस्यों के प्रति जो अपमान जनक वचन कहे हैं उस पर समुचित कार्यवाही की जाये।

मैं आप का घ्यान "में" की "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। पृष्ट १२५ पर कहा गया है कि तिरस्कारपूर्ण अपमान, झूठी निन्दा और अश्लील विशेषणों के लिये अपमान वचन कहने वाले को दोनों सभायें दण्ड देंगी। और श्री मथाई ने अपने पदत्याग वाले पत्र में, जो १७ जनवरी, १६५६ को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, जो कुछ कहा है वह तिरस्कारपूर्ण अपमान, झूठी निन्दा तथा अश्लील विशेषणों के समान है क्योंकि उन्होंने कहा था कि तथ्यों के सम्बन्ध में छानबीन किये बिना अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाने को जो प्रवृति हमारी संसद् में है उस के कारण कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी स्वभिमानी व्यक्ति, सरकार के अधीन सेवा करने के लिये नहीं आयेगा।

हम संसद् सदस्य देश के मतदाताओं के प्रतिनिधि हैं और हम पर सरकार के काम की निगरानी करने का उत्तरदायित्व है। श्री मथाई ने बिल्कुल आखें बन्द कर के यह बात कही है कि कोई भी

स्वभिमानी व्यक्ति सरकार के अधीन सेवा करने नहीं आयेगा। मुझे आशा है कि, पिछली बार जब केरल के मुख्य मंत्री द्वारा संघ के एक मंत्री को भेजे गये एक तार का मामला उठा था, उस समय जिन लोगों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। अतः उस मामले पर किये गये निर्णय के सही होने या अन्यथा होने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही जानी चाहिये।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : एक औचित्य प्रश्न है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिये और सदैव विशेषाधिकार की बात नहीं करनी चाहिये। हमारा विशेषाधिकार यही है कि हम विनम्रता से जनता की सेवा करें। धर्म में भी कहा गया है "जनता की सेवा करो, जनता को क्षमा करो।" अतः यदि किसी से कोई त्रुटि हो जाये तो उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिये। मुझे खेद है कि हमारे प्रधान मंत्री को इस मामले में घसीटा गया है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री इन सभी झगड़ों से ऊपर हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाये और उसे किसी भी समिति या विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाये। केरल के मुख्य मंत्री के मामले को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब एक तीसरा प्रस्ताव सभा के सामने रखा गया है कि सारे मामले को समाप्त कर दिया जाये। इस प्रकार पहला प्रस्ताव श्री मुकर्जी का है कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये; दूसरा प्रस्ताव श्री ब्रजराज सिंह का है कि मामले को सभा में ही निबटाया जाये और तीसरा प्रस्ताव यह है कि सारे मामले को समाप्त कर दिया जाये।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस समय कुछ अधिक नहीं कहना है। मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि मेरा यह संशोधन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदन के नेता ने अभी बता दिया है कि उन्हें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इस मामले की जांच की जाये। प्रश्न सिर्फ इतना है कि इसकी समिति जांच करे या सदन् स्वयं इसकी जांच करे। जब इस सदन में किसी को भी इस पर ऐतराज नहीं है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर कि सदन को या समिति को जांच करनी चाहिये, इसकी छानबीन होनी चाहिये कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है कारण विशेषाधिकार के उल्लंघन का यह स्पष्ट मामला है। अपने इस्तीफे के पत्र में उन साहब ने हमारे ऊपर, इस सदन के ऊपर और सदन के अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का लांछन लगाने की कोशिश की है और जिन्हें इस बात की चिन्ता है कि देश की सीमा पर चूंकि जनतन्त्र विफल हो रहा है और तानाशाही कायम हो रही है इसलिये इस मुल्क में तानाशाही को रोकने के लिये और जनतन्त्र को मजबूत बनाने के लिये वह इस तरीके का आक्षेप लगाना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब देश की सीमा के आसपास इस तरह की बात हो तब तो यह और आवश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को सदन के बार के सामने बुलाया जाय, यहां पर जांच पड़ताल की जाये और यहां पर उनसे सवाल पूछे जायें और सदन अगर मुनासिब समझे तो सज़ा दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक इस मामले को एक विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात है उसके लिये मेरा कहना यह है कि अगर सदन में कहीं पर भी इस बात की इच्छा होती कि विशेषाधिकार समिति पहले इस पर छानबीन करे और तब बाद में सदन में इसके ऊपर चर्चा हो तब तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सपुर्द किया जा सकता था लेकिन जब ऐसी बात नहीं है तब मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय और यह मामला सदन खुद अपने हाथ में लेकर इसकी छानबीन करे और विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करके इसको ज्यादा टालने की जरूरत नहीं है।

मथाई साहब ने प्रधान मंत्री महोदय की १२ साल तक जब से कि वे प्रधान मंत्री बने हैं उनके स्पेशल असिस्टेंट की हैसियत से काम किया है और पब्लिक सर्विस की है। उस के पहले भी मथाई साहब का दावा ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने देश की सेवा की है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो न तो जनता की सेवा के लिये और न सरकारी नौकरियों के लिये ही ऐसे लोग मिल सकेंगे जो कि अपनी एक प्रतिष्ठा व सम्मान रखते होंगे।

ऐसी सूरत में न सिर्फ जनतंत्र को मजबूत बनने का सवाल उठता है, बल्कि हमारे मुल्क में जो ५५ लाख पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं, उन के ऊपर इस का जो प्रभाव पड़ेगा,उन में जो भावना कायम होगी, उस का निराकरण करने के लिये और साथ ही पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लाखों दूसरे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रश्न पर इसी सदन में इस समय तुरन्त चर्चा हो और इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाये। मिस्टर मथाई को इस सदन की बार में बुलाया जाय और उन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अगर यह सदन उचित समझे, तो उन को सजा दी जाये। मैं आशा करता हूं कि सदन इस मसले को यहीं पर तय करेगा और विशेषाधिकार समिति को सौंप कर इस में देरी करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मुझे इस सम्बन्ध में जरा भी शंका रही होती कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम अभियोग चलाने जा रहे हैं, उन को यहां किसी कारण न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं इस प्रस्ताव का सब से पहला समर्थक होता कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। जैसा कि सब जानते हैं, कानून का यह एक मान्य सिद्धान्त है कि अभियुक्त को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह सदन उन को अपनी सफाई का पूरा मौका देगा कि अगर विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वह अपनी स्थिति सपष्ट करें, लेकिन इस मामले को ज्यादा देर तक टालने से न हमारा कोई फायदा होगा और न ही देश का फायदा होगा। इस लिये मैं यह चाहता हूं कि यह सदन स्वयं इस प्रश्न पर विचार कर के अपना निर्णय दे और इस लिये यह आवश्यक है कि मिस्टर मथाई को यहां बुलाया जा औरये यदि उचित समझा जाये, तो उन को सजा दी जाये।

†**श्री खाडिलकर** (अहमद नगर) : मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इस सभा को अपने विशेषाधिकरों के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिय पर जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में हम विचार कर रहेहैं उस के पद का भी हमें ध्यान रखना चाहिय। श्री मथाई प्रधान मंत्री के तदर्थ विशेष सहायक थे। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वे सभा के लिये अपमानजनक अवश्य हैं पर मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम लोग इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करने जा रहे हैं। मैं ने माना कि प्रधान मंत्री के विशेष सहायक न एक ऐसी बात कही है जो सभा के लिये अपमानजनक है पर प्रश्न यह है कि क्या हम संसद् के सदस्य के रूप में उनकी बातों को इतना अधिक महत्व दें।

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि, राज्य सभा ने जो कुछ कहा है कि मामले पर विचार करने के बाद उसे समाप्त कर दिया जाये, यही ठीक होगा। इस बात को इतना महत्व न दिया जाये कि उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। यही मेरा निवेदन है और यदि आप अनुमति दें, तो मैं अपना, इस प्रकार का, संशोधन प्रस्तुत करूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि मामले को सभा में ही निबटा दिया जाये।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : श्रीमान्, सदन के सामने जो यह प्रस्ताव आया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं उस का अनुमोदन करता हूं। मुझे इस बात पर दुख और आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधान मंत्री के संविधान और कानून के विशेषज्ञों ने उन को यह राय कैसे दे दी कि यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। अगर उन लोगों ने में की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ११८, १२४ और १२५ को पढ़ा होता, तो उन्होंने कभी यह राय न दी होती कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है और केवल एक अनुचित वाक्य इस्तेमाल किया गया है। मुझे इस बात का दुख है। फिर भी मैं प्रधान मंत्री महोदय की इज्जत करता हूं। वह समझते हैं कि जो बात मथाई साहब ने कही, वह अनुचित है, लेकिन वह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। मैं समझता हूं कि यही एक बड़ा भारी कारण है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि यह मालूम किया जा सके कि प्रधान मंत्री के विशेषज्ञों ने जो राय दी है, वह कहां तक सही है।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति को यह भी अधिकार दिया जाये कि इस विशेषाधिकार की अवहेलना में जिन लोगों ने मदद दी है, चूंकि उन्होंने भी विशेषाधिकार की अवहेलना की है, इस लिये उन के बारे में भी वह विचार करे। कल जब मैं ने इस प्रस्ताव के बारे में लिखा था, तो मेरे पास प्रैस इन्फर्मेशन ब्यूरो का कम्यूनिक नहीं था। लेकिन आज वह मेरे पास है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रैस इन्फर्मेशन ब्यूरो का जो भी डायरेक्टर है या इन-चार्ज है, उस ने भी विशेषाधिकार की अवहेलना की है। इस पर भी विचार किया जाये।

एक माननीय सदस्य : इस में प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं।

श्री खुशवक्त राय : जब कन्टेम्प्ट करने वाला माफी मांग लेता है, तो कटेन्म्प्ट खत्म हो जाती है। माननीय सदस्य ने शायद प्रधान मंत्री की प्रैस कान्फ्रेंस में दिये गये वक्तव्य को पढ़ा नहीं है। इसी लिये वह ऐसा कह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति को यह भी अधिकार दिया जाये कि इस विशेषाधिकार की अवहेलना में जिन लोगों का कुछ भी हिस्सा है, उन के खिलाफ भी कार्यवाही की जाये।

इन कारणों से, मैं ने जो प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखा है, जिस में कहा गया है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, मैं उस का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : श्रीमान् जी, अभी श्री ब्रजराज सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उस के समर्थन में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मथाई साहब ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उस से प्राइमा फेसी इस सदन का अपमान प्रकट होता है। इस लिये इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेज कर अनावश्यक रूप से समय नष्ट किया जाये। यह मामला बड़ा स्पष्ट है और इस सदन को इस का फैसला करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि श्री खुशवक्त राय ने कहा है, जितने भी व्यक्तियों का इस में हाथ हो,

†मूल अंग्रेजी में

उन के बारे में इसी सदन में विचार होना चाहिये और उस के बाद यह सदन जो कुछ भी दण्ड निर्धारित करे, वह दण्ड दिया जा सकता है। यह कोई इतना सहल प्रश्न नहीं है। श्री मथाई ने हमारे प्रधान मंत्री महोदय के एक वैयक्तिक सचिव के रूप में कई वर्ष तक कार्य किया और वह एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस हिम्मत के साथ उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, उस को देखते हुए यह अनुभव किया जा सकता है कि उन में इतनी शक्ति होगी कि वह इस सदन के समक्ष आ कर अपनी सफाई दें।

अगर सदन धीरे धीरे इस प्रकार की बातों को बर्दाश्त करता रहेगा, तो हम इस देश में एक गलत परम्परा कायम करेंगे। यह सदन इस देश में सर्वोपरि संस्था है। अगर हम किसी व्यक्ति को—चाहे वह इस सदन में हो या बाहर—इस तरह छूट देते जायेंगे, तो निश्चित रूप से इस सदन का अपमान होता रहेगा। इस लिये यह आवश्यक है कि इस प्रश्न को यह सदन स्वयं हल करे और इस को विशेषाधिकार समिति के पास भेज कर हम समय नष्ट न करें, ताकि हम देश के सामने एक उदाहरण पेश कर सकें कि इस सदन में इतनी शक्ति है कि वह अपने विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होने देगा, फिर सम्बद्ध व्यक्ति चाहे प्रधान मंत्री का सचिव हो, चाहे किसी प्रदेश का मंत्री।

इन शब्दों के साथ मैं श्री ब्रजराज सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : अध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट नहीं है कि सभा के समक्ष दो प्रस्ताव हैं या तीन। आप ने कहा था कि तीन प्रस्ताव हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यद्यपि राजा महेन्द्र प्रताप ने एक औचित्य प्रश्न उठाया था पर वस्तुतः वह चाहते हैं कि इस कार्यवाही को समाप्त कर दिया जायें। मैं उसे एक मूल प्रस्ताव मानना चाहता था। वह अपनी बात पर आग्रह कर सकते थे कि कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाये। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः मैं उसे सभा के सामने नहीं रख रहा हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चूंकि राजा महेन्द्र प्रताप का सुझाव किसी निश्चित प्रस्थापना के रूप में नहीं है अतः मैं उस के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा। पर, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार के मामले को, जैसा कि कहा गया है, किसी दल या समूह का मामला नहीं माना जाना चाहिय। पहले भी मैंने यही बात कही थी। मेरे द्वारा कही गयी कुछ बातों का उल्लेख भी किया गया है। मेरा कहना है कि जब सभा के बहुत से सदस्य चाहते हैं कि अमुक काम किया जाये तो बहुमत के लिये यह शोभनीय नहीं है कि वह उन की इच्छाओं को न माने। इस बात पर मैं इसी दृष्टिकोण से विचार करता हूं। अतः जब सभा के बहुत से सदस्य ऐसा चाहते थे तो मैं तुरन्त इस बात के लिये सहमत हो गया कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये और मैं समझता हूं कि उस समय ऐसा कोई सुझाव मानना उचित नहीं था कि मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाय क्योंकि ऐसा सुझाव मानने से लगभग ऐसा लगता है कि मामले को दबाने या छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सभा में ऐसी धारणा उत्पन्न होने देना कोई अच्छी बात नहीं है। अतः मैं राजा महेन्द्र प्रताप की इस प्रस्थापना से, कि मामले को यहीं समाप्त कर दिया जायें, सहमत नहीं हूं। वर्तमान स्थिति में यही उचित होगा कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

एक और प्रस्थापना रखी गयी है, मैं उसको समझ नहीं सका हूं कि सभा में इस मामले को कैसे निबटाया जा सकता है। सभा के सम्मान को अनेक प्रकार से धक्का लगता है और छोटी-मोटी

†मूल अंग्रेजी में

बातों को बहुत अधिक महत्व देने से भी सभा के सम्मान को धक्का लगता है। अन्य कोई व्यक्ति सभा के प्रति जो कुछ अपमानजनक बात कहता है उस से हमारी सभा के सम्मान को तो ठेस पहुंचती ही है पर सभा के सम्मान को इस बात से भी ठेस पहुंचती है कि उस व्यक्ति द्वारा कही गयी बात को हम किस रूप में महत्व देते हैं।

चूंकि एक पूर्व अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उस का उल्लेख किया गया है, अतः मैं उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाने के लिये आप की अनुमति चाहता हूं। उस अवसर पर जब केरल के मुख्य मंत्री के तार पर तर्क हो रहा था तो मैंने निम्नलिखित बात कही थी और आज भी मैं उसे ठीक समझता हूं :

"मुझे भय है कि हम लोग ऐसे मामलों में संघर्ष न पैदा कर लें और इसकी अति न हो जाये। कई बार ऐसी बात कही जाती है, जो उचित नहीं होती और उत्तेजना में कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं, जिन्हें यदि वह व्यक्ति सावधानी से सोचता तो न कहता। यदि इस प्रकार वक्तव्य देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे हम पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम में से बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्होंने अनजाने में ऐसी बातें कहीं होंगी, जो हमारे विरुद्ध मानी जा सकती हैं। हम सभी मनुष्य हैं और मैं जानता हूं कि मैं भी कभी गलती कर सकता हूं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि यदि इस मामले में जानबूझ कर संसद् या संसद के किसी सदस्य के सम्मान को भंग किया गया है तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमें इस चुनौती का जवाब देना चाहिये। पर यदि ऐसा नहीं है, जैसा कि वाद-विवाद की उत्तेजना में ऐसी कोई बात कह दी जाती है, तो मैं चाहूंगा कि यह सभा उस बात का इतना बुरा न माने। यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जिसे मैंने सभा के सामने रख दिया है।"

मैं इस मामले में अपने विचारों पर दृढ़ रहा हूं और हूं भी, इसलिये नहीं कि मैं यह चाहता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाये—क्योंकि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, बल्कि इस लिये कि भविष्य के लिये भी हम समझ लें कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कही गयी कुछ बातों को बहुत अधिक महत्व न देकर ही हम सभा के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री ब्रजराज सिंह के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बजाय यहीं सभा में विचार कर के उसे निबटा दिया जाये। प्रश्न यह है कि:

"यह सभा निश्चय करती है कि श्री एम० ओ० मथाई को, उन के ऊपर विशेषाधिकार-भंग का जो आरोप लगाया गया है उसका उत्तर देने के लिये, सभा के समक्ष बुलाया जाये और दण्ड दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं उस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा जिसमें कहा गया है कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ।

प्रश्न यह है :

"कि १० फरवरी, १९५९ को कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सभा का ध्यान प्रधान मंत्री के विशेष सहायक श्री एम० ओ० मथाई द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गये एक पत्र की ओर आकर्षित किये जाने पर, जो प्रधान मंत्री के सचिवालय और भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग द्वारा १७ जनवरी, १९५९ को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसमें श्री एम० ओ० मथाई ने अन्य बातों के साथ यह कहा था ;

"किन्तु, हमारी संसद् और हमारे समाचार-पत्रों में तथ्यों की जांच पड़ताल किये बिना सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप करने की निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति का बहुत ही हतोत्साहक प्रभाव पड़ रहा है । इस प्रकार की शोचनीय स्थिति में आत्म-सम्मान रखने वाले बहुत कम व्यक्ति सरकारी नौकरियों अथवा सार्वजनिक जीवन में जाना चाहेंगे ।"

यह सभा संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो इस बात की जांचकर के अपना प्रतिवेदन दे कि क्या श्री एम० ओ० मथाई की उक्त बात, जो कि प्रधान मंत्री के सचिवालय और भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गयी है, संसद्-सदस्यों और लोक-सभा के अध्यक्ष के लिये मानहानिकारक है और क्या इससे संसद् का अपमान हुआ है और इस बात की सिफारिश भी करे कि इस मामले में सभा और क्या कदम उठाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—११८१/५९]**

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दो निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) जी० एस० आर० संख्या १२१४/आर०—अमैंडमेंट २८, दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ ;

(२) जी० एस० आर० संख्या १०८/आर०—अमैंडमेंट २९, दिनांक २४ जनवरी, १९५९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–११८२/५९]

सूती वस्त्र (हथ करघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–११८३/५९]

रबड़ नियमों में संशोधन

†**श्री कानूनगो** : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–११८४/५९]

काफी नियमों में संशोधन

†**श्री कानूनगो** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–११८५/५९]

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खाद्यान्नों के मूल्य

†**श्री राम कृष्ण** (महेन्द्रगढ़) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नविषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"देश में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्य और जनसाधारण को उसके कारण होने वाले कष्ट ।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मैं सभा का ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण की ओर दिलाता हूं जिस में खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य बातें बताई गई हैं। खाद्यान्नों, विशेषतया गेहूं तथा चने के मूल्य गत कुछ महीनों में बहुत बढ़ गए हैं। गत वर्ष वर्षा की कमी के कारण उत्पादन बहुत कम होने की वजह से ये दाम मुख्यतः बढ़े। पहले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अनाज का उत्पादन ४४ लाख टन कम हुआ, और दालों समेत सभी खाद्यान्नों के उत्पादन में ६७ लाख टन की कमी हुई है।

रबी की फसल बोने वाले कुछ राज्यों में गेहूं तथा चने का उत्पादन बहुत कम हुआ और कुछ क्षेत्रों में कमी ५० प्रतिशत से भी अधिक थी।

मार्च, १९५८ के अन्त तक गेहूं के मूल्य धीरे धीरे कम हो रहे थे। गेहूं के थोक मूल्यों का देशनांक फरवरी, १९५७ में ९७ से कम हो कर मार्च, १९५८ में ८४ हो गया था। परन्तु अप्रैल में जब यह स्पष्ट हो गया कि रबी की फसल में उत्पादन संतोषजनक नहीं हुआ है तो मूल्य बढ़ने लगे। तब से मूल्य लगातार बढ़े हैं।

सरकार उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके तथा आवश्यक कार्यवाही करके सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही है जिस से जनसाधारण को कोई कष्ट न हो। उचित मूल्य की दूकानें खोल कर सरकार ने १९५८ में केन्द्रीय भांडार से ३६ लाख टन से अधिक खाद्यान्नों का वितरण किया था। इस समय भी समस्त देश में ४८,००० से अधिक उचित मूल्य की दूकानें खुली हुई हैं। देश की आटा मिलों को बाजार से गेहूं खरीदने के लिये मना कर दिया गया है और उनको आयात किए गये स्टाक से गेहूं दिया जा रहा है जिस से बाजार पर उनकी खरीदारी का बुरा प्रभाव न पड़े। बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली जैसे बड़े नगरों की गेहूं की आवश्यकताओं को सरकार पूरा कर रही है तथा राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रही है। खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिससे विशेष क्षेत्रों में खाद्यान्नों के संभरण पर बुरा असर न पड़े।

इस वर्ष प्रकृति ने दया दिखाई है और चावल की अच्छी फसल हुई है जिस के कारण चावल के दाम काफी कम हो गये हैं। थोक मूल्यों का देशनांक जो सितम्बर, १९५८ में ११८·२ तक हो गया था अब कम हो कर ९१·४ हो गया है। रबी की जुवार की कटाई जुवार का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आरम्भ हो गई है जिसका जुवार के संभरण पर अच्छा असर पड़ेगा।

राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार रबी की फसल अच्छी होने की आशा है और इसीलिये आगामी फसल के पश्चात् स्थिति में सुधार हो जायेगा। सरकार को आशा है कि अपने पास उपलब्ध स्टाक से अन्तरिम अवधि में कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को वह पूरा कर लेगी।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : माननीय मंत्री ने बताया कि चावलों के मूल्य कम हो रहे हैं। परन्तु कुछ राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल में चावलों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाने के पश्चात् भी बाजार में उस भाव पर चावल नहीं मिल पाता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : संभवतया माननीय मंत्री ने जो मूल्य बताये हैं वह उन्होंने समस्त भारत का औसत ले कर बताये हैं। परन्तु मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में खुले बाजार में चावल २४ रुपये या २५ रुपये मन के भाव पर मिल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में कोई कमी नहीं है। सितम्बर के आंकड़ों की जनवरी के आंकड़ों से तुलना करना भी ठीक नहीं है जबकि फसल दिसम्बर में आती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): १ जनवरी से पश्चिमी बंगाल में मुनाफाखोरी विरोधी अधिनियम लागू होने के पश्चात् सभी चावल बाजार से गायब हो गया है। कलकत्ते के औद्योगिक क्षेत्र में पिछले १½ महीनें से चावल नहीं मिल रहा है। सरकार चावल को बाजार में लाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री प्र० सिंह दौलता** (झज्जर): क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि पंजाब में गेहूं की कमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के वही मूल्य न होने के कारण है और कीमतों में ७ रुपये का अन्तर होने के कारण तस्कर व्यापार होता है जिसके कारण पंजाब वासियों को कठिनाई हो रही है ?

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी): सरकार ने कुछ चावल का समाहार कर लिया है परन्तु यह बड़ी अजीब बात है कि चावल और धान बाजार में नहीं मिल रहा है। इसकी क्या वजह है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री की इस घोषणा के पश्चात् कि सरकार खाद्यान्नों का व्यापार करेगी, उत्तर प्रदेश के अनाज व्यापारियों ने सरकार से सहयोग करना बन्द कर दिया है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है ?

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): मैं बहुत घूमता हूं और लोग यह कहते हैं कि आजकल बहुत मंहगाई है और इस की खास वजह यह है कि बड़े तज्जारों ने बहुत ज्यादा गल्ला जमा कर रक्खा है और वह लोग उसे बाजार में नहीं आने देते। मेरा एक सुझाव है कि जिस में इस तरह की शिकायतें ज्यादा न आयें। हमें ऐसा करना चाहिये कि जो हमारे तज्जार हैं, दूकानदार हैं, इन की एक समिति बना दें और उस में मसलन कांग्रेस का एक रिप्रेजेन्टेटिव ले लें, एक कम्यूनिस्टों का रिप्रेजेन्टेटिव ले लें, क्योंकि यह बहुत झगड़ा करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करें, उन से यह कहें कि यह कहना कि अनाज जमा कर लिया गया इसलिये मंहगाई है, यह तो हवा में बातें करना है। लोग हमें यह बतायें कि गंगाधर के पास, यमुना सिंह के पास या किस के पास गल्ला जमा है और अगर वह यह बता दें कि फलां के पास गल्ला जमा है तो उन को भी लीजिये, दूकानदारों के नुमाइन्दों को भी लीजिये और वहां डाका डालिये और जा कर देखिये। अगर उस के पास गल्ला हो तो निकाल लीजिये। इस से गल्ले का बहुत आसानी से इन्तजाम हो सकता है।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब उत्पादन कम नहीं रहा और अनाज अच्छी मात्रा में उत्पन्न हुआ तो वहां पर क्यों यह स्थिति इस समय निर्मित हो रही है कि लोगों को खाने के लिये गल्ला नहीं मिल रहा है ? क्या हमारे खाद्य मंत्री के पास इस प्रकार की कुछ सूचना आई है कि यदि वहां इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ तो क्यों हुआ, और उसे दूर करने के लिये उन्होंने क्या उपाय सोचा ?

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गेहूं ३० रु०, ३१ रु० और ३२ रु० मन बिक रहा है और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ डिवीजन में जहां पर धान की खरीद का भाव ९ रु० प्रति मन निश्चित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वहां ७ रु० मन दूकानदार खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट की खरीद का कोई इन्तजाम नहीं है जिस के कारण किसान मारे मारे फिर रहे हैं और उन का धान वहां हम नहीं पा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : लोक-सभा की पिछली बैठकों में इस बात की मांग की जाती रही है कि गेहूं की दृष्टि से जो खाद्य क्षेत्र निर्धारित हुए हैं उन का पुनर्गठन किया जाये। जो व्यापार की नेचुरल और ट्रेडैशिनल लाइंस् हैं उनके अनुसार फुड जोंस को संगठित किया जाये लेकिन खाद्य मंत्री महोदय ने इस मांग का निरन्तर विरोध किया लेकिन यह देख कर आश्चर्य हुआ कि लोक-सभा की जब बैठक होने जा रही थी तो वेस्टर्न जोन को फिर से रिआर्गेनाइज किया गया है और उसको तोड़ दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या और भी जोन्स के संगठन में इस तरह का परिवर्तन किया जाने वाला है जिससे कि अनाज के दाम नीचे लाये जा सकें और गेहूं और चावल का ठीक तरह से वितरण हो सके।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): इस वर्ष मद्रास में चावल के उत्पादन की क्या स्थिति है? क्या उचित मूल्य की दूकानें अभी रखी जायेंगी और इस वर्ष आन्ध्र से मद्रास को कितना चावल दिया जायेगा?

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): क्या पंजाब के खाद्य मंत्री केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिले थे और उन्होंने अतिरिक्त गेहूं मांगा था; यदि हां तो उन्होंने कितना गेहूं मांगा तथा उनको कितना दिया गया? क्या पंजाब की आवश्यकता अधिक होने के कारण माननीय मंत्री ने पंजाब का गेहूं का कोटा बढ़ा दिया है? मैं समझता हूं कि पंजाब में अनाज की डिपो और खोलनी पड़ेगी।

†**श्री सोनावाने** (शोलापुर—रक्षित अनुसूचित जातियां): दिल्ली में गेहूं के दाम १८ रुपये मन थे जो अब २५ रुपये हो गये हैं। गेहूं को पुराने मूल्य पर संसद सदस्यों को देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली रक्षित अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है उसके भाव अब कुछ गिर गए है और इस समय गेहूं और आटा यहां पर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है लेकिन चने की जो स्थिति है वह विषमतर होती जा रही है। अभी पिछले दिनों चना यहां पर १३ रुपये मन था जो आज २३ रुपये प्रतिमन है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार चने का दाम गिराने के लिए क्या कर रही है।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर): मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा से कितना धान अन्य म्यूनिसिपिल तथा औद्योगिक क्षत्रों को भेजा जायेगा तथा इसके परिवहन व्यय को कौन सहन करता है। उड़ीसा सरकार ने वक्तव्य के अनुसार यदि रेल पास होगी तो रेल का किराया सरकार देगी और यदि रेल ३५ मील से दूर होगी तो खर्च उत्पादक को दिए जाने वाले मूल्य से ले लिया जायेगा। रेल तो उड़ीसा में ८०० मील ही है और परिवहन अन्य साधनों से ही होता है इसलिए मेरे विचार से उत्पादक को दिया जाने वाला मूल्य बहुत कम हो जायेगा।

†**श्री अ० प्र० जैन** : इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछे गये हैं। अगर आप कहें तो मैं इनका उत्तर दूं। मुझे सारे प्रश्न तो याद भी नहीं रहेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों की संख्या बहुत हो गई है और यह कठिन है कि माननीय मंत्री सबका उत्तर अभी यहां दे सकें। इसलिए मैं आज की कार्यवाही मंत्री महोदय के पास भेज दूंगा और वह जब इनका उत्तर दे देंगे तो मैं उसको सभी सदस्यों में आज के वक्तव्य के साथ परिचालित कर दूंगा।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक का अध्ययन नहीं किया है और न इसके लिये कोई समय निश्चित किया है। सरकार की ओर से यह प्रस्ताव किया गया है कि इसके लिये तीन घंटे नियत किये जायें। मेरे विचार से तीन घंटे काफी हैं।

†**श्री राधारमण** (चांदनी चौक): यदि आप स्वीकार करें तो मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। दो विधेयक—दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक तथा दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक—एक दूसरे से सम्बन्धित है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ! नहीं !!

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः यह स्वीकार्य नहीं है।

†गृह-**कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासन हुये]

यह एक सीधा सादा उपबन्ध है और मैं समझता हूं कि इस पर कोई भारी वाद–विवाद नहीं होगा। इस विधेयक के महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करने से पूर्व मैं इसकी आवश्यक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि दिल्ली का केन्द्रीय राज्य क्षेत्र जो कि राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व दिल्ली राज्य के नाम से जाना जाता था, मुख्यतः पंजाब प्रांत अथवा राज्य के क्षेत्र से बनाया गया था। इस क्षेत्र में बहुत से वे ग्राम भी सम्मिलित थे जो पहले उत्तर प्रदेश के अंग थे। इस प्रकार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भू-धारण की प्रणालियाँ थीं। और राज्य के एक भाग में रहने वाले किसानों के अधिकारों में दूसरे भाग में रहने वाले काश्तकारों तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में भी काफी विभिन्नता थी। अतः इसकी आवश्यकता हुई कि सभी को युक्तियुक्त किया जाये और किसानों को उच्च और पर्याप्त स्तर दिया जाये तथा उनको वे सभी दूसरी सुविधाएं दी जायें जिनसे उनका स्तर उठे तथा उन्हें उनके श्रम का पूरा-पूरा लाभ मिल सके। तदनुसार १९५३ में दिल्ली विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंत में इसने इस मुख्य विधेयक का अर्थात् दिल्ली भूमि सुधार विधेयक, १९५४—का रूप लिया।

दिल्ली में मुख्यतः दिल्ली नगर और नई–दिल्ली सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण दिल्ली राज्य क्षेत्र में लगभग ३०० ग्राम भी सम्मिलित हैं मैं समझता हूँ कि उनकी ठीक संख्या २९१ है। इन २९१ ग्रामों के अतिरिक्त १५ और भी ग्राम हैं। अतः ग्रामों की कुल संख्या मिलाकर ३०६ हो जाती है।

१९५४ में पारित विधेयक के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र १९५४ के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शासित होना था। बाद को ज्ञात हुआ कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (विकास ट्रस्ट) के अधीन थे अथवा उसके द्वारा नियन्त्रित थे। अतः दिल्ली राज्य विधान सभा ने सन् १९५६ में एक अधिनियम पारित किया जिसमें इन क्षेत्रों को

†मूल अंग्रेजी में

सन् १९५४ के विधेयक के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया था। इन १५ ग्रामीण निवासियों को वे अधिकार नहीं दिये गये थे जो कि १९५४ के अधिनियम के अधीन अन्य किसानों, उप-किसानों को दिये गये थे। और उनकी फिर से वही स्थिति कर दी गई थी जो १९५४ से पूर्व थी। इससे उनको काफी हानि हुई। १९५४ का अधिनियम प्रगतिशील उपबन्ध था। मेरा विचार है कि भूमि सुधार सम्बन्धी जितने प्रगतिशील अधिनियम हमारे देश में पारित हुए हैं उनमें से यह भी एक प्रगतिशील अधिनियम था। इसका आधार तथा ढांचा वही था जो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियमों का था और जो कुछ वर्ष पूर्व ही वहां पारित किये गये थे। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का वह अधिनियम भूमि सुधार सम्बन्धी मामले में आज भी बहुत ही प्रगतिशील है। किसी भी राज्य ने इस मामले में उसका अतिक्रमण नहीं किया है।

अतः दिल्ली राज्य क्षेत्र के प्रत्यक्षतः केन्द्र के अधीन आने पर जैसे ही हमारे ध्यान में यह बात आई कि १५ ग्राम उस सुविधा से वंचित हो गये हैं तथा इन ग्राम निवासियों ने अभ्यावेदन किये तो हमने इस प्रश्न पर विचार किया। जहां तक कि इन १५ ग्रामों के किसानों का सम्बन्ध है यह उनके लिये बहुत ही महत्व की वस्तु है। हमने देखा कि इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट ने न केवल इन १५ ग्रामों को वास्तव में अपने अधिकार में लिया था; और न केवल अधिसूचनाएं ही जारी की गई थीं बल्कि हमने यह भी देखा कि दिल्ली के लिये बनायी गयी अन्तरिम योजना में इन गावों को तथा इनके अन्तर्गत स्थित भूमि को कुछ समय पश्चात् दिल्ली नगर के विकास के लिये ले लिया जायेगा। अतः ऐसी दशा में यह न केवल वांछनीय हुआ बल्कि आवश्यक भी हो गया कि इन ग्राम निवासियों को भी वही सुविधाएं दी जायें जो कि अन्य दूसरे ग्रामों में रहने वाले निवासियों को उपलब्ध हैं। तदनुसार हम यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसके अनुसार वे सभी कार्यवाहियाँ, जो १९५४ के अधिनियम के क्षेत्राधिकार द्वारा इन ग्रामों को दी जान वाली सुविधाओं से बंचित करती हैं, रद्द एवं निरसित की गई हैं। अतः इन ग्राम निवासियों को भी वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो दिल्ली के अन्य २९१ ग्राम निवासियों को उपलब्ध हैं। अतः यह गर्व की बात है कि इन ग्राम निवासियों को इस संशोधन विधेयक के द्वारा वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी जिनसे कि वे १९५६ में वंचित थे।

१९५४ के अधिनियम के अधीन बहुत से किसानों को भूमिधारी अथवा स्वामित्व के अधिकार मिल गये थे। इन ग्रामों के निवासी भी, जिनका भूमि से सम्बन्ध है, समान स्थिति में हो जायेंगे। १९५४ के अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ के हितों को समाप्त कर दिया गया था। वस्तुतः दिल्ली ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः व्यक्ति भूस्वामी किसान हैं जिनके पास भूमि के छोटे-छोटे खंड हैं। इसके बाद भी किसान उप-किसान तथा अन्य दूसरी श्रेणी के लोग भी हैं जिनका दर्जा और भी छोटा है। उन लोगों को भी कुछ क्षतिपूर्त्ति देने के पश्चात् जो कि वार्षिक किश्तों में वसूल की जायेगी, कुछ स्तर, अधिकार तथा भूमिदारों अथवा स्वामित्व के अधिकार देने हैं। खैर १९५४ के अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं किये गये। जैसा कि प्रायः प्रत्येक मामले में हुआ करता है कि विधियों के पारित हो जाने के पश्चात् उनकी मान्यता के बारे में प्रश्न किये जाते हैं। और अतः इसके लागू न करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई थी। इसके लागू न करने का आदेश अप्रैल १९५६ तक रहा लेकिन उसके पश्चात् यह लागू कर दिया गया।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस १९५६ के संशोधन अधिनियम के द्वारा इन १५ गांवों को भी वही स्थिति मिल जानी चाहिये जो कि उन्हें उस समय मिल जानी थी जब कि वे यदि १९५४ के अधिनियम से अलग न कर दिये गये होते। १९५६ का अधिनियम भूतलक्षी था अर्थात् ये गांव १९५४ से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधीन माने जाने वाले थे तथा उनकी अलग से एक श्रेणी बनाई जानी थी। अतः इस संशोधन विधेयक का लक्ष्य भी उन किसानों को भूतलक्षी सुविधाएं देना है जिससे कि इसके उपबन्ध १९५४ के मूल अधिनियम में सम्मिलित कर लिये जायें और उस अधिनियम के अंग बना लिये जायें जो कि उस समय पारित हुआ था। यही मुख्य व्यवस्था है।

१९५४ से लेकर इस बीच तक बहुत सी डिग्रियां, हस्तान्तरण आदि हुए हैं और यह प्रस्ताव किया गया है कि ये डिग्रियां भी जो इस क्षेत्र के निष्कासन से सम्बन्धित हैं, प्रवृत्ति-हीन घोषित कर देनी चाहियें ताकि किसानों को १९५४ का पूरा पूरा लाभ मिल सके बशर्ते कि इस प्रकार की समानता की आवश्यकता हो और जबकि किसानों के वे अधिकार जो बदले गये हैं तथा उनको फिर से दिये गये हैं, सम्मानीय होने चाहिये, तथा उसी प्रकार सद्भावना की दृष्टि से किये गये हस्तान्तरणों की सुरक्षा की जानी चाहिये ताकि सभी सम्बन्धित हित लोगों के साथ न्याय हो सके।

यही मुख्य उपबन्ध है और मूलतः यही खास उपबन्ध समझा गया था तथा केवल इसी प्रयोजनार्थ यह विधेयक बनाया गया था। किन्तु सन् १९५४ के अधिनियम की जांच के पश्चात् यह देखा गया कि कुछ और भी कमियां हैं जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए उन बुराइयों का उपचार करने तथा अन्य कमियों को दूर करने के लिये अन्य उपबन्ध भी सम्मिलित कर दिये गये हैं। १९५४ के अधिनियम के अधीन सभी बेकार भूमि गांव सभाओं को सौंपी जानी थी। एक यह भी उपबन्ध था कि वह सभी भूमि जिस पर खेती होती है अथवा नहीं होती है और जो खेती योग्य भूमि में सम्मिलित कर ली गई थी, उन लोगों के अधिकार में ही बनी रहनी चाहियें जो उनके स्वामी हैं। यह भी देखा गया कि वस्तुतः खेती करने के अयोग्य भूमि का प्रत्येक टुकड़ा खेती करने योग्य भूमि में सम्मिलित कर लिया गया था। अतः इन दो खंडों में यही विभिन्नता थी। एक खंड के अनुसार तो सारी बेकार भूमि **गांव-सभाओं** को दी जाने वाली थी जबकि दूसरी भूमि योग्य भूमि की परिभाषा के अनुसार उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाना था। इस भूल का पता चला और १९५६ में जब कि यह संशोधन अधिनियम प्रस्तुत और पारित किया गया तो यह व्यवस्था की गई कि **सीर तथा खुदकाश्त** भूमि को छोड़कर सभी भूमि बेकार भूमि समझी जायेगी। यह मैं साधारण तौर पर ही कह रहा हूं। लेकिन बाद को यह देखा गया कि **खुदकाश्त** शब्द की परिभाषा नहीं की गई थी और इसका निवर्चन एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छानुसार कर सकता था। अतः फिर से इस दुरूहता की ओर ध्यान दिलाया गया।

अतः अब स्थिति का स्पष्टीकरण करने तथा इन असमानताओं तथा अनियमितताओं से छुटकारा पाने की दृष्टि से इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि खुदकाश्त के अधीन उसी प्रकार की भूमि होगी जिस पर कि गत ५ वर्ष के दौरान में खेती की गई है अथवा जिस पर खेती की जाती रही है और उसे किसी को उठाया नहीं गया है, जिससे कि अधिकतम बेकार भूमि अब गांव सभाओं को दी जा सके और इस प्रकार लगभग सौ एकड़ भूमि जो कि बेकार भूमि का एक बहुत बड़ा भाग है अब **गांव** सभाओं अर्थात् सम्पूर्ण गांव की सम्पत्ति हो जायेगी।

अतः यह एक ऐसा बढ़िया उपबन्ध है जो कि न केवल इन १५ गांवों में अपितु सभी ३०६ गांवों के किसानों को अपने अधीन बेकार भूमि रखने का अधिकार मिल जायेगा। अतः यह एक दूसरा खंड है जो इस विधेयक का अंग है।

१९५४ के अधिनियम के अनुसार भूमि का वह अधिकतम भाग जो एक किसान जोत सकता है भविष्य के लिये निर्धारित कर दिया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई थी। इसके अनुसार एक व्यक्ति ३० एकड़ भूमि ही रख सकता था। इसी प्रकार न्यूनतम क्षेत्र भी निश्चित कर दिया गया था। इसके अनुसार एक व्यक्ति ८ एकड़ भूमि रखेगा। और इस एकड़ भूमि के वह और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकेगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास ८ एकड़ से भी कम भूमि थी किन्तु उनके पास जितनी भी भूमि थी उससे उन्हें वंचित नहीं किया जायेगा। यह एक दूसरी बात है जिसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गई है और जिसके आधार उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम में सन्निहित उपबन्ध हैं।

किन्तु इस व्यवस्था के होते हुए भी उसके बाद भूमि के कुछ भाग हरिजनों को हस्तान्तरित किये गये थे। जहां तक कि दूसरों का सम्बन्ध है, यदि विधि का अतिलंधन कर दिया गया है तो, हमें उनके बारे में विशेष उपबन्ध करने का प्रस्ताव नहीं करना है। किन्तु इन हरिजनों से जो कि भूमि का न्यूनतम भाग नहीं खरीद सके और किसी प्रकार उन्हें भूमि का कुछ भाग मिल गया, यदि वे भूमि भाग छीन लिये गये तो उनके लिये यह आधात होगा। इसलिये इस खंड को ज्यों का त्यों रखते हुए इस विधेयक में एक यह व्यवस्था की जा रही है कि उन व्यक्तियों के बारे में जिनके कि पास एक एकड़ भूमि से कम है मुख्य आयुक्त को यह स्वाधिकार होगा कि वह उनके पास इस भूमि को बना रहने दे।

जैसा कि मैंने अभी कहा है कि भविष्य के लिये भूमि की अधिकतम सीमा ३० एकड़ निश्चित कर दी गई है। किन्तु जिस समय यह अधिनियम पारित हुआ था उस समय इनके बारे में कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई थी। मैंने अपने मंत्रालय को इस मामले की जांच करने के लिये कहा है और मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में अथवा आगामी सत्र में अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा वर्तमान भूमि से सम्बन्धित तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करूंगा। इस विधेयक के बारे में हम अधिक देर नहीं करना चाहते क्योंकि इन १५ ग्रामों के निवासी काफी कठिनाई में हैं और यह आवश्यक था कि अधिक समय खोये बिना इस प्रकार का विधेयक तैयार किया जाये। किन्तु वर्तमान भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। इस प्रश्न के साथ और भी अन्य समस्याएं उठती हैं और उन पर भी विस्तृत रूप से विचार करना है। और इस बारे में हम विचार कर रहे हैं तथा तत्सम्बन्धी विधेयक यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा।

१९५४ के अधिनियम के अनुसार **आसामियों** को किराया देना था किन्तु वह किराया उनके उत्पादन के १/५ से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके बारे में हमने एक संशोधन किया है कि यह किराया उत्पादन के १/५ भाग से अथवा लगान के ४ गुने से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होना चाहिये। मेरा विचार है कि इस उपबन्ध के अनुसार आसामियों को बहुत से मामलों में काफी लाभ हो जायेगा।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एक और भी कारण था। इस विधेयक के अनुसार बेकार भूमि गांव सभाओं की हो जायेगी। कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिनका प्रयोग केवल गांव सभाएं

ही कर सकती हैं। दिल्ली पंचायत अधिनियम तथा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम में गांव सभा की परिभाषा में कुछ अन्तर था। ये दोनों अधिनियम अब समान स्तर पर लाये जा रहे हैं। गांव के वे सभी व्यक्ति जो संसद् के लिये मतदाता हैं, गांव की पंचायत के सदस्य हो सकेंगे। इसलिये इस विधेयक में १९५४ के अधिनियम हेतु एक संशोधन भी है जिससे इन दोनों का अन्तर दूर हो जायेगा। अन्यथा यह कार्य नहीं कर सकेगा, और यही कारण है कि वह पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। वर्तमान अधिनियम के अधीन सदस्यता बड़ी अस्पष्ट थी। किन्तु अब इस संशोधन के अनुसार ऐसी बात नहीं रहेगी यह एक दूसरा परिवर्तन है जो इस विधेयक के द्वारा किया जाना है।

मैं समझता हूं कि तत्सम्बन्धी अन्य सहायक एवं छोटी बातों पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी उपयुक्त एवं प्रशंसनीय बातों का मैं उल्लेख कर चुका हूं। आशा है कि यह विधेयक सर्वसम्मत से पारित हो जायेगा।

†**श्री अजितसिंह सरहदी** (लुधियाना): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह कहा गया है कि १९५४ के बाद से कुछ हस्तान्तरण किये गये हैं और ये हस्तान्तरण यदि सद्भावना की दृष्टि से किये गये हैं तो वे इस विधेयक के उपबन्धों से बरी कर दिये गये हैं। ये हस्तान्तरण कुछ शरणार्थियों तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों को किये गये हैं। जिन्होंने कि ये भूमिखंड अपने निवास स्थान तथा मकान बनाने के लिये लिये हैं। वे विभिन्न स्थानों पर हैं। वे वहां अपने मकान बनाना चाहते हैं। क्या इनके बारे में मुख्य आयुक्त को कुछ अधिकार दिये गये हैं? वे स्वयं मकान नहीं बना सकते हैं।

†**श्री गो० ब० पन्त:** क्या आप उन छोटे २ भूमि खण्डों के बारे में कह रहे हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है? हरिजनों को छोड़कर जहां तक अन्य दूसरों का सम्बन्ध है हमने यह व्यवस्था की है कि यदि वे हस्तान्तरण सदभावना से किये गये है तो उनको सुरक्षित रखा जायेगा। और ऐसे मामलों में मुख्य आयुक्त को अधिकार दिये गये हैं। और जिन मामलों में सहानुभूति से काम लेने की आवश्यकता है वह ऐसा ही करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर): जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस बिल के मकासद एम्स एंड आब्जेक्ट्स (उद्देश्य) से पूरा इत्तिफाक रखता हूं और उनकी हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं अलबत्ता तफसील में जाकर कुछ एख्तलाफ है और मैं उस सिलसिले में कुछ अपने सुझाव रक्खूंगा।

पहला प्वांएट मेरा उन १५ गांवों के बारे में है जिनका कि मंत्री महोदय ने जिक्र किया। सन् १९५६ में इन गांवों को प्रिंसिपल ऐक्ट की आर्बिट से निकाल लिया गया था उनको अब इस ऐक्ट की जद में लाया जा रहा है और मुझे इस कदम की हिमायत करने में खुशी है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह समझने से कासिर हूं कि बोनाफाइड परचेजर्स को प्रोटेक्शन देने के बाद और उन मुजारों को जो कि वहां से बेदखल हुए थे, उनके मुताल्लिक एम्स एंड आब्जेक्ट्स में जो यह लिखा हुआ है कि उनको पोजीशन पर लाना है, कोशिश यह होगी उनका स्टेटस उनको रेस्टोर किया जाय, वह कैसे हो सकेगा? यह दोनों बातें आप एक साथ कैसे कर सकते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरी अर्ज यह है कि जहां तक आपके बिल के ऐम्स् एंड आबजेक्ट्स का ताल्लुक है, बिल की नौऐय्यत का ताल्लुक है, मुझे उससे पूरा इत्तिफाक है और मैं उसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं। तफसील में मुझे जरूर एख्तलाफ है और मैं उसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहली चीज तो जो मैं अर्ज करने लगा हूं वह यह है कि १५ गांव जो कि १९५६ में प्रिंसिपल ऐक्ट की जद से बाहर निकले थे वह किन के गांव हैं। उनमें से ४ गांव तो उन लैंडलार्ड्स के हैं जिन्हें १९५७ में बतौर इनाम के मिले थे। उन गांवों के जो जागीरदार है वे तकरीबन् सारे बारुसूक लोग थे और उन्होंने अपने रुसूक से बढ़ती हुई कीमतों से फायदा उठाने के लिए कानून की जद से निकलवा लिया। मुझे डर है कि यह बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्ट करने और मुजारों को अपनी पुरानी पोजीशन पर बहाल करना, इन दोनों चीजों में टकराव है। जहां तक मुमकिन हो सकेगा आप उनको ओरिजनल पोजीशन पर रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे लेकिन यह कैसे हो सकेगा?

श्री गो० ब० पन्त : वह तो केवल एक एकड़ तक ही है और वह कुल ऐरिया जो बोनाफाइड ट्रान्सर्फड हैं वह बहुत थोड़ा है।

श्री प्र० सिं० दौलता वह चाहे एक एकड़ हो या एरिया हो मेरी अर्ज यह है कि अगर वहां पर एग्रीकल्चरल काश्त हो रही है फस्ल खड़ी है, "डैट शुड बी रेस्टोर्ड टु दी टेनेन्ट।" जेरे काश्ट जमीन के ऊपर मुजारे को बहाल कर दिया जाय लेकिन वह जमीन जो बिल्डिंग के नीचे आ चुकी हो और वह दो या तीन एकड़ हो उसे इस अमेंडमेंट से बाहर निकाल दिया जाय।

श्री गो० ब० पन्त : हरिजनों के बारे में क्या राय है ?

श्री प्र० सिं० दौलता : हरिजनों के बारे में मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल एग्री करता हूं कि उनसे नहीं ली जानी चाहिए चाहे वह एक एकड़ हो, दो एकड़ हो या तीन एकड़ हो। वह उनके पास बनी रहने दी जाये और मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है।

रिपोट को मैंने देखा है और मैं इसमें उनसे पुरी तरह मुत्तफिक हूं कि क्लाज २० जिसमें कि १ जनवरी, १९५७ की डेट रक्खी लिखी है, यह डेट बिल की कसेंट होने तक ऐक्सटेंड कर दी जाय। मैं जानता हूं कि बहुत से भाई इस चीजें से सैटिसफाइड नहीं है और वह इस डेट को पीछे ले जाने के लिए अमेंडमेंट लाये हैं। यह वही ऐलिमेंट है जिसने कि सन् १९५६ में कानून की जद से बाहर निकाला था यही अब यह अमेंडमेंट ला रहे हैं कि यह तारीख पीछे धकेल दी जाय। वे उनके असर में न आयें। दुसरा प्वांइट जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा और जिसका कि जिक्र प्रिंसिपल ऐक्ट की दफा ७ में आया है और जिसको कि इस अमेंडमेंट बिल के क्लाज ५ में टैक्निकल किया है, या मालूम ऐसा पड़ता है कि मंत्री महोदय इस इम्प्रैशन में हैं कि वह सारी जमीन वेस्ट लैंड है। पीजेंट प्रोपराइटरी की यह वैल्ट जो कि पंजाब से मेरठ डिवीजन तक गई है और जिसके कि दिल्ली बीच में पड़ती है, तो दिल्ली के गांवों की विलेज एकोनामी वही है जो पंजाब के गांवों की है। पंजाब में जहां सिर्फ वे ग्राम सभा में वैस्ट करती है वहां यहां पर मलकीयत तबदील होती है। अब कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कम्पेंसेशन का सवाल पैदा होता है। अब वेस्ट लैंड के अलावा गोरादेह, खलिहान, बेटोड़ा, गिताड़ा यह भी इसी जमीन में शामिल हैं। जो कि ग्राम सभा को मिलने लगी है। यह वह जमीन है जो इन छोटे छोटे मालिकों ने अपनी होल्डिंग्स में से पूल की थीं और जब छोटी छोटी जमीनों के मालिकों की जब यह मलकीयत ग्राम सभा

[श्री प्र० सिं० दौंलता]

को ट्रान्सफर होने लगी है तो हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके कम्पेंसेशन का जो मियार है वह बहुत थोड़ा है। प्रिंसिपिल ऐक्ट के सैक्शन ७ में जो कम्पेंसेशन का मयार रखा गया वह लैंड रेवेन्यू से तीन चार गुना है। जो कि बहुत थोड़ा है। दिल्ली में जमीन की चारों तरफ कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही हैं और इसलिए यह जो लैंड रेवेन्यू का फोर टाइम्स रक्खा गया है यह बहुत थोड़ा है। हाईकोट में जब यह मामला गया तो उसने प्रिंसिपल ऐक्ट का ग्रौप्रेशन बंद कर दिया था और यह करार दे दिया था कि जब तक जमीन का उचित कम्पेंसेशन न मिले तब तक इस ऐक्ट पर ग्रमल न हो और मेरी ग्रर्ज यह है कि ग्राप उसे उलटा कर रहे हैं। जमींदारों को मिलने वाला मुग्राविजा थोड़ा है।

मेरी ग्रर्ज है कि कम्पेंसेशन का स्टैन्डर्ड बहुत थोड़ा है। ग्रभी तक दो इंस्टालमेंटस् में था ग्रब वह चार इंस्टालमेंट्स में कर दिया गया है। ग्रब हाईकोर्ट का जो इस बारे में सुझाव है उससे उलटा चल कर बजाय दो के चार इंस्टालमेंट्स में कर दिया और इंस्तटालमेंटस पर जो सूद मिलेगा वह बहुत कम रक्खा गया है, ढाई परसेंट सूद रक्खा गया है जब कि वह कम से कम साढ़े चार परसेंट होना चाहिए। ग्राखिर गवर्नमेंट में ढाई परसेंट सूद कहां है? मेरी समझ में रेट ग्राफ इंट्रेस्ट बहुत थोड़ा है। एक ग्रानरेबल मेम्बर ने कहा था कि वे भी ग्राम सभा में शामिल होंगे। वे भी शामिल है, नान-पेजेन्ट प्रोप्राइटर भी शामिल हैं, सारे गांव के लोग शामिल हैं। इसी प्रिंसिपल की बिना पर तो मैं कहता हूं कि गांव सभा में वेस्ट होना चाहिए। इसमें कोई डिस्पूट नहीं है। ग्रापने यहां जो कांस्टीच्यूशन बना रखा है, उसमें जो राइट्स दे रखे हैं उनके मातहत जेन्ट प्रोप्राइटर को जो कुछ मिलता है, वह क्यों न मिले? इस सोशलिज्म को ग्राप बड़े-बड़े सेठों और लैंडलाड्ज से क्यों न शुरू करें? ग्राप इसको पेजेन्ट प्रोप्राइटर्ज से क्यों शुरू करते हैं।

मेरा दूसरा प्वाइंट प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन ७ के बारे में है, जो कि इस बिल की क्लाज़ ५ में डील किया गया है। मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि पेज़ेन्ट प्रोप्राइटर से जो कामन लैंड ली जाती है, उसके कम्पेन्सेशन का मैयार बुलन्द हो। ग्रगर इस्टालमेंट्स में ही देना है—ग्राप चार इस्टालमेंट्स में दे रहे हैं—तो ढाई परसेंट इन्ट्रेस्ट बहूत थोड़ा है। वह ज्यादा होना चाहिये।

खुशकिस्मती से हमारे मंत्री महोदय बड़े जहांदीदा बुज़ुर्ग हैं। वह बड़ी वाकफ़ियत रखते हैं हिस्ट्री की और सोशियालाजी की भी। मैं प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन ३३, जो कि इस बिल की क्लाज़ १२ में डील किया गया है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय चाहते हैं कि छोटे छोटे किसानों की ज़मीन के स्टैंडर्ड पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिये ताकि उंन के पास ग्रन-इकानोमिक होल्डिंग न रह जायें। । मुझे इस बात से पूरा इत्तिफाक है, लेकिन मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ कभी किसान बसा करते थे। जो ग्राज रह गये हैं, उनमें ग्राज बड़ी सेन्स ग्राफ इनसिक्योरिटी है और वह महज़ सेल या ट्रांसफर से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट भी उनकी ज़मीनों को एक्वायर करती है। ग्राज बिज़िनेस कम्यूनिटी वाले सोसायटीज बना कर किसानों से उनकी ज़मीनें ले रहे हैं और उनको वहां से बेदखल कर रहे हैं और उनकी इकानोमिक होल्डिंग छीन रहे हैं। जो रेस्ट्रिक्शन ग्राप चाहते हैं, वह बड़ी माड़ी है। जिस जगह ग्राज यह पार्लियामेंट हाउस बना है, जहां ग्राज रायसेना है, वहां किसी समय किसानों के खेत हुग्रा करते थे। मैं यह ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां सात गांव मेरी गोत—मेरी बिरादरी के हो गये। एक तमाशा बना हुग्रा है। कुछ लोग १९४७ से दिल्ली में ग्राकर बसे हैं, जो पैसे वाले हैं और इंडस्ट्री ग्रो करना चाहते हैं, या लोकल लोग हैं, जो कि पैसे वाले हैं। वे किसानों की ज़मीन हथियाना चाहते

हैं। वे सरकारी मुलाज़िमों से मिल कर अपना काम करते हैं। वे किसी गांव में जाते हैं—जैसे मुनीरका गांव में जाते हैं और किसानों से कहते हैं कि इस भाव पर ज़मीन दो। किसान कहते हैं कि हम नहीं बचते, हमारा गुज़ारा इसी पर है। तो वे कहते हैं कि फलां महकमा इस की एन्क्वायरी करेगा। फिर सचमुच उस महकमे के लोग वहां चले जाते हैं। इस तरह मिल कर ज़मीन हासिल करने की कोशिश की जाती है। मैंने कल स्टेट्समैन में पढ़ा कि ६०० एकड़ ज़मीन प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिये एक्वायर की जायेगी यहां दिल्ली के किसानों से—उन किसानों से जिनके जिस्म पर कपड़ा नहीं है, हालांकि वे कपास पैदा करते हैं, जिनको गुड़ पैदा करने के बावजूद चीनी का दाना नहीं मिलता है। उनकी ज़मीन मार्केट वैल्यु से कम भाव पर एक्वायर करके उन लोगों को दी जायेगी, जो कि हवाई जहाजों पर चढ़ने वाले हैं, जिनके पास कारें और कोठियां हैं, जिनके पास कारखाने हैं। इंगलिश हिस्ट्री इस किस्म की मिसालों से भरी पड़ी है कि जहां अरबनाइजेशन होती है, वहां आस-पास रहने वाले किसानों पर क्या क्या मिज़रीज़ आती हैं। हिन्दुस्तान में एक फिल्म "दो बीघा ज़मीन" तैयार हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह एक किसान खेती करता है और किस तरह एक कारखाने वाला उसकी ज़मीन छीन कर वहां पर कारखाना बनाता है। दिल्ली में चारों तरफ किसानों की ज़मीन थी। मैं समझ नहीं सकता कि उनकी हिफाजत के लिये सैक्शन ३३ क्या करेगा। सात-सात, आठ-आठ गांव दिल्ली लैंड फाइनेंस वाले एक्वायर करा रहे हैं। इसी तरह दूसरी कम्पनियां भी एक्वायर करा रही हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ के नाम पर किसानों की जमीन पर छापा मारा जा रहा है। आज चारों तरफ किसान सहमे हुये हैं कि हमने कैपिटल के चारों तरफ बस कर क्या गुनाह किया था। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उनके लिये कोई न कोई प्राविज़न ज़रूर किया जाये। यहां पर इतने बड़े बड़े जो बंगले बने हुये हैं, उनको ढा कर आप फ्लैट बनाइये। कहा जाता है कि वहां सैकंड स्टोरी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इससे इनकानवीनिएन्स हो जायेगी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसानों का भी तो कुछ हक है। आज क्या होता है? दफ्तर में एक इंजीनियर पैंसिल से एक लकीर खींच देता है और थाउज़ेन्डेस आफ फैमिलीज़ की फेट का फैसला हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट किसानों की ज़मीन बड़ी एहतियात से हासिल करे। वह उसको प्राइवेट इंडस्ट्री के लालाओं को मुफ्त में न दे दे, जो कि कारखाने कायम करके करोड़ों रुपये कमायेंगे। जब तक आप तीन, चार, पांच मंजिलें बना सकते हैं, तब तक देहात में फैलने और किसानों को उजाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सैक्शन ३३ दिल्ली के चारों तरफ बसे हुये किसानों को नहीं बचा सकेगा, जब तक कि एक्ट में बड़ी तब्दीली न की जाये और गवर्नमेंट की पालिसी को न बदला जाये। अगर गवर्नमेंट को ज़मीन की ज़रूरत है, तो मार्केट वैल्यु से कम पर लेना कोई मुनासिब बात नहीं है। रोमन ला में किसी के घर को आग लगाना सब से बड़ा आफेन्स माना गया है। जहां पर जनीरेशन्ज़ के ट्रडीशन-रिडन लोग हैं, जो कि सात-सात गोत में शादी नहीं करते—मां को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ देते हैं, जो कि बिरादरी से कनेक्टिड हैं। आप उनको उजाड़ते हैं। आप कम से कम माकट वैल्यु से दस गुना ज्यादा पैसा तो उनको दीजिय, ताकि व अपने आप को रीहैबिलिटट कर सकें। आज दिल्ली के चारों तरफ किसानों की आबादी उजड़ती जा रही है।

एक माननीय सदस्य: वह तो सुन नहीं रहे हैं।

श्री प्र० सिं० दौलता: जिस मेम्बर की अमेंडमेंट आई है, वह मंत्री महोदय की तवज्जह अपनी बातों की तरफ दिलाना चाहता है तो वह स्पीच दे सकता है, लेकिन वह दोनों मंत्रियों को लेकर बैठ जाय, क्या यह मुनासिब है?

श्री प्र० सिं० दौलता: मैं स्पीच दे रहा हूं और दोनों मिनिस्टर एक आनरेबिल मेम्बर से बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी शिकायत तो तब होगी, जब कि आपके प्वाइंट का जवाब नहीं दिया जायगा ।

श्री प्र० सिं० दौलता : मैं जानता हूं कि मिनिस्टर साहब भी मेरी तरह ह्युमैन बीयंग हैं । उनके पास हरदयाल का दिमाग नहीं है कि वह सात आदमियों की बात एक साथ सुन सकें । मुझे मालूम है कि वह दिल्ली के लाला राधा रमण की बात सुनेंगे, तो फिर इस जाट की नहीं सुनेंगे । उनकी आवाज़ में स्वीटनैस है, जब कि मेरी आवाज़ कड़वी है । मैं तो चाहता हूं कि वह मेरी स्पीच को सुनें ।

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : श्रीमन्, यह लाला और जाट की बात ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी इस पर एतराज़ है । मेम्बर साहब को ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । शायद ऐसे लफ्ज़ इस्तैमाल करके मेम्बर साहब अपनी स्पीच दूसरों को सुनाना नहीं चाहते हैं । इस तरह के लफ्ज़ कानों को अच्छे नहीं लगते हैं । आप मिनिस्टर साहब की तवज्जह अपनी तरफ दिला सकते हैं कि वह आपकी स्पीच को सुनें और वह सुनेंगे, लेकिन तेज़ी में आकर इस तरह के लफ्ज़ इस्तैमाल करना ठीक नहीं है ।

श्री प्र० सिं० दौलता : मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब आनरेबल मेम्बर श्री राधा रमण से मोहतात रहें । यह डेट पीछे न चली जाये । यह वही इनफ्लुएन्स है, जो कि पन्द्रह गांवों को बाहर ले गया था । इसी लिये मुझे डर लगता है ।

एक माननीय सदस्य : आप भी वहीं बैठ सकते हैं ।

श्री प्र० सिं० दौलता : मैं वहां कहां बैठूंगा ?

आखिर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक क्लाज़ १ का ताल्लुक है, मुझे उस से पूरा इत्तिफाक है । मुझे सिर्फ यह रिक्वेस्ट करनी है कि चीफ कमिश्नर के अख्तयारात दूसरी चीज़ों से कम न हों । जो मुज़ारे बेदखल हुये हैं, जिनकी फसलें खड़ी ह, उनको मुआवज़ा मिले ।

क्लाज़ ७ के बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन पेज़ेन्ट प्रोप्राइटर्ज की ज़मीन ग्राम सभा में वेस्ट होनी है, उनको स्टैंडर्ड से कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये । अगर उनको इन्ट्रेस्ट देना है, तो उनको वह इन्ट्रेस्ट तो दिया जाये, जो कि गवर्नमेंट मकान बनाने के लिये दिये जाने वाले लोन पर चार्ज करती है—उनको कम से कम साढ़े पांच परसेंट इन्ट्रेस्ट तो दिया जाना चाहिये । आखिर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज दिल्ली के चारों तरफ किसानों की ज़मीनों पर डाके पड़ रहे हैं और उनकी जेबें कतरी जा रही हैं । आज कानून के ज़रिये, कारों में बैठकर ज़मीनों को जिस तरह से लिया जा रहा है उससे किसानों के अन्दर बड़ी बेचैनी है । मैं पूछना चाहता हूं कि इन बेचारे किसानों ने क्या कसूर किया है ? ये आपकी प्रोटेक्शन के हक़दार हैं और आपको चाहिये कि आप इनको प्रोटेक्शन दें । आज उनके अन्दर बड़ी इनसिक्योरिटी है, बड़ी बेचैनी है । आप भेस बदल कर उनके बीच में जायें तब आपको उनकी असली हालत का और उनकी शिकायतों का पता चल सकेगा । आज उनको डर है कि उनकी ज़मीन पर किसी भी महकमे की किसी भी वक्त पैंसिल चल सकती है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जब आप उनकी ज़मीन लें तो उसकी कीमत से पांच गुना ज्यादा आप उनको दें । यह राशि अगर आप चाहें तो एकदम दे सकते हैं या किसी और तरह से दे सकते हैं लेकिन यह देखना आपका फर्ज़ है कि वे अदालतों में जाने पर मजबूर न हों ।

इन अलफाज़ के साथ जो बिल यहां रखा गया है, इसकी मैं हिमायत करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इसका जो मकसद है, वह ठीक डायरेक्शन में है ।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडिंग बिल होम मिनिस्टर साहब ने इस सदन में पेश किया है, इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि यह उनकी भलमंसी और उनकी विशाल सहृदयता का एक नमूना है ।

इस बिल का मकसद उन १५ गांवों को जो कि पहले वाले बिल से महरूम रह गये थे भूमिधरी के हक देना है। इसके लिये पिछले दो सालों से ज्यादा अर्से से गांव वालों में परेशानी चली आ रही थी और वे इस चीज़ की मांग करते आ रहे थे। वे लोग हमारे पास भी आये और हमने इस मामले को एडवाइजरी कमेटी में भी उठाया जो कि दिल्ली की है और इस मामले पर ज़ोर दिया। आखिर सरकार ने यह फैसला किया कि इसको जरूर लाया जाये। इसका कारण यह बताया जाता है कि क्योंकि ये १५ गांव अभी फिलहाल डिवेलपमेंट में नहीं आने वाले हैं, इस वजह से यहां भी इस कानून को लागू किया जाये। मैं समझता हूं कि अगर ये गांव डिवेलपमेंट में आ भी जायें तो भी यह कानून वहां लागू होना चाहिये। इसका कारण यह है कि दिल्ली के कई गांव डिवेलपमेंट में अब नये आते जा रहे हैं और इसका यह मतलब नहीं है कि वहां किसान नहीं रह सकेंगे या जो मुआवज़ा है वह ज़मींदारों को ही मिल सकता है, किसानों को नहीं मिल सकता है। जो मुआवज़ा ज़मींदारों को मिलेगा वही वहां के किसानों को मिल जायेगा, इसमें हर्ज की क्या बात है। किसानों को भूमिधर के नाम से वही मुआावज़ा मिल सकता है। इसलिये हर हालत में इन १५ गांवों को उन प्रतिबन्धों से हटाना लाजिमी था। इसका कुछ भी कारण रहा हो, हमें खुशी है कि आज यह किया जा रहा है और मैं गांव वालों की तरफ से और खास तौर पर वहां के किसानों की तरफ से अपने होम मिनिस्टर साहब को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने यह कानून यहां लाने का फैसला किया और जल्दी लाने का फैसला किया और मैं आशा करता हूं कि यह बिना किसी विरोध के यहां पास हो जायेगा ।

जैसा होम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, पिछले कानून में कुछ खराबियां थीं जिनको दूर करना जरूरी हो गया था और खुद-काश्त के बारे में उन्होंने कहा कि दो प्रकार की डेफिनिशंस होती हैं। एक तो वह ज़मीन होती है जो गवर्नमेंट लैंड होती है या बंजर ज़मीन जिसको कहते हैं और वह भी किसी न किसी वक्त ज़मींदारों के कब्ज़े में आ चुकी थी। इसलिये यह कहा गया है कि यह ज़मीन सचमुच खुद-काश्त में आ सकती है लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते थे क्यों उसमें वह नहीं आ सकते थे कि जब तक वे खुदकाश्त न करें और कभी किसी वक्त वह उनके नाम पर चढ़ गई इसलिये वे उसके हकदार हैं। यह सही नहीं था। इसलिये दोनों में मतभेद हुआ और आखिर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि सचमुच खुदकाश्त वह है जिसकी ज़मीन असल में काश्त में आ चुकी हो और बाकी जितनी ज़मीन हो वह बंजर मानी जायेगी। और वह ग्राम सभा को चली जायेगी। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हम काश्तकारों पर की है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो एक्ट है लैंड रिफार्म्स एक्ट वह बहुत बढ़ चढ़ कर के है, काफी एडवांस्ड पीस आफ लैजिस्लैशन है और दिल्ली में भी उन्हीं लाइन्स पर चलने की कोशिश की गई है ।

लेकिन एक दो बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात तो हरिजनों की है जिनके पास कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिसको कि वे अपनी कह सकें। इसमें सीलिंग

[श्री च० कृ० नायर]

का कुछ पक्के तौर पर फैसला नहीं किया गया है। एक सीलिंग तो है और वह यह कि तीस एकड़ से ज्यादा जिसके पास ज़मीन है वे बेच सकते हैं। जिनके पास इससे कम ज़मीन है वे बेच नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जायदाद वाले भी हैं कि अब उनसे ज़मीन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ली जाती है। इसलिये सीलिंग होने पर शायद बची हुई ज़मीन को लेना पड़ेगा और मिनिमम आठ एकड़ रखी गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ज़मीन न बेचे जिसके पास आठ एकड़ से कम बेचने के बाद रह जाती हो क्योंकि उस दशा में वह एक इकोनोमिक यूनिट नहीं रह जाता है। इस दृष्टि से यह प्रतिबन्ध लगाया गया मालूम देता है। आठ एकड़ से अधिक ज़मीन जिसके पास है उसके लिये आठ एकड़ अपने पास रखना लाज़िमी है और उससे ऊपर ज़मीन वह बेच सकता है। हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यह वादा किया है कि एक नया कानून इन दोनों खराबियों को दूर करने के लिये जल्दी ही, एक साल के अन्दर अन्दर, लाने की वह कोशिश करेंगे और उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि हरिजनों को कुछ न कुछ हक़ूक मिल जायें। मैं दौलता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। हरिजनों को ज़मीन मिलनी चाहिये, इसमें उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात उन्होंने शाबाशी की कही है।

श्री राधा रमण जी ने एक अमेंडमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि जो ज़मीन १९५४ और १९५६ के बीच में बेची गई थी उसको बोनाफाइड परचेजर्स ने खरीदा, इसलिये इस चीज़ को कानूनी करार दे दिया जाये इन १५ गांवों में भी। मैं इसको सही नहीं समझता हूं क्योंकि बोनाफाइड परचेज़र का क्या मतलब है? परचेज़र तो हमेशा बोनाफाइड ही होता है, वह अपना हक़ लेता है। लेकिन सोचना यह है कि जो सेलर है वह बोनाफाइड है या नहीं है। जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं और खास करके वे जो शहरों में बैठे हुये हैं और गांवों के गांवों के मालिक हैं और जिनका इन १५ गांवों में काफी ज़ोर है वे इस वास्ते ज़मीन को बेचते हैं कि उनकी ज़मीन के मुज़ायरे भूमिधर न बन जायें। इसलिये हमारा कानून कहता है कि यह सारी चीज़ उनकी सच्चाई और ईमानदारी पर है। परचेज़र्स को कोई दोष नहीं देता है, वे हमेशा बोनाफाइड हैं। हर कोई चाहेगा कि जहां भी ज़मीन सस्ती मिले क्यों न वहां से खरीद ली जाये। दिल्ली में तो आजकल ज़मीन की फी गज कीमत २० रुपये, ५० रुपये, १५० रुपये और २०० रुपये तक पहुंच चुकी है। इसलिये परचेज़र हमेशा बोनाफाइड है। हमें देखना यह है कि जो बेचने वाला है वह बोना-फाइड है या नहीं है और अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने मुनाफ़े के लिये अपने नीचे काम करने वाले मुज़ायरों को धोखा देने के लिये, उनके हक़ूक से उनको महरूम करने के लिये इस ज़मीन को बेचा है या बेच रहा है। इस तरह से यह मुनाफा शब्द धोखे में यहां रख दिया गया है और मैं समझता हूं कि श्री राधा रमण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे क्योंकि उससे गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। जो ज़मीन बेच दी गई है उसके बारे में कुछ अगर तरमीम हो भी सकती है तो इतनी ही हो सकती है कि उस ज़मीन का जो मुआवज़ा मिलेगा उसका वह भूमिधर भी हक़दार बने। जो उस ज़मीन का मालिक बनने वाला है, उसका हिस्सेदार जो भूमिधर बनने वाला है, जो मुज़ारा है, उसको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिये। यहां तक तो कम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन इसकी भी मैं कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता हूं। इसका कारण यह है कि ये १५ गांवों जो कि डिवेलपमेंट के मातहत आने की वजह से पिछले कानून से महरूम रखे गये थे उनको भी मुक्ति देने आप जा रहे हैं और उनमें रहने वाले किसान भी भूमिधर बन सकते हैं तो फिर उसके दर्मियान इस चीज़ को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके उस अमेंडमेंट का हमें विरोध करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि राधा रमण जी भी उस अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे।

इसके बाद पंचायत राज बिल यहां इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसके लिये भी मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं क्योंकि पंचायत राज एक्ट के मातहत हमारे गांवों का संगठन बहुत जोरों से होने वाला है, जैसा हमारे प्रधान मंत्री साहब कहते हैं कि हमारे आइन में सारे देश के लिये जो बहुत बड़ा आदर्श है, पार्लियामेंटरी डिमाक्रेसी और सोशलिस्ट रिपब्लिक कायम करने का, उसका असली तर्जुमा गांवों में ही होने वाला है। इसलिये जब तक गांवों की पंचायतों को मजबूत नहीं किया जाता, इस आदर्श की पूर्ति होनी मुश्किल है। इसके लिये गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी पंचायत राज बिल लाने का वादा किया है और वह आने वाला है। मैं इसके लिये फिर गवर्नमेंट को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसमें जहां तक हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा प्राविजन रखे जायेंगे ताकि उससे लोग ज्यादा फायदा उठा सकें। हालांकि यह बिल दिल्ली स्टेट में पेश किया गया था लेकिन चूंकि दिल्ली की हुकूमत का कोई अधिकार नहीं था इसलिये उस पंचायत राज एक्ट के अन्दर किसानों के लिये या ग्राम वालों के लिये जुडिशल पावर देना उनके लिये नामुमकिन था। इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा यह बिल आया है इसलिये......

उपाध्यक्ष महोदय : इसका धन्यवाद तो उसी वक्त चाहिये जब कि वह इंट्रोड्यूस हो जाय। पता नहीं उसमें क्या होगा।

श्री च० कृ० नायर : इन वजूहात से मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह बिना किसी विरोध के पास हो जायेगा।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : एक कवि ने कहा है :

आशा है तो चमकेंगी किरणें प्यारी उज्ज्वल,
तब तक लहरों में तरणी तिरने दो अविरल।

मैं अपनी बात सन् १८५७ से शुरू करता हूं। यह गांव.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत पीछे चले गये, आज तक आने में बहुत वक्त लगेगा।

श्री नवल प्रभाकर : इस विधेयक से उसका पूरा सम्बन्ध है इसलिये निवेदन करता हूं।

सन् १८५७ में जब हमने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी उस समय इन गांवों ने, जिनमें कि वजीरपुर, चौकड़ी, मुबारकाबाद, आजादपुर आदि गांव थे उन्होंने काफी हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर बाकी सब जवानों को एक लाइन में खड़ा कर गोली से मार दिया गया था, औरतें विधवा कर दी गईं थीं और जिन लोगों ने अंग्रेजों की हिमायत की थी उनको वह ज़मीनें बख्शीश में दी गईं थीं। यह कहानी वहां से शुरू होती है। हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद उन किसानों के दिल में एक प्रेरणा हुई, उनको एक खुशी हुई कि शायद उनको वह हक मिलेगा। सन् १९५२ में एक भूमिसुधार कमेटी बनी दिल्ली विधान सभा में। उसके बाद सन् १९५४ का अधिनियम बना और अधिनियम बनते ही उनको बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे ही वे खुश हुये, उस खुशी पर तुषारापात हो गया। उनको निराशा का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली विधान सभा में एक नया विधेयक आ गया और उसमें कहा गया कि यह जो पन्द्रह गांव हैं, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के और वेस्ट म्यूनिसिपल कमेटी के, वे उस अधिनियम से वंचित रहेंगे और उनको भूमिधरी अधिकार नहीं मिलेंगे। आप कल्पना कीजिये उन लोगों की जिनके मन के अन्दर भावना थी कि जो उनका १०० वर्ष पुराना इतिहास है उसको फिर दोहरायेंगे और वे फिर भूमि के मालिक बनेंगे। एक ग्रास आदमी तोड़े और उसके मुंह के पास वह चला जाये उसके बाद वह उससे छीन लिया जाये, वही अवस्था उन लोगों की हुई।

[श्री नवल प्रभाकर]

आज प्रसन्नता की बात है कि उन पन्द्रह गांवों की जो चिर अभिलाषा थी वह आज पूर्ण होने जा रही है। उनका बच्चा बच्चा आज माननीय गृह मंत्री को दुआयें दे रहा है। उनके घर घर के अन्दर आज खुशी है कि जिस दिन यह विधेयक अधिनियम बनेगा और उनको भूमिधरी के प्रमाणपत्र मिलेंगे, उस दिन उनकी आकांक्षा पूरी होगी। सरकार की भी इच्छा है कि उन को वह खुशी नसीब हो। मैं चाहता हूं कि अब कानून का कोई ऐसा अड़ंगा न हो जिससे जैसा सन १९५६ में हुआ वैसा ही फिर हो जाये। उस समय एक क्लाज का बिल आया दिल्ली विधान सभा में, उस पर बहस भी नहीं हुई और केवल आधे घंटे में वह पास हो गया और उन लोगों की आशाओं के ऊपर एक तरह से पानी फेर दिया गया।

अब में विधेयक के ऊपर आता हूं। सन् १९५४ के अधिनियम की जो ८वीं धारा है उस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस में गांवों की आबादी का जिक्र है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस संदर्भ में हरिजनों के बारे में कहा, किन्तु मैं चाहता हूं कि उस में पूर्णतया इस बात का स्पष्टीकरण हो कि जो अनुसूचित लोग हैं या नानएग्रिकल्चरल आदमी हैं, और जो गांवों की आबादी में बैठे हुए हैं, उन का क्या होगा। इस अधिनियम के देखने से ऐसा ज्ञात होता है वह जमीन उन के लिये है, किन्तु जब कार्यरूप में दखते हैं तो वह जमीन उन की नहीं होती है। वह जमीन जिस के ऊपर उन के मकान बने हुए हैं, जिस के ऊपर उन के दादा और परदादा से ले कर आज लोग बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं, वह आज उनकी नहीं है। आज यदि उन को अदालत में जाना पड़ता है तो एक हरिजन की, जिस का वहां पर दोमंजिला मकान बना हुआ है, जमानत नहीं ली जाती है और उस से कहा जाता है कि तुम्हारे पास पट्टा कहां है, तुम्हारे पास लिखत कहां है। मैं चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सके तो इस विधेयक में ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि उन को भी इस तरह का कोई प्रमाण पत्र दिया जाये जिस तरीके पर कि काश्तकारों को भूमिधरी के प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। जिस भूमि पर उन लोगों के मकान बने हुए हैं यदि उन पर दूसरों को भूमिधरी का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है तो इस से उन लोगों का काफी नुक्सान होगा। मैं जब अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो जो गरीब हरिजन हैं या नानएग्रिकल्चरिस्ट्स हैं वह सब यही कहते हैं कि आप और कुछ कराइये या न कराइये, लेकिन यह चीज तो करा ही दीजिये। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं और उन के द्वारा बताना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह से होता है। एक गांव है सुल्तानपुर दवास, जिस में ७० या ८० बरस से एक व्यक्ति का कब्जा है और उस का वहां पर मकान बना हुआ है, लेकिन जो जमीन्दार है वह उस कब्जे को खत्म कराना चाहता है। इसी प्रकार से मूंगशपुर गांव में भंगी रहते हैं। वहां पर उन का कब्जा है, मकान बना हुआ था, वह बरसात में गिर गया। उस के बाद जमींदार ने कहा कि मैं तुम को वहां मकान नहीं बनाने देता। नरेला में एक गांव में मैं गया। वहां भी यही हाल है। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह से जो हरिजनों के मकान बने हुए हैं उन के ऊपर उनका पूरा अधिकार हो जाये। आज भी हम भूमिसुधार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हरिजनों का सवाल आता है तो उन के लिए भी तो सर छिपाने की जगह होनी चाहिये। आप कुतुबगढ़ गांव को लीजिये। वहां पर चकबन्दी की गई, चकबन्दी के अन्दर कुम्हारों को कुछ एकड़ जमीन दी गई, लेकिन जमीन-दारों को नाराजी है, वह कहते हैं कि हम उन को नहीं रहने देंगे और आज भी उन को मिट्टी नहीं खोदने देते, हालांकि सरकार की तरफ से वह उन को एलाट हो गई है। आज वहां पर यह अवस्था है। मैं चाहता हूं कि इस बिल में इस तरह का कोई प्रबन्ध हो जिस से हरिजनों को संतोष मिल सके, राहत मिल सके। बजीरपुर गांव को भी आप लीजिये। एक जमीनदार ने यहां तक किया कि कस्टो-डियन की जमीन बेच कर पैसा हथिया लिया। यह हालत, यहां के जमीन्दारों की और अब कस्टोडियन की तरफ से जिन लोगों ने मकान बनाने के लिये जमीन खरीदी थी उन के नाम नोटिस आ रहे हैं।

भलसवा गांव जिसका कि दूसरा नाम जहांगीरपुर भी है एक काश्तकार को भूमिधर बना दिया। वह माल अफ़सरों की मैं आपको बताता हूं कि उनको भूमिधर बना दिया। वह बेचारा काश्त करता है और जब उस की पूरी फ़सल आ जाती है तो ज़मींदार काट कर के ले जाता है। वह रोता रह जाता है। सिर पीट कर वहां बैठ जाता है, पुलिस में जाता है तो उस से कह दिया जाता है कि ज़मीन का मामला है हम नहीं सुनते। इसको रेवन्यु कलक्टर सुनेंगे, माल अफ़सर सुनेंगे। माल अफ़सर के पास वह जाता है, तो वह कहते हैं कि दीवानी में दावा दायर करो और दीवानी वाले कहते हैं कि टिकट लगा कर देवो कि तुम्हारा कितना नुक़सान हुआ है। मैं चाहता हूं कि यहां इस पालियामेंट से माननीय मंत्री कोई स्पष्ट निर्देष दें कि ऐसे मामलात के अन्दर क्या करें नहीं तो यह बिल जो कि कल अधिनियम बनेगा उस में काश्तकारों की यही हालत होगी।

मैं देखता हूं कि माल अफ़सरान के ख़िलाफ़ जो आये दिन शिकायतें आती हैं और जिनका कि कोई हिसाब नहीं और उन के क़ायम रहते आप भले ही यहां पर कितने ही अच्छे शब्दों में इस विधेयक को पास करिये उस से कुछ बनेगा नहीं क्योंकि जब यह कार्य रूप में परिणत होने के लिए जायगा तो किसान की जो अवस्था होगी वह आप स्वयं समझ सकते हैं। वह हमेशा माल अफ़सर के वहां खड़ा रहेगा और उस अवस्था में वह क्या काश्त कर पायेगा? मैं चाहता हूं कि इस तरीक़े का एक बिल्कुल स्पष्ट निर्देष हो ताकि उनको पुलिस में पनाह मिल सके। अगर कोई ज़मींदार किसी काश्तकार के खिलाफ़ ज्यादती करता है तो उन को माल अफ़सर के वहां पर पनाह मिल सके लेकिन माल अफ़सर की तो यह बात है कि अगर वहां कोई नक़ल लेने के लिए जावे तो उसे महीना लग जाता है। और लोगों का यह कहना है कि जब तक उन की कुछ पूजा न की जाय तब तक कोई नक़ल वग़ैरह नहीं मिलती है। अब चूंकि दिल्ली का प्रशासन सीधे केन्द्र के मातहत है इस लिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और जब तक वे उधर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम चाहे कितने ही बिल बना कर क्यों न रख दें, गांव के लोगों को उस से संतोष नहीं होगा। हम भले ही यहां पर बैठ करके संतोष कर लें, गृह मंत्री महोदय को धान्यवाद दे देवें और कह देंवें कि यह बिल बहुत अच्छा है और मैं भी मानता हूं कि आपकी शब्दावली अच्छी है, भावना और जो उसकी भाषा है वह सब अच्छी है लेकिन वास्तव में यह अच्छा तो तब ही सिद्ध होगा जब यह कार्य रूप में परिणत हो और गांव के किसान भी यह कहें कि वाक़ई इस बिल के बनने से उनकी परेशानी कम हो गई है और उनको इधर उधर घूमना और मारे मारे फिरना नहीं पड़ता और घर बैठ कर उनको भूमिधरी का अधिकार प्राप्त हो गया, तभी मैं समझूंगा कि यह बिल बिल्कुल ठीक है और सही है।

श्री दौलता जो कि इस समय सदन से कहीं बाहर चले गये हैं उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही जो कि मुझे बड़ी विचित्र लगी। मुझे मालूम है कि वह अपने आप को साम्यवादी कहते हैं लेकिन उन्होंने यह कहा कि जो ज़मीन है उसका मुनासिब मुआवज़ा मिलना चाहिए, वह मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने जब रूस का संविधान पढ़ा तो मैंने देखा कि उनके वहां पर तो किसी भूमि का मुआवज़ा दिया जाता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं देखा लेकिन आज मेरे वह कम्युनिस्ट भाई यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि उस ज़मींदार की ज़मीन जो कि बंजर पड़ी हुई थी और जो किसी काम में नहीं आती थी और जो गांव सभा में चली जायगी, उसका अधिक से अधिक मुआवज़ा मिलना चाहिए। चीज़ यह है कि जब आदमी के अपने ऊपर असर पड़ता है और भूतकाल में उनका उस क्लास से सम्बन्ध रहा है, तो वे उस समय अपने सिद्धान्तों को और अपनी नीती को भूल जाता है। असल में आदमी जिस परिवार में पला होता है उसकी बात ही उस के सामने रहती है। लेकिन चूंकि वह साम्यवादी होने का दावा करते हैं इसलिए मैं उन से यह कभी आशा नहीं करता था कि वे यह कहेंगे कि उन्हें मुआवज़ा मिलना चाहिए।

[श्री नवल प्रभाकर]

एक ज़मींदार है जिस क कि पास बहुत काफ़ी जमीन है। बहुत दिनों तक उसने उस पर काश्त नहीं की और उस को काम में नहीं लाया। अब यदि उस ज़मीन को गांव सभा में डाला जाता है और गांव सभा में डाल कर के अगर उसकी काश्त करा ली जाती है, तो उसके लिए यह कहना कि अधिक मुआवज़ा मिलना चाहिए, बड़ा विचित्र लगता है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अन्दर १,२४,४८८ एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है और यदि उस बंजर पड़ी ज़मीन को हरिजनों को दे दिया जाये तो बहुत सारे हरिजन परिवार पल सकते हैं। खेतिहर मज़दूर जो कि खेत पर काम करत हैं उनको अगर वह ज़मीन दे दी जाये तो बहुत सारे परिवार पल सकते हैं। उनको आप व्यक्तिगत रूप से मत दीजिये। अभी नागपुर कांग्रस सेशन में भूमि सुधार और कृषि संगठन सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास हुआ है मैं उसके कुछ अंशों को यहां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उस में कहा गया है :

"भूमि सुधारों के बारे में अनिश्चितता दूर करने और किसान की ज़िंदगी में पायदारी क़ायम करने की दृष्टि से, आज की और बाद की भी जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये और इस के लिये और साथ ही मध्यवर्तियों का उन्मूलन करने के लिये सभी राज्यों द्वारा १९५९ के अन्त तक क़ानून बनाने का काम पूरा कर दिया जाना चाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि आमदनी की कोई सीमा बांध दी जायेगी, क्योंकि उम्मीद यह की जाती है कि सघन खेती और अतिरिक्त धन्धों की वजह से गांवों की आमदनी से वृद्धि होगी। इस प्रकार की अतिरिक्त भूमि पर पंचायत का अधिकार होना चाहिए और उनका प्रबन्ध भूमिहीन खेतिहारों की सहकारिता समितियों के हाथ में रहना चाहिये"।

इसी तरह से आगे इस प्रस्ताव में यह कहा गया है :

"खेती के लायक जो ज़मीन ख़ाली पड़ी हुई है उस पर और ऊसर ज़मीन पर खेती के लिये हर तरह की कोशिश की जानी चाहिये। इस तरह की ज़मीन का उपयोग करने की दृष्टि से उचित क़दम उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये"।

यह एक वास्तविकता हैजो कि मैंने आपके सामने रक्खी। श्री राधा रमण ने एक संशोधन रक्खा है जिसके द्वारा वे यह चाहते हैं कि सन् १९५४ और १९५६ के बीच में जिन्होंने भूमि बेच दी है और उनको कुछ राहत दी गई है, छूट दे दी गई है वह बनी रहने दी जाये। मैं इस के हक़ में नहीं हूं और इसलिए हक़ में नहीं हूं कि १९५४ में जब दिल्ली विधान सभा ने विधेयक पास किया, उस अवस्था में जिन गांवों को भूमिधरी बनना चाहिये था उन को वास्तव में भूमिधरी बनना चाहिये किन्तु कुछ ज़मींदार लोग जो शहर में बैठे हुए हैं और जैसे कि श्री नायर ने कहा जिनको कि गांव सन् १८५७ में अंग्रेज़ सरकार द्वारा बख़शिश में मिले थे, उन्होंने जब यह देखा कि सन् १९५४ के इस विधेयक में यह अधिकार दे दिया गया है तो उन्होंने अपनी ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया लेकिन होना यह चाहिये था कि वे १५ गांव हैं जो कि सन् १९५४ के एक्ट के मातहत आते थे उनको ही भूमिधरी होना चाहिये था। सन् १९५४ के ऐक्ट के मातहत जितनी भूमि उनको प्राप्त होनी चाहिए थी, उसका भी पूरा-पूरा हक़ उनको मिलना चाहिये। अगर १९५४ और ५६ के बीच में किसी ज़मीनदार ने ज़मीन बेचकर मुनाफ़ाखोरी की है या मुनाफ़ा कमाया है तो उसका मतलब यह हुआ कि उस भूमिधर का उस काश्तकार को या किसान को जिसको कि स्पष्ट रूप से लाभ होने वाला था, उसे लाभ से वंचित कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि सन् १९५४--५६ के बीच में जितने भी ऐसे ज़मींदारों के प्लाट्स की शकल में या दूसरी शक्लों में अपनी ज़मीनों को बेच दिया है और उस तरह जो मुनाफ़ाखोरी की है उस मुनाफ़ाखोरी को रोकने का कोई इन्तज़ाम होना चाहिये और उस पैसे को मुआविज़े की शक्ल में काश्तकार को या

उस किसान को जिसका कि उस पर कब्जा था, पूरी तौर पर उसे मिलना चाहिए। यदि वह ज़मीन बंजर थी, तो उस का सारा पैसा उस गांव को मिलना चाहिये, क्योंकि वह सारी ज़मीन उस गांव की होने वाली थी। किन्तु जब १९५४ का अधिनियम बना, तो वे उस को कोर्ट में ले गए। उस में दो साल लग गए। १९५६ में एक नया संशोधन पास करा लिया। ऐसी हालत में उन को तो लाभ हुआ और आज हम भी उन को लाभ दे रहे हैं कि अगर उन्होंने ज़मीन बेची है, उस जमीन के टुकड़े कर दिए हैं, तो वह लाभ उनकी जेब में जाय। यह कोई न्याय नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस का हक था, जिस का अधिकार था, वह उस को मिलना चाहिये। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि जो काश्तकार पहले वहां भूमिदार बनता और उसको लाभ प्राप्त होता, वह अब क्या करेगा। गांव से शहर में आकर मज़दूरी करने के अतिरिक्त उस के पास कोई उपाय नहीं है। श्री दौलता ने कहा कि आज जहां पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है, वहां कभी किसान लोग थे। उस व्यक्ति का ख्याल कीजिए, जिस की भूमि थी। उस को प्लाट बना कर बेच दिया। जमींदार को तो मुनाफ़ा मिल गया, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान को भी कुछ मिलना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक में इस तरह का कोई प्रबन्ध अवश्य करें।

अन्त में एक बात और कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं। वह यह है कि जब हम एक समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं, तो गांवों के उन हरिजनों को भी हमें नहीं भूलना है, जिन के पास आज ज़मीन नहीं है। आज दिल्ली के देहात में किसी हरिजन के पास भूमि नहीं है। मैं चाहता हूं कि मूल अधिनियम में जिन आठ प्रकार के लोगों को असहाय करार दिया गया है—जिन में नाबालिग़, अन्धे वगैरह हैं—उन को लाभ पहुंचाने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन उन की भूमि उनकी मर्जी पर न छोड़ी जाए। मेरी प्रार्थना है कि उन खेतिहर मज़दूरों की सहकारी समिति बनाई जाये और वह भूमि उस को दे दी जाय। आज जो बड़ी अधिक भूमि ऊसर पड़ी हुई है, उस को भी सहकारी समितियों को दे देना चाहिए। उस से हमारे दिल्ली के देहात में रहने वाले नान-एग्रीकल्चरिस्ट मज़दूरों को लाभ मिलेगा।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे और इन को कार्यान्वित करेंगे।

श्री यादव (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने एक कविता के साथ अपना भाषण शुरू किया था। मुझे भी एक शेर याद आ गया है। वह यह है —

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरा खून का निकला।

इस वाद-विवाद में अभंयकर नगर की भी चर्चा हुई, जहां कि अभी कांग्रेस का इजलास हुआ था। उस की चर्चा इस रूप में की गई कि सतारूढ़ दल—कांग्रेस पार्टी—अब भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में कोई इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है, जिस से सही मायने में देश के छोटे किसानों का हित-साधन होगा। लेकिन इस विधेयक में मैं पाता हूं कि हरिजनों और किसानों की छोटी मोटी सुविधा देने के अतिरिक्त कोई ऐसा आमूल परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जिस से खेती के सिलसिले में देश को एक क्रांतिकारी दिशा मिलती हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जिन लोगों को—विशेषकर उस ओर बैठने वाले सदस्यों को, जिन में बहुत से हरिजनों और किसानों के हित की बात करते हैं, इस विषय में कोई भ्रम रहा होगा, वह भ्रम अब उन के दिमागों से दूर हो जाना चाहिये और उन को ज्ञात हो जाना चाहिए कि जो प्रस्ताव पास किया गया है—जिस की रूप-रेखा आज हम इस सदन में देख रहे हैं—वह चुनाव में ग़रीब लोगों के मत लेने की कोशिश है—वह एक अभिनय मात्र है। धारा १२(ए) में खुदकाश्त की डेफ़ीनीशन दी गई है, जो कि इस प्रकार है —कि जो लोग स्वयं खेती करते

[श्री यादव]

हों, चाहे अपने नौकरों या किराये के मज़दूरों से खेती करवाते हों, वे खुद काश्त करने वाले लोग समझे जायेंगे और इसी के अनुसार उन को भूमिधर भी बना दिया जायगा। अगर हम इस डेफ़ीनिशन पर नज़र डालें, तो मालूम होगा कि मंत्री महोदय ने खुदकाश्त शब्द को एक नए ही मायने पहनाए हैं। खुदकाश्त का मतलब है कि जो स्वयं खेती करे--इस का मतलब यह नहीं है कि चाहे किसी दूसरे से खेती करवाई जाये। होना तो यह चाहिए कि भूमि का मालिक वही हो, जो वास्तव में स्वयं खेती करे और अपने हाथों से धरती को चीरे काटे, लेकिन अगर भूमि का मालिक वह व्यक्ति भी हो सकेगा, जो स्वयं खेती न करता हो, दूसरों से करवाता हो, या शायद दूसरे ही करते हों और उस को लगान देते हों और ख़सरा खतौनी में उस का नाम दर्ज हो और इस प्रकार वह भूस्वामी बना रहे, तो फिर किसानों को क्या लाभ होने वाला है? दिल्ली की तो विचित्र दशा है। यह तो इस देश में एक प्रकार से एक विदेशी टापू है। यह कानून अंग्रेज़ी भाषा में बनने वाला है । हरिजन लोग सब से पिछड़े हुए होते हैं। उन को तो हिन्दी या उर्दू भी नहीं आती, परन्तु उन के लिये यह कानून अंग्रेज़ी में बनाया जा रहा है और इस में भी उन के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, उस से उन को फ़ायदे के बजाए नुक्सान ही होगा। हम ने सोचा था कि अभयंकर नगर कांग्रेस के बाद इस सिद्धान्त पर अमल किया जायगा कि भूमि का मालिक वही होगा, जो स्वयं खेती करेगा और जो नहीं करेगा, उसको भूमि नहीं मिलेगी और इस तरह से इस देश के गरीब किसानों को लाभ पहुंचेगा, लेकिन आज उन आशाओं पर तुषारपात हुआ है। इस धारा के अनुसार दिल्ली में खुद काश्त करने वाले लोग वे हैं, जिन के पास सैंकड़ों एकड़ भूमि है और उस के अतिरिक्त आजीविका के अन्य साधन भी उन के पास मौजूद हैं। सरकार उन से कुछ लेने के बजाय इस कानून के द्वारा उन की स्थिति और मज़बूत करने जा रही है।

हम एक भूमि सुधार तजुर्बा कर रहे हैं और तुम पांच दस साल और इंतजार करो और उसके बाद बहुत मुनाफा मिलेगा, बहुत मौज कर सकोगे। राधा रमण जी के संशोधन का भी यहां जिक्र किया गया है। मैं नहीं चाहता था कि उसका मैं जिक्र करूं। लेकिन अभी हमारे एक मित्र ने सन् ५७ का ज़िक्र किया दिया और हमारे दौलताना साहब ने भी जो कुछ कहा उससे कुछ थोड़ी सी जानकारी मुझे हो गई। मैं नहीं जानता था कि दौलताना साहब.........

उपाध्यक्ष महोदय: दौलताना साहब तो पश्चिमी पंजाब में रह गये। यह तो दौलता साहब हैं।

श्री यादव: इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राधा रमण साहब ने जो एमेंडमेंट दी है, उस से मुझे उन के साथ शिकायत थोड़ी है। मैं तो देखता हूं कि हमारे नेहरू जी के मंत्रीमंडल में आज भी ५७ के गद्दार मौजूद हैं और आज भी अपना सिर ऊंचा किये हुए हैं। आज भी सुरैया शूगर फैक्ट्री जो कि सरदारनगर, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में है, किसानों पर गन्ना न देने की वजह से गोली बरसाई गई है और दो आदमियों को जान से मार डाला गया है। आज भी सन् ५७ के गद्दार लोग हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप कांग्रेस के अन्दर.....

श्री राधा रमण: मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी वे लोग सन् ५७ में जिन्दा भी नहीं थे और उन के परिवार भी नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने ऊपर थोड़ी सी रोक लगावें और कोई ऐसी बात न कहें जो नहीं कहनी चाहियें।

श्री यादव: उपाध्यक्ष महोदय, जो कछ मैं कह रहा हूं यह एक असलियत है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई कोई असली बात भी ऐसी होती है जो कि नहीं कही जानी चाहिये।

श्री यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानता हूं ।

हमारे बुजुर्ग पंडित पंत ने कहा है कि ३० एकड़ की एक सीमा निर्धारित की गई है । इस सीमा की बात की कलई भी अगर मैं खोलूं तो आपकी आंखें खुल जायेंगी । तीस एकड़ की सीमा का मतलब यह है कि कोई भी भूस्वामी तीस एकड़ से अधिक जो भी उस के पास ज़मीन है उसको बेच सकता है और यह नागपुर प्रस्ताव का यकीनी तौर पर असली मतलब निकलता है । मैं समझता हूं अगर गवर्नमेंट सचमुच सीरियस होती तो दिल्ली भूमि सुधार जैसे छोटे से विधेयक में वह कह सकती थी कि अधिक से अधिक जोत की सीमा क्या होगी और कम से कम जोत की सीमा क्या होगी । यह न कर के कानन में यह व्यवस्था कर दी गई है कि तीस एकड़ से अधिक ज़मीन को वह बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है । इसका साफ अर्थ यह है कि अगर किसी के पास १५०० एकड़ भूमि है तो जो अतिरिक्त भूमि है वह उस से नहीं छीन ली जाएगी लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो फालतू जमीन है उसको वह मनमाने ढंग से जब कभी भी चाहे और जिस किसी के हाथ में बेचना भी चाहे और जितनी कीमत पर भी बेचना चाहे वह बेच सकता है । अगर सरकार थोड़ा भी चाहती होती कि किसानों का फायदा हो तो वह वैसा भी कर सकती थी और उसने इस भूमि सुधार कानून में निम्नतम और अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित न कर और उस सीमा से अधिक ज़मीन अपने हाथ में न लेकर और उसको कम से कम हरिजनों और खेतिहर मजूरों में न बांटने की बात कर, इस कानून को अभिनय मात्र बना दिया है और इस कानून को निरर्थक सा बना दिया है । इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है ।

जिन के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि होगी वे भूस्वामी अपनी ज़मीन को किस के पास बेचेंगे, क्या वे उस को हरिजनों के हाथ बचेंगे या दूसरे खेतीहर मज़दूरों के हाथ बेचेंगे ? दिल्ली में जहां भूमि की कीमतें इतनी बढ़ी हुई है, कौन हरिजन है जो उनको खरीद सकेगा ? कौन किसान है जो खरीद सकने की ताकत रखता है ? ज़मीन किस के पास रहनी चाहिये, इसका फ़ैसला किया जाना चाहिये था । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । यहां पर यू० पी० के कानून की बड़ी चर्चा की गई है और कहा गया है कि यह कानून यू० पी० के माडल पर तैयार किया गया है । मैं समझता हूं कि चूंकि यह बिल यू० पी० के माडल पर तैयार किया गया है, इसलिए यह और भी खराब है क्योंकि मेरे विचार में यू० पी० का कानून भी कोई बढ़िया कानून नहीं है । आज हमारे देश में क्या हो रहा है ? हमारे देश में आज यह हो रहा है कि इ हीं कानूनों का सहारा लेकर कुछ लोगों की रोटी और रोज़ी उन से छीनी जा रही है और दूसरे ओर उ पादन के साधन कल कारखानों की शक्ल में पूंजिपतियों के हाथ में एकत्र होते जा रहे हैं । इसी तरह से भूमि के सम्ब ध में बनाये गये कानूनों का फायदा उठा कर यहां के लखपति और करोड़पति जा जाकर ज़मीनों पर भी कब्ज़ा करते जा रहे हैं । बिजनौर की ही मैं बात करता हूं । वहां पर बिड़ला साहब ने कम से कम १०,००० एकड़ का फार्म बना लिया है । इस तरह से आज भूमि भी बड़े-बड़े लोगों के हाथों में चली जा रही है जिसका नतीजा यह होगा कि जो हरिजन और काश्तकार हैं वे मजदूरी ही करेंगे और उनको रोज़ी और रोटी नहीं मिल पायेगी ।

इसलिए अगर आप समत की बात करते हैं, भूमि सुधारों के कानून की बात करते हैं हरिजनों की बात करते हैं तो कानून में आपको यह व्यवस्था करनी चाहिये कि छोटी से छोटी जोत की सीमा क्या होगी, इसको साफ कर सकते थे । यह बिल्कुल आसान बात है । बिना किसी कठिनाई के आप यह कर सकते थे । आप यह कर सकते थे कि एक खानदान में

[श्री यादव]

जिस में स्त्री पुरुष और तीन बच्चे हों और वे अपने ही परिश्रम से बिना मशीन का सहारा लिये जितनी खेती कर सकते हैं, उस से तीन गुना से अधिक उनके पास भूमि नहीं होनी चाहिये। अगर उस से अधिक भूमि हो तो वह पहले हरिजनों में और उसके बाद दूसरे खेत मजूरों में और जो अलाभ पर जोत वाली है उनके हाथ में जानी चाहिये। अगर ऐसा किया गया होता तभी जाकर खेती के कानून का कोई अर्थ होता। लकिन मौजूदा विधेयक से कोई खास लाभ नहीं होने जा रहा है। इसका फल यही होगा कि लोक-सभा के बने हुए कानून में एक और कानून का इज़ाफा हो जाएगा, कुछ हरिजन लोगों की जेबों से, कुछ गरीब लोगों की जेबों से पैसा वकील लोगों के पास चला जाएगा और वे बेचारे अदालतों के चक्कर में पड़ जायेंगे। इस लाभ के अतिरिक्त और कोई लाभ इससे नहीं होने वाला है।

कम्पेंसेशन के बारे में यहां एक बात कही गई है। इसका मैं विरोधी हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसी किसान की भूमि किसी भी कारण से एक्वायर होती है तो उसको कम्पेंसेशन उसी सूरत में मिले जब उसके पास कोई दूसरा गुजारे का ज़रिया हो और गुज़ारे का कोई दूसरा ज़रिया न हो तो सरकार को चाहिये कि उसकी रोटी रोजी की व्यवस्था करे, उसको किसी दूसरे काम पर लगावे जिस से उसकी रोटी रोज़ी चल सके।

अब मैं बंजर भूमि के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। बंजर भूमि के बारे में जो भूस्वामियों को मुआवज़ की बात कही गई है मैं उसका विरोधी हूं, उनको मुआवज़ा नहीं मिलना चाहिए। वह भूमि ग्राम सभाओं में या पंचायतों में तो अवश्य जाए लेकिन सरकार इसी के साथ-साथ यह भी व्यवस्था करे कि उस भूमि पर सहकारी खेती होगी और उस सहकारी खेती का फायदा केवल हरिजन और जो खेत मजूर लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। अगर ऐसा किया गया तो कुछ तो लोगों की बेकारी दूर होगी और कुछ हद तक बेरोजगारी भी दूर होगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गरीब हरिजनों को नकलें नहीं मिलती हैं, कागजात नहीं मिलते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय इस बिल में यह व्यवस्था अवश्य करें कि लेखपाल या पटवारी जो भी वहां पर जमीन के कागजात से सम्बन्धित अधिकारी हो उसके लिये यह जरूरी हो जाय कि जितने भी किसान हैं और जो खेती करते हैं उन सब को खसरा और खतौनी की नकल अनिवार्य रूप से हर साल के बाद दे दी जाया करे। अगर यह व्यवस्था हो जाय तो बहुत अंश में गरीब किसानों को लाभ हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अन्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा विधेयक है इस में न तो कोई विशेष बात है और न ही कोई क्रान्तिकारी सुझाव है और न ही इस से कोई बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। हां थोड़ा सा लाभ एक छोटे से वर्ग को अवश्य होने वाला है। और जहां पर लाभ की बात आती है इस का मैं सदैव स्वागत करता हूं और अब भी करता हूं, इस में विरोध होना भी नहीं चाहिये। लेकिन इस के साथ ही साथ मैं इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि अगर अभ्यंकरनगर के प्रस्ताव की ओर ध्यान आप दें तो भूमि सुधार सम्बन्धी इस विधेयक के बारे में मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन की ओर आप का ध्यान अवश्य जाना चाहिये और उन को सदैव आप को दृष्टि में रखना चाहिये।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विधेयक का मूल सिद्धान्त तो ठीक ही है। मुख्य उद्देश्य यह है कि १५ गांवों के किसानों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत न लाया जाय। यह बात ठीक ही

†मूल अंग्रेजी में

है कि जो भेदभाव किया गया था उसे दूर कर देना चाहिये । फिर भी विधेयक के उपबन्धों पर स्थिति को समक्ष रख कर ही विचार करना चाहिये । इस पर विचार करते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिये । एक यह कि एक बड़े नगर के रूप में दिल्ली के विकास पर इस का क्या प्रभाव पड़ता और दूसरा यह कि जिन लोगों की भूमि ली जाय उन्हें उस का पूरा-पूरा मुआवजा दिया जाये ।

दिल्ली का विकास तो होना ही है, शायद इसी लिये, ही दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ के कई उपबन्धों को कई एक ग्रामों में लागू नहीं किया गया था । यह एक महान समस्या है । यदि इस अधिनियम को सरकार वापिस लेना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु दिल्ली के विकास, दिल्ली की गंदी बस्तियों को साफ करने तथा दिल्ली की बढ़ रही भीड़-भाड़ को दूर करने के लिये सरकार को समुचित योजना प्रस्तुत करनी चाहिये ।

इस विधेयक पर विचार करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिल्ली इस देश की राजधानी है । विभिन्न देशों की राजधानियों की आबादी इसी प्रकार बढ़ी है, जिस प्रकार की दिल्ली की बढ़ रही है । इस के अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में शरणार्थियों के लगभग ५००० परिवारों ने भूमि के छोटे-छोटे प्लाट खरीदे हैं । उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिये । श्री राधा रमण यह संरक्षण २७ अक्तूबर, १९५६ तक चाहते हैं, परन्तु मेरा कहना है कि यह १९५८ भी हो जाय तो कोई हर्ज नहीं । साथ ही इस मामले में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त कई एक ऐसे स्थानों पर भी आवास के लिये इमारतें बनाने के हेतु शरणार्थियों ने प्लाट खरीदे हैं परन्तु उन स्थानों पर किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधायें नहीं हैं सरकार को ऐसे स्थानों पर सड़कों इत्यादि की व्यवस्था करने का भी प्रबन्ध करना चाहिये । यह एक जीवित समस्या है और दिल्ली की बढ़ रही भीड़-भाड़ की दृष्टि से इस का हल करना बड़ा आवश्यक है । मैं विधयक के उपबन्धों का विरोधी नहीं । मैं उन का समर्थन करता हूं । परन्तु मेरा निवेदन है कि १९५८, १९५७ से पूर्व भूमि के प्लाट खरीदने वालों को संरक्षण दिया जाये । और इन छोटे छोटे प्लाटों को एकीकृत कर के इन के विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाय ।

श्री राधा रमण : सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक इस सदन के सामने इस समय है, उसके बारे में यहां पर काफी नुक्ताचीनी हुई है । वैसे तो सभी वक्ताओं ने इसका स्वागत किया है और इससे समझा है कि यह हमारे उन बहुत से गांवों के वासियों के लिये फायदेमन्द होगा जिनके लिये यह बना है । हमारी बहस में बहुत सी बातें ऐसी कही गईं जोकि इस बिल से बहुत ताल्लुक नहीं रखतीं । वे बड़ी पालिसी की बातें हैं और उनको हम एक बार नहीं हजार बार दोहरा चुके हैं । इसलिये उन बातों की बहस में नहीं जाना चाहता जोकि यहां रखी गई हैं । और इस विधेयक से उनका सम्बन्ध नहीं । मैं सिर्फ उन दो चार बातों का जवाब देना चाहता हूं जो कि मेरे संशोधन से ताल्लुक रखती हैं । मैं यह मानता हूं कि आज देहात के लोगों को बहुत काफी तकलीफ है । मगर यह भी कहूंगा कि आज देहात वालों को ही तकलीफ है, शहर वालों को नहीं है, या गरीबी देहात में ही बसती है, शहर में गरीबी नहीं है, इस तरह से किसी चीज़ को देखने से हम इन्साफ की नजर से उस चीज़ को नहीं देख सकते । साथ में यह भी है कि यहां पर कोई बात कही जाय बिना सोचे समझे यह भी ठीक नहीं है । बिना तराजू पर तोले हुये किसी को लाला कह दिया जाय, किसी को चौधरी कह दिया जाय, किसी को पूंजीपति कह दिया जाय या किसी को कह दिया जाय कि कंगाल है, तो यह सब बातें बेकार की हैं । हम इस सदन में बैठते हैं कुछ अपने दिमाग को खोलने के लिये, कुछ जानने के लिये और जो सही बात हो उसको कहने के लिये । वह किसी के जरिये से कही जाय, अगर वह इन्साफ के तराजू पर, हक के तराजू पर सही उतरती हो

[श्री राधा रमण]

तो उसे मान लिया जाना चाहिये। उस के ऊपर आक्षेप करने से हम सब लोग इन्साफ से दूर जाते हैं, पास नहीं आते।

सबसे पहले मैं यह कहता हूं कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं एक लमहे के लिये भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज जो गांव वाले अपनी किसी जमीन पर खेती करते हैं और अपनी मेहनत और मशक्कत से उस जमीन को पालते और पोसते हैं, कोई भी कानून उनको उस जमीन का मालिक बनने से रोके।

हमने इसे वसूलन तय किया है और इसके मुताबिक हम अमल करते चले जाते हैं। हमारा दिल्ली लैंडरिफ़ार्म्स बिल जोकि प्रिंसिपल बिल है वह इसी आशय के मातहत विधान सभा में पास हुआ और उसका हम सभी ने स्वागत किया। सन् १९५६ में जो एक संशोधन इसके मुताल्लिक़ लाया गया उसके बारे में भी हमारे मंत्री महोदय ने बड़ी सफाई के साथ बताया है कि जब वह प्रिंसिपल विधेयक पास हुआ था तो उस वक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की कुछ जमीनें थीं, उन जमीनों का हालांकि अभी वारा न्यारा नहीं हुआ था लेकिन नोटिफिकेशन था और जब तमाम शहर के आस पास की जमीन को जो किसी भी लोकल बाडी के मातहत आती थीं, उस विधेयक में छूट दी गई थी तो कोई वजह नहीं थी कि इन जमीनों को जोकि नोटिफाइड थीं या जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थीं उनको न बचाया जाता। यह एक पक्षपात नजर आता था और वह संशोधन के रूप में विधेयक फिर आया और विधान सभा ने उसे पास किया लेकिन उसके बाद देखा गया कि उन जमीनों पर जोकि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनें थीं, देहाती भाइयों को तकलीफ थी और नुकसान होता था। ऐसे देहाती भाई जो उन पर काश्त करते थे और मेहनत और मशक्कत करके अपनी आजीविका को चलाते थे उनको दिक्कत महसूस होती थी। कुछ मित्रों के उधर ध्यान दिलाने पर हमारे गृह मंत्री ने उस पर गम्भीर विचार किया और यह मुनासिब समझा कि अगर इन १५ गांवों को वापिस उसी शक्ल में ले जाया जाय जो सन् १९५४ के विधेयक के मुताबिक हो तो बहुत से देहाती भाइयों को कुछ आराम और राहत मिलेगी। बात बहुत मुनासिब थी और इसको हमने स्वीकार किया और उस निर्णय का ही यह नतीजा है कि आज यह बिल गृह मंत्री महोदय की तरफ से सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित है।

सवाल सिर्फ इतना आकर पड़ता है कि जब सन् १९५४ में एक बिल आपने पास किया। उसके बाद आपने उसका संशोधन किया तो यह कह देना तो बहुत आसान बात होगी कि बहुत से लोग जो बड़े मालदार हैं, शहर के अन्दर रहते हैं, बड़ी-बड़ी जमीनें खरीदते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि हकीकत भी यही है कि सैकड़ों कोलोनाइजर्स ने आस पास की हजारों बीघे ज़मीन खरीदी है। हम बराबर इस चीज़ का विरोध करते चले आये हैं और हमने सरकार से कहा है कि ऐसे ख़रीददारों से जो कि गरीब काश्तकारों और ग्रामीणों की ज़मीनें खरीद कर मुनाफा उठाते हैं उनको ऐसा करने से रोकना चाहिये। उसके खिलाफ़ कोई भी आदमी नहीं है और ज़ाहिर है कि कोई इंसाफ पसन्द आदमी हो भी नहीं सकता लेकिन जब आप उनका नाम लेकर बहुत से उन छोटे छोटे शहर में रहने वाले खरीददारों को जिनकी कि बाबत अभी सरदार अजित सिंह सरहदी ने ज़िक्र किया उनको आप उनके हकूक से डिप्राइव करना चाहते हैं तब मेरी समझ में यह एक इंसाफ की बात आप नहीं करते हैं। हमको सोचना पड़ जाता है कि आया वह ठीक है या नहीं।

दिल्ली के अन्दर दिल्ली म्युनिसपैल्टि का जो एक रक़बा था या जो उसकी हद थी, वह सन् १९५२ से पहले जब कि हमारी विधान सभा नहीं बनी थी, बहुत थोड़ा रकबा था और मैं समझता

हूं कि आज जितना है उसका शायद आधा होगा। गांवों में बहुत ज्यादा रक़बा शामिल था लेकिन उस जमाने के अन्दर गर्दोनवा के अन्दर बहुत सारी म्युनिसिपल कमेटीज बनीं, करीब-करीब ८, १० लोकल बाडीज बनीं और उन तमाम लोकल बाडीज़ के अन्दर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सैकड़ों ऐसे गरीब किसान मौजूद थे जो कि खेती करते थे और जो कि उस जमीन की उपज से अपनी गुज़र करते थे और अपने बाल बच्चों को पालते थे। लेकिन जब वह लोकल बाडीज़ बनीं और जब सन् १९५४ का यह दिल्ली लैंड रिफार्म्स ऐक्ट पास किया गया तो उस वक्त यह ख्याल नहीं किया गया कि उन ग्रामीणों को जमीनें दे दी जाय। अथवा गांव सभा ने उस वक्त यह फैसला किया कि शहर के हिस्से के अन्दर जो रक़बे आ गये हों या जो लोकल बाडीज़ के मातहत आ गये हों, उनके अन्दर चाहे कोई काश्तकार मरता हो या जीता हो अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सब को ऐग्ज़म्पट कर दिया जाय, यह अगर आपने उस वक्त सोचा तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ ऐसी आ गई जिस पर कि ऐतराज़ किया जाय। अगर किसी आदमी ने जो उन १५ गांवों के अन्दर अपनी ज़मीन रखता है और वह काश्त की जमीन नहीं है, वह बंजर जमीन है, काश्त की ज़मीन के बारे में इस संशोधन के अन्दर कोई सवाल नहीं है क्योंकि हर एक यह मानता है कि जो व्यक्ति किसी जमीन पर काश्त करता है वह तो उसकी हो गई उस पर किसी का क़ब्ज़ा नहीं हो सकता और वह उसी को मिलेगी जो कि उसपर काश्त करता है। सवाल सिर्फ ऐसी जमीनों का है जो कि वेस्ट लैंड क़रार दे दी गई हैं या जो बंजर जमीन है और ऐसी जमीनों के आमतौर से बहुत से छोटे-छोटे हिस्से चाहे किसी बड़े आदमी ने करा कर लोगों को बेच दिये हैं या सीधे किसी ने खरीद लिये हैं और इस तरह की जमीनों को खरीदने वाले शहर में भी रहते हैं और गांवों में भी रहते हैं उन जमीनों के मालिकों को बेदखल करके उनको ऐसी चोट लगाई जाय और आज के हालत में जब कि दिल्ली के चारों तरफ आबादी बढती जा रही है शहरी और देहाती लोग आपस में मिलजुल करके अब एक बनते चले जा रहे हैं, क्या इस भेद को कायम करना मुनासिब होगा? इस तरह की तफरीक को कायम करना मुनासिब होगा या यह कह देना मुनासिब होगा कि जिस किसी भी गरीब आदमी ने और मज़दुर ने अपना घर आबाद करने के लिये अपनी गाढ़ी कमाई में से १०० गज़ का एक प्लाट किसी आदमी से खरीद लिया, आज उस जमीन को किसी को दे देना है या उसको उसके पास कायम रहने देना है? उस मौक़े पर तमाम बड़ी-बड़ी बातें यह कह कर कि देहातियों का यह नुकसान हो रहा है या देहाती भाई बड़ी तकलीफ में हैं और उनके ऊपर शहरी लोग बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, इन बातों से उसका क्या ताल्लुक है? मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस कानून के अन्दर यह बात कही है कि जो बोनाफाइड खरीददार है जिसने कि उस जमीन के हिस्से में से कुछ हिस्सा हासिल कर लिया और वह उस जमीन के ऊपर अपना मकान बनाना चाहता है उसको उससे महरूम न किया जाय। आप यह जानते हैं कि दिल्ली के जैसे हालात हैं उनको देखते हुये किसी आदमी ने जिसने आज से पन्द्रह वर्ष पहले एक १००, १५० गज़ का मामूली सा लाट खरीदा था उसको उसपर मकान बनाना आज तक नसीब नहीं हुआ और उसकी एक वजह यह भी थी कि यहां दिल्ली में पहले तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के रेस्ट्रिक्शंस थे और उसके बाद दिल्ली डेवलपमेंट प्रोविज़नल एथारिटी बनी और उसका बनना ज़रूरी था और मकान बनाने की इजाजत देने के लिये ले आउट ले प्लान और दीगर चीज़ों का मुकम्मिल होना था। उन तमाम सवालों को जो हुकूमत ने पैदा किये जो हुकूमत के कानूनों ने पैदा किये और उस आदमी ने जिसने बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कहिये आज से ५ वर्ष पहले या १० वर्ष पहले एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा शहर के आसपास गर्दोनवा में ले लिया और जो उस वक्त किसी म्युनिसपैल्टी की जमीन में नहीं था तो आज उसको इस कानून के जरिये राहत न दी जाये और अगर राहत दी जाय तो डिस्क्रिमिनेटरी दी जाय यानी उन लोगों को जिन्होंने कि सन् १९५५ से १९५६ में जब वह अमेंडमेंट आया से ले कर जो वक्फा बीच में गुजरा, उस वक्त तक की उसको राहत दे दी जाय।

[श्री राधा रमण]

लेकिन जब कानून नहीं था और लोगों के दिमागों में ऐसा कानून लाने की बात भी नहीं थी उस वक्त जो लोगों ने खरीद फरोख्त कर ली, उनको इसी प्रकार के उनके हकूक से महरूम कर दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरा संशोधन विशेष करके इसी चीज़ से ताल्लुक रखता है। जब वह १५ गांवों का सवाल आया और इस सवाल के ऊपर विधान सभा ने एक संशोधन पास किया जिसको कि आज हम उसको वापस ले रहे हैं और उन गांव वालों को उनकी काश्त की ज़मीनों पर मालिक बना रहे हैं, तो उन लोगों को जिन्होंने कि ५ साल या उसके पहले उन जमीनों को खरीत फरोख्त किया उनको उससे भी ज्यादा सख्त पैनाल्टी देने को कहा जाय या उनको उन खरीददारियों से महरूम किया जाय जो कि उन्होंने उस वख्त की थीं, यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है और यह इंसाफन मुनासिब नजर नहीं आती है। जो कानून उस वक्त मौजूद था उसको अगर लीगल इंटरप्रेटेशन के हिसाब से पूछा गया तो यह मालूम हुआ कि उन को खरीददारी की छूट मिलेगी या नहीं, यह साफ नहीं होता। कुछ का ख्याल है कि वह डिप्राइव नहीं होंगे और कुछ का यह ख्याल था कि वह डिप्राइव हो जायेंगे और वह बेदखल हो जायेंगे तो यह चीज़ कुछ मुनासिब नहीं जंचती है। जो क़ानून आप बनायें वह इतना साफ़ हो कि उसका बिल्कुल साफ मतलब निकाला जाय और इस क़ानून में बिल्कुल साफ़ तौर पर यह कह दिया जाय कि जिन ज़मीनों की बोनाफ़ाइड खरीद फ़रोख्त २७ अक्तूबर, १९५६ से पहले हुई है, उनकी अगर वह ग़ैर काश्त की ज़मीन है तो वह डिप्राइव नहीं किये जायेंगे। इस संशोधन के अलावा मैं चन्द बातें आपसे कहना चाहता हूं। कम्पेन्सेशन के बारे में यहां बहुत कुछ चर्चा हुई। देहात को कम्पेन्सेशन कम मिलता है। बल्कि मैं यह कहूंगा कि सरकार शहर की ज़मीन के लिए जो कम्पेन्सेशन देती है, उससे भी कम उनको मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो कि मालदार हों और कुछ ग़रीब भी हो सकते ह, लेकिन सरकार अपने कायदे कानून के मुताबिक सबको कम्पेन्सेशन देती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि देहातियों को जो कम्पेन्सेशन मिलता है, अगर उसको चार या आठ गुना कर दिया जाय, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को शायद यह मालूम न हो कि दिल्ली की बदकिस्मती यह रही है कि उसका ज़मीन का बन्दोबस्त न तो पंजाब के पैटर्न पर रहा है और न यू० पी० के पैटर्न पर। यहां इस वक्त जो बन्दोबस्त जारी है, वह सैकड़ों बरस पुराना है। दिल्ली में ज़मीन की कीमत लगान के मुताबिक लगाई जाती है। अगर एक हज़ार रुपए की किसी ज़मीन का लगान दस रुपया है, तो उस ज़मीन की कीमत दस रुपये मानी जाती है। इस लिए यहां पर किसी काश्तकार को जो कम्पेसेशन दिया जाता है, वह न के बराबर होता है, नामिनल होता है। पहले यह इलाका यू० पी० में था। फिर इसको पंजाब में रखा गया और फिर इस की एक अलग शक्ल बनाई गई। आज जो कम्पेन्सेशन देहातियों को मिलने जा रहा है, वह बहुत ही कम है, जब कभी हमने इस बारे में अफ़सरान से बात-चीत की है, वह इस बात को मानते हैं। अगर हुकूमत इसका कुछ इन्तज़ाम कर सके, तो अच्छा है। मैं अपने साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वह हुकूमत पर जोर डाल कर उन लोगों को सही कम्पेन्सेशन दिलवा सकते हैं तो दिलायें। अगर इन्स्टालमेंट्स चार के बजाय दो रखी जायें, तो अच्छा है। जो नामिनल सा कम्पेन्सेशन देहातियों को मिलने वाला है, अगर उसको भी टुकड़ों में दिया, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन को सारी रकम एक वक्त पर ही और लिबरल तरीके से दी जानी चाहिए।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि गृह मन्त्री ने चर्चा कर दी है कि इस बिल में हमने हर ज़मींदार को यह छूट दे दी है कि चांहे उस के पास कितनी भी ज़मीन हो, वह उसको इस्तैमाल कर सकता है। यह ज़रूर व्यवस्था कर दी गई है कि वह आठ एकड़ से कम ज़मीन नहीं बेच सकता है, लेकिन अगर सौ, दो सौ एकड़ ज़मीन है और वह खुद काश्त करता है, तो वह उसको बेच सकता है। इसमें सीलिंग

का ज़िक्र नहीं किया गया है । मैं गृह-मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को सफ़ाई से कह दिया हैं कि इस बिल में इस लैकुना को महसूस किया जाता है और वह सीलिंग के बारे में जल्द से जल्द एक बिल लाने वाले हैं । अगर वह बिल इस सेशन में ही आ जाय, तो अच्छा है । इससे बड़ी अदला-बदली होगी । जिनके पास काश्त की ज़मीन है, वे देखते हैं कि दिल्ली बढ़ती जा रही है और काश्त करने से उनको जो फ़ायदा होता है, उससे कहीं ज्यादा उनको अपनी ज़मीन की कीमत मिलती है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस आदमी के पास सौ एकड़ ज़मीन है, वह किसी गरीब आदमी से इन्डीविजुअल तौर पर ख़रीदो-फ़रोख़्त नहीं करता है, बल्कि उसका तमाम लेन देन उन लोगों के हाथ में है, जो कि कालोनाइज़र कहलाते हैं । वे लोग आठ आने, एक रुपया, दो रुपए के हिसाब से ज़मीन लेकर इधर उधर करके शहर या देहात के उन लोगों को बेच देते हैं, जो कि मकान बनाना चाहते हैं । फ़ायदा मिडलमैन को होता है, लेकिन आप उस आदमी को डिप्राइव करना चाहते हैं, जिसने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके सौ गज़ का टुकड़ा मकान बनाने के लिए लिया है । यह इंसाफ नहीं है और इसलिए यह काबिले-कबूल नहीं होनी चाहिए । यह सवाल उठाना ठीक नहीं है कि देहात वालों को शहर से फ़ायदा होता है या शहर वालों को देहात से फ़ायदा होता है । सही बात तो यह है कि दुनिया में लेन देन होता ही है । लोग काम करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं । कानून उन लोगों के लिए बनता है, जो कि ग़लत तौर पर फ़ायदा उठाते हैं । आज दिल्ली में चारों तरफ़ जो ज़मीन काश्त या ग़ैर-काश्त की है, उसको अक्सर कालोनाइज़र लेते जा रहे हैं और लेकर छोटे छोटे आदमियों को तकसीम करते हैं और उसकी बड़ी बड़ी कीमतें वसूल करते हैं । वे तमाम ज़रूरी एमिनिटीज़ भी नहीं देते हैं । बहुत से लोग रुपया लेकर भाग जाते हैं । आप कालोनाइज़र का नाम लेकर उस ज़मीन को गांव सभा में वैस्ट कर दें और आम लोगों को उससे डिप्राइव कर दें, तो यह इन्साफ़ की बात नहीं है । यह गैरवाजिब बात है ।

जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि चीफ़ कमिश्नर को इजाज़त होनी चाहिए कि किसी हरिजन के मामले में यह एक से ज्यादा एकड़ ज़मीन को भी एगज़ेम्प्ट कर सके । जिस ज़मीन पर कोई हरिजन बसता है, यह कानून बन जाना चाहिए कि वह उसका मालिक हो जाय । जिस तरह आप भूमिधर को ज़मीन देते हैं, उसी तरह हरिजन को भी ज़मीन दी जाये । अगर एक हरिजन पुश्तों से किसी ज़मीन पर बैठा है और उसने उस गांव का मैला ढोया है और गन्दा काम किया है और सारे गांव को साफ़ रखा है, तो वह ज़मीन लाज़िमी तौर पर उसकी हो जानी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए । वहां पर जिसका झोंपड़ा है, उसकी ज़मीन होनी चाहिए । अगर इस तरह का संशोधन पेश किया जाय, तो मैं उसकी हिमायत करूंगा ।

मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि कानून बनाते वक्त हमें निष्पक्षता और इन्साफ़ के साथ उन बातों को देखना चाहिए, जिनसे उस कानून का वास्ता हो । और चीज़ों को लाना ठीक नहीं है । इस बिल का एक स्पेसेफिक परपज़ है और वह यह है कि १९५४ के कानून के ज़रिये जो हक हर एक काश्तकार को दिया गया था, वह बाकी के पन्द्रह गांवों को भी दे दिया जाये । इस में किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं । सिर्फ सवाल यह है कि जब इस कानून ने इसे मुनासिब समझा है कि उस दर्मियान में जिस दर्मियान में वह संशोधन आया और उसके बाद में अब रिपील हो रहा है, उस दर्मियान में जितने भी सौदे हुए हैं वे सब इस खयाल से हुए हैं कि कानून उनकी इजाज़त देता है, कानून उन सौदों को मंजूर करता है, तो उस सम्बन्ध में अगर कोई लैकूना है और वह इस कानून के अन्दर मौजद है, तो उसको भी दूर कर देना चाहिये । जब आप एक खरीद को मंजूर करते हैं तो उससे पहले भी खरीद को मंजूर क्यों नहीं करते हैं । मैं समझता हूं सिर्फ दो मकसद इस कानून के थे । अगर आप यह कहते हैं कि दो साल का हम प्रोटैक्शन दे देते हैं मगर जिसने सन् १९५० में ज़मीन खरीदी या उससे पहले ज़मीन खरीदी उसको वह हक़ हासिल नहीं है जो उसके बाद खरीदन वालों को है, तो मैं समझता हूं कि एक

[श्री राधा रमण]

छोटा सा इंसाफ आप करने चले हैं और एक बहुत बड़ी गैर-इंसाफी करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर-मुनासिब सी बात है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को जितना वज़न दिया जाना चाहिये उतना वज़न गृह मंत्री महोदय देंगे और जो इंसाफ की बात है वह करेंगे । इस बिल का मैं हृदय से स्वागत करता हूं । हमारा यह माना हुआ उसूल है और यह उसूल बराबर कायम है बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हमको और तेज़ी के साथ इस उसूल को लागू करने के लिए आगे बढ़ना चाहिये जहां तक सरकारी कर्मचारियों के अन्दर गफलत का ताल्लुक है या गरीब लोगों की तकलीफात का ताल्लुक है, वह सवाल दूसरा है और उसका भी इलाज होना चाहिये और इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कोई दो रायें नहीं हो सकतीं हैं या कोई दो सवाल नहीं हो सकते हैं और उसका भी सुधार होना आवश्यक है ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : जनाब चेयरमैन साहब, यह बिल जो इस वक्त हाउस के सामने है और जिस के बारे में गवर्नमेंट को मुबारिकबाद दी गई है, उसको मैंने बड़े गौर के साथ और अच्छी तरह से पढ़ा है और इसका मुकाबिला जो दिल्ली के नज़दीक पड़ौसी सूबे हैं और उनमें जो कानून बने हुए हैं, उनसे किया है मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने के लिये गवर्नमेंट मुबारिकबाद की मुस्तहिक नहीं है ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : कभी भी नहीं होती है ।

श्री मू० चं० जैन : अगर यह कहा जाए कि सन् १९५६ में दिल्ली असैम्बली ने १५ गांवों को पुराने बिल के दायरे से बाहर निकाल कर ज्यादती की और उनको दिल्ली लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५४ के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये था तो यह ठीक ही होगा । अगर यह कहा जाए कि उन १५ गांवों को गवर्नमेंट फिर से कानून का फायदा पहुंचाने जा रही है तो उस हद तक अगर गवर्नमेंट को मुबारिकबाद दी जाए तो उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं ।

लेकिन जैसा कि एक साथी ने अभी कहा हमें उम्मीद थी नागपुर कांग्रेस के इजलास के बाद यह बिल हमारे सामने आ रहा है और हिन्द सरकार सूबाई सरकारों से यह उम्मीद करती है कि वे अपने अपने यहां भूमि के मुताल्लिक जो कानून बनाये गये हैं, उनमें सुधार करें तो हम यह उम्मीद करते थे कि जहां तक हिन्द सरकार का ताल्लुक है और जिन जिन टैरिटैरीज़ के बारे में यह कानून बना सकती है उनके लिए वह एक ऐसा कानून बनायेगी जो कि दूसरे राज्यों के लिए नमूने का काम करेगी । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पड़ौस के राज्य पंजाब में जो इस बारे में कानून बना हुआ है, इस प्वायण्ट पर ऐसा मालूम होता है कि यह बिल उससे भी पीछे है ।

मेरे मित्र दौलता साहब ने कहा कि उन ज़मीनों की जिन की मालिक पंचायतें बनती हैं या गांव सभायें बनती हैं उन का मुआवज़ा चार गुना या उस से भी ज्यादा होना चाहिये । दौलता साहब भी पंजाब से आये हैं और मैं भी पंजाब से आया हूं । मैं उन की तवज्जह पंजाब के विल्लेज कामन लैंड्स एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस एक्ट के सैक्शन ७ में यह कंटैम्प्लेट किया गया है कि जो भी शामलात जमीनें हैं और इस एक्ट की रू से जिन की पंचायतें मालिक बनी हैं उन के लिये किसी भी बिस्वेदार को एक कौड़ी भी मुआवज़ा नहीं दिया गया है और मुआवज़ा अदा न करने की बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में उठाई गई है लेकिन वहां पर भी इस चीज़ को जायज़ करार दे दिया गया है और किसी किसान को कोई मुआवज़ा नहीं दिलवाया गया है । मैं नहीं समझ पाया हूं कि यह मुआवज़े की बात यहां पर इस बारे में क्यों रखी गई है और इस से भी ज्यादा हैरानी की

बात यह है कि कुछ मैम्बर साहिबान की तरफ से यह कहा गया है कि मुआवज़े की रकम ज्यादा होनी चाहिये ।

दूसरी बड़ी ताज्जुब की बात इस बिल में यह रखी गई है और जिस की तरफ मैं समझता हूं कोई ध्यान नहीं दिया गया है और हमारे साथी नवल प्रभाकर जी ने उस चीज़ को उठाया है, कि दिल्ली के देहातों में जो हरिजन मकानात में रहते हैं उन की तहे ज़मीन के बारे में उन को यह विश्वास नहीं है कि उस के मालिक वे हैं या नहीं । जब कभी मकान गिर जाता है तो लोग ज़बर्दस्ती आ जाते हैं और उन को डराने धमकाने लग जाते हैं । इस प्वाइंट पर भी पंजाब का जो कानून है वह बहुत आगे है । वहां उसी कानून में यह बात चार बरस से रखी गई है कि जो मकान के के नीचे ज़मीन है उस का मालिक हरिजन है । मैं समझता हूं हमारे होम मिनिस्टर साहब को कम से कम इस कानून में भी सैक्शन ७ में ज़रा सी एमेंडमेंट कर के सुधार कर देना चाहिये था फिर इस प्वाइंट पर पंजाब के कानून के मुताबिक चीज़ हो सकती थी ।

जहां तक मुआवज़े का ताल्लुक है एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं । मुझे पंजाब के बहुत से देहातों के शरत वाजब-ल अरज़ का पता है । साठ बरस पहले सैटलमेंट के महकमे में ब्रिटिश आफिसर्स ने जो शरायत रखीं और जो अलफाज़ सैटलमेंट मैनुअल वग़ैरह में लिखे हैं उस में लिखा है कि बंजर ज़मीनों पर, गोचर गायराद ज़मीनों पर, शामलात ज़मीनों पर न सिर्फ बिस्वेदारों का हक़ है बल्कि बहुत सी जगहों पर गांवों के हर बसने वाले का हक़ है और यह हक़ आज तक चला आ रहा है । आज भी उन पर उन सब का हक़ है । जब हर किसी का हक़ है तो फिर कैसे कोई मुआवज़े का मुस्तहिक हो सकता है । उन की आज गांव पंचायत मालिक है जो सब के भले का काम करती है । पंजाब के कानून में यह रखा गया है कि जिस ज़मीन में चाहे वह १,००० बीघे है, चाहे ५,००० बीघे है जो शामलात पड़ी थी, अगर उन में डंगर चराने में या दूसरी चीजों में गांवों के सब बाशिंदगान का हक़ है तो क्या वजह है कि मुआवज़ा दिया जाये । पंजाब के देहातों में वही टैन्योर है, जो दिल्ली के देहातों में है और मैं समझता हूं कि यहां भी कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाना चाहिये ।

अब मैं सीलिंग की बात पर आता हूं । यह कोई नई बात नहीं है, सन् १९५४ के कानून में यह बात थी कि तीस स्टैण्डर्ड एकड़ से फालतू आगे किसी के पास ज़मीन नहीं होगी । लेकिन जिन के पास पहले से तीस स्टैण्डर्ड एकड़ से फालतू ज़मीन है और जो उन के मालिक हैं उन का क्या बनेगा ? इस बारे में जो स्पीच माननीय होम मिनिस्टर साहब ने दी है उस से तो यही पता चलता है कि वह कानून ला रहे हैं और यह सुन कर मुझे खुशी भी हुई है । अगर इसी सैशन में इस कानून को वह लायें और वह एक नमूने का बिल हो और वह दिल्ली स्टेट पर तथा दूसरी जो यूनियन टैरिटरीज़ हैं उन पर लागू हो तो अच्छा रहे फिर हम पंजाब को, उत्तर प्रदेश को तथा दूसरी स्टेट्स को कह सकते हैं कि देखिये यह नमूने का कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है लैण्ड्स के मुताल्लिक ।

इस के अलावा एक और बात कही गई है जिस पर मुझे खासा ताज्जुब हुआ है । यह बात मेरे साथी राधा रमण जी ने कही है । उन्हों ने कहा कि २७ अक्तूबर १९५६ से पहले जितनी भी खरीद और फरोख्त हुई है उस सब को जायज़ करार दे दिया जाय और इस के हक़ में वह कई आर्गुमेंट्स दे रहे थे । जहां तक मैं ने यह बिल स्टडी किया है मैं समझता हूं इस एमेंडिंग बिल की क्लाज़ १ की सब-क्लाज़ २ से उन का मंशा पूरा होता नज़र अता है । वह कहते हैं कि सैक्शन ७ की जो एमेंडमेंट इस बिल की क्लाज़ ५ के द्वारा हो रही है उस के मुताबिक जो खरीद और फरोख्त २० जुलाई, १९५४ और २७ अक्तूबर १९५६ के बीच में हुई हैं उन्हीं को तसलीम किया गया है । अगर क्लाज़ ५, क्लाज़ १ की सब-क्लाज़ २ सब को मिला कर पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि २० जुलाई, १९५४ से पहले तो यह कानून लागू ही नहीं होगा । यह कानून लागू होता है २० जुलाई, १९५४ से । इस से पहले

[श्री मू० चं० जैन]

चूंकि यह कानून या एमेंडिंग कानून लागू ही नहीं था इस वास्ते यह असर अंदाज़ नहीं होता है । इस वास्ते जो उन की मांग है वह मुझे सुपरफ्लुअस ही नज़र आती है ।

१५ गांवों के बारे में भी यहां कुछ कहा गया है और बताया गया है कि वहां पर भी कुछ खरीद व फरोख्त हुई है । लेकिन सैक्शन २० की सब-क्लाज़ ४ जो है उस से वह मंशा पूरा हो जाता है । यहां तक कि ८ जनवरी, १९५७ के बाद और १ जनवरी, १९५८ से पहले जो भी खरीद फरोख्त हुई है बोनाफाइड हुई है, उस पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा । इसलिये जितना भी प्रोटेक्शन और जिस तरीके पर भी दिया जा सकता था वह इस अमेंडिंग बिल में दिया गया है । बल्कि मैं तो समझता हूं कि इतना प्रोटेक्शन देना ही नहीं चाहिये था । एक तरीके से यहां सन् १९५४ के कानून के भी पीछे हम जा रहे हैं क्योंकि इतने प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी । मुझे तो ताज्जुब है कि मेरे दोस्त और भी ज्यादा प्रोटेक्शन मांगते हैं जिस से कानून का मंशा ही खत्म हो जाय । बल्कि जितने भी सूबों में भूमिसुधार के मुताल्लिक, जमीनों की बाबत जो भी कानून बने हैं उन सब में यह कमी रह गई कि जमीनों को लैंडलेस लोग नहीं पा सके । लोगों ने कानून की कमी का फायदा उठाया, बहुत ज्यादा फायदा उठाया और अब हमारे दोस्त यह प्लीड कर रहे हैं कि इस से भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिये । यह बात ठीक नहीं है । इस से ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिये ।

मैं इस बिल में एक चीज़ की कमी देखता हूं जिस की तरफ कुछ तवज्जह भी दिलाई गई है थोड़े से शब्दों में । यह है अमेंडिंग बिल के लाक्ज़ १२ में जोकि ओरिजिनल ऐक्ट का सैक्शन ३३ है । उस में क्लाज़ (बी) जोड़ दिया गया है, जिस के अनुसार ऐसी किसी खरीद फरोख्त को जायज न माना जाय जबकि बेचने वाला ८ स्टैन्डर्ड एकड़ से कम का मालिक रह जाय । मैं नहीं समझता कि यह कैसे कवर होता है । अगर किसी के पास ६ या ४ स्टैन्डर्ड एकड़ ही हो और वह बेचना चाहे तो आप क्या करेंगे । मेरी राय में यह मामला इस से कवर नहीं होता और होम मिनिस्टर साहब मैं समझता हूं कि इस पर तवज्जह देंगे क्योंकि कोई भी आदमी २ या ४ स्टैन्डर्ड एकड़ का मालिक है जोकि बिल्कुल अनइकानामिक होल्डिंग है और दूसरा आदमी जिस के पास कुछ कम जमीन है वह उसे खरीद कर अपनी इकानमिक होल्डिंग बनाना चाहता है तो उस में क्या हर्ज है ? अगर इस प्राविजन में यह आबलीगेशन न हो तो शायद ऐसे लोगों पर रुकावट होगी और वे अपनी जमीन को बेच नहीं सकेंगे । जो छोटे मालिक हैं, चीफ कमिश्नर साहब को भी अख्त्यार नहीं है उस के खरीद फरोख्त की इजाजत देने का । अगर कोई आदमी अपनी जमीन को बेच कर किसी दूसरे रोज़गार पर जाना चाहे तो उस की जमीन को कोई नहीं ले सकता है । तो इस बिल में मुझे यह कमी नजर आती है । मेरा इशारा, जो अमेंडिंग बिल है उस के क्लाज़ १२ के सब क्लाज़ (बी) की तरफ है। मेरा यह सुझाव है कि हम जिस तरह के कानून की उम्मीद सूबे की सरकारों से करते हैं उसी तरह के बिल इस हाउस में भी पास करें और कम से कम पड़ोस की यू० पी० और पंजाब की सरकार ने जो कानून बनाया है, उस के लेवेल पर फौरन ही इसे लायें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : चेअरमैन साहब, मैं भो दो चार शब्द इस कानून के मुताल्लिक कहना चाहती हूं श्री राधा रमण के अमेंडमेंट के समर्थन में । श्री मूल चंद जी ने अभी जो बातें कहीं, उन से मेरे दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि शायद उन्हें लैण्ड रिफार्म्स कानून का जो अमेंडमेंट यहां रक्खा गया है उस का इतिहास ठीक से मालूम नहीं है । यह सही बात है कि सन् १९५४ में दिल्ली सूबे में एक लैंड रिफार्म्स विधेयक बनाया गया था । उस के पीछे ख्वाहिश यह थी कि सब दिल्ली में जो किसान खेती करते हैं उन को ज़मीन मिले और मालिक जमीन को बेच कर उन को उन के हक

से महरूम न कर सकें। मगर उस के साथ ही साथ कुछ नई म्यूनिसिपैल्टियां बनाई गई थीं और उन म्यूनिसिपैल्टियों में जो गांव आ गये या शामिल कर लिये गये, उनको उस कानून से एग्ज़ेम्पशन दे दिया गया। उस समय पन्द्रह गांव और ऐसे थे जिन में लैंड ऐक्विज़िशन का नोटिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दे रक्खा था। अब जो लोग इन १५ गांवों की जमीनों में इंट्रस्टेड थे उन्हों ने शोर गुल मचाया कि जो जमीनें और जो गांव आप की नई म्यूनिसिपैल्टियों में आ गये हैं उन्हें आप ने एग्जेम्पशन दिया है तो फिर आप इन पन्द्रह गांवों को एग्जेम्पशन क्यों नहीं देते हैं? उनका नोटिफिकेशन हो चुका था जोकि जमीन एक्वायर नहीं की गई थी। इस चीज को देखते हुए उस वक्त की दिल्ली विधान सभा और दिल्ली सरकार ने यह मुनासिब समझा कि उन पंद्रह गांवों को भी उसी प्रकार एग्जेम्पशन दे दिया जाय। अब हकीकत यह थी कि उन पंद्रह गांवों में न तो कोई अरबनाइज़ेशन हुआ था और न ही वहां की जमीन कुछ अरबनाइज़ेशन के हल्के के अन्दर आ रही थी। वह महज ऐग्रिकल्चरल जमीन थी और उन को एग्जेम्पशन दे दिये जाने से नतीजा यह हुआ कि उन पंद्रह गांवों के जो किसान असल खेत वाले जमीन के मालिक बन सकते थे उन को उस से नुक्सान हुआ और मालिकों को इजाजत हो गई कि उन जमीनों को वे बेच सकें। इस प्रकार अभी जब यह सवाल भारत सरकार के सामने आया तो हमारे गृह मंत्री ने इस सारी बात को समझ कर यह तय किया कि इन पंद्रह गांवों को एग्जेम्पशन देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन गांवों में इस वक्त किसी प्रकार से कोई अरबनाइज़ेशन नहीं हो रहा है। लिहाज़ा यह अमेंडमेंट आप के सामने पेश हुआ।

अब सन् १९५४ और १९५६ इन दो सालों के अर्से में कुछ खरीद फरोख्त हो गई थी, सन् १९५६ से अब तक कुछ और खरीद फरोख्त हो गई होगी उन का क्या किया जाय? इसलिए इस अमेंडमेंट में रखा गया कि जो बोनाफाइड ट्रैन्जैक्शन एक खास पीरियड में हुए हैं उन को भी इस में शामिल कर के सुरक्षित कर दिया जाय और उन के बारे में कोई उज्र न उठाया जा सके। मगर उस खास जमाने के आस पास या सन् १९५४ से भी पहले १९५३ या १९५२ में भी कुछ ऐसी जमीनें थीं जिन की खरीद फरोख्त हुई, खास कर कुछ बंजर जमीनें बिकीं। जिन पर खेती का सवाल नहीं उठता। अब सवाल यह है कि जो इस डेढ़ या दो साल के जमाने की टाइम लिमिट है उस का क्या हो। मैं यह मंजूर करती हूं कि इस अर्से में जो खरीद फरोख्त हुई उस खरीद फरोख्त को हम तसलीम कर लेंगे। इस में हम किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें। इस के लिये जो शब्द इस विधेयक में थे उनके अनुसार २० जुलाई, १९५४ से २७ अक्तूबर, १९५६ तक की छूट देने की बात है। उस का नतीजा यह आता है कि डेढ़ या दो साल की खरीद फरोख्त को आप ने प्रोटेक्शन दिया और उससे पहले की खरीदोफरोख्त का जो प्रोटेक्शन आपने दिया हुआ था वह रद्द हो गया। अब यह ठीक नहीं। उस जमीन के खरीदने वाले भी अपने ही लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर पैसा होता तो वह शहर में ही जमीन लेते, लेकिन उन्होंने दूर दूर जाकर जमीनें लीं। वहां की जमीन बिकने ही वाली है। अगर आज सरकार उन जमीनों को इस कानून की सुरक्षा से निकाल लेती है और उनकी खरीद फरोख्त रद्द कर देती है तो इसका नतीजा यह होगा कि जो मालिक हैं उन जमीनों के वह उन्हें ज्यादा दामों पर बेचेंगे तो जिन गरीब लोगों ने पहले से अपना रुपया खर्च किया हुआ है और उसे पांच या छः बरस से इन जमीनों में रोका हुआ है, उससे उनको नुकसान होगा। अगर हम यह सोचते हैं कि पुरानी की हुई सब की सब खरीदफरोख्त को हमें रद्द करना है तो भी वह कुछ समझ में आ सकता है, आप पुराने किये हुए सारे ट्रैन्जैक्शन्स को कैंसेल कर देना चाहते हैं तो कर दीजिये, लेकिन अगर हम सिर्फ दो साल को एग्जेम्प्ट करते हैं और बाकी पीरियड को यहां से छोड़ देते हैं तो कोई ठीक चीज बनती नहीं है, कोई भी मुनासिब चीज इस तरह नहीं बनती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि श्री राधा रमण ने अपने ३ नम्बर के अमेंडमेंट में २७ अक्तूबर, १९५६ तक जो ट्रैन्जैक्शंस हो चुके हैं और वे अगर बोनाफाइड हैं तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कहा है उसे स्वीकार किया जाय। अलबत्ता जो उसमें मैलाफाइटी हों उनको बेशक प्रोटेक्शन न दिया जाय। मुझे श्री राधा रमण का उन का यह अमेंडमेंट कुछ मुनासिब लगता है।

दूसरे जो अमेंडमेंट्स हैं वे कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट्स हैं और मुझे उनके मुताल्लिक कुछ नहीं कहना है। जहां तक श्री राधारमण के संशोधन का सम्बन्ध है, मेरी समझ में वह न्यायोचित है और मुझे आशा है कि गृह मन्त्री महोदय भी ऐसा समझते हुए उसको स्वीकार करेंगे।

श्री बाजपेयी : सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सरकार को भूमि सुधार और उससे सम्बन्धित सभी समस्याओं का विचार करके जिस तरह का विधेयक इस सदन में उपस्थित करना चाहिये था, वैसा नहीं किया गया है और इस दृष्टि से यह विधेयक अधूरा है और अपूर्ण है और इसके मूल में भूमि सुधार की कोई समन्वित योजना नहीं दिखाई देती।

जहां तक १५ गांवों का विधेयक के अन्तर्गत लाने का प्रश्न है उससे किसी को मतभेद नहीं है लेकिन अभी यह आशा प्रकट की गई कि भूमि सुधार से सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर सरकार इसी सत्र में एक विधेयक लाये तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक को थोड़े दिनों के लिए रोका जा सकता था और सरकार एक ऐसा विधेयक ला सकती थी जिसमें कि केवल १५ गांवों का ही विचार नहीं होता और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में भूमि सुधारों का समन्वित रूप क्या होगा इसका भी स्पष्टीकरण किया जाता। इस दृष्टि से यह विधेयक सरकार के लिए कोई एक बड़े साधुवाद का विषय है, ऐसा मान कर मैं नहीं चलता।

एक बात की ओर इस सदन में विवाद उठ खड़ा हुआ है कि १९५४ और १९५६ के बीच में इन १५ गांवों के अन्तर्गत जो भूमि है उसको लेकर अगर कोई उचित ख़रीद फ़रोख्त हुई है तो उनको तो ऐग्ज़म्पशन दे दिया गया है लेकिन इससे पहले जिन्होंने कि भूमि की ख़रीद फ़रोख्त रहने के मकानों के लिए की, उनके लिए यह विधेयक दण्ड के रूप में लिया जा रहा है। अब अगर सरकार ने देर से क़ानून बनाया और ऐसा कानून बनाया जिससे कि ज़मींदार किसानों को अदालत में ले जाकर दो साल तक उलझाने में सफल हो गये तो इस गलती का दण्ड उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने कि पिछले अधिनियम के आने से पूर्व रहने के मकानों के लिये किसी प्रकार की भूमि का क्रय या विक्रय किया हो और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में श्री राधा रमण ने जो संशोधन रक्खा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही इन दो सालों के बीच में जो बंजर भूमि है उसमें कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जिस पर खेती की गई है और इस विधेयक के अन्तर्गत अगर भूमि का उपयोग नान एग्रीकल्चरिस्ट परपज़ के लिए किया गया है तब तो एग्ज़ेम्पशन की बात मानी गई है लेकिन अगर उस पर खेती की गई है तो उसे एग्ज़ेम्पशन मिलेगा, ऐसा इस विधेयक की शब्दावली से कम से कम स्पष्ट नहीं होता। मैं समझता हूं कि अगर इन दो वर्षों में किसी ने अपने परिश्रम से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है और आज उस पर खेती हो रही है तो उसको भी एग्ज़म्पशन में शामिल किया जाना चाहिए।

जहां तक हरिजनों को भूमि देने का प्रश्न है उसमें किसी को मतभेद नहीं लेकिन हरिजन भाइयों को भूमि देने मात्र से ही समस्या हल नहीं होगी। भूमि पर खेती बाड़ी करने के लिये साधन चाहियें। उसके लिए हल, बैल और बीज वगैरह की आवश्यकता होगी और बिना साधन सम्पन्नता के उस भूमि का उपयोग भी क्या होगा ?

अब कहा जाता है कि नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव के अन्तर्गत जिसकी कि कुछ सदस्यों ने चर्चा की, यद्यपि वह प्रस्ताव अभी तक कागज़ में ही सीमित है और इस विधेयक में उसके बहुत दर्शन नहीं होते, उसमें कहा गया है कि सहकारी समितियां बनाई जायेंगी। मेरा निवेदन है कि अगर हरिजनों को भूमि देने का उद्देश्य उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना है जो कि आवश्यक है तो फिर हरिजन

भाई उस नागपुर प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वयं स्वामी नहीं बनेंगे बल्कि जो कोआपरेटिव फार्म्स होंगे उनमें वह नौकर हो जायेंगे। कागज़ में भले ही उनको भूमि के स्वामित्व की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय लेकिन गांव का हरिजन भाई कोआपरेटिव फार्म्स कलेक्टिव फार्म्स में बदल जाने से सरकारी मशीन का एक पुर्जा मात्र बन कर रह जायेगा, मजदूर हो जायगा। अगर इस सुधार का उद्देश्य हरिजनों को प्रतिष्ठा प्रदान करना है तो मेरा निवेदन है कि इससे वह आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा और अगर उत्पादन बढ़ाना है तो मेरा निवेदन यह है कि उस उद्देश्य के तो पूरा होने की सम्भावना ही नहीं है। अगर इस विधेयक में अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सीमा तो निर्धारित होनी ही चाहिये। देश में खाद्यान्न का उत्पादन हम घनी खेतीके द्वारा ही बढ़ा सकते हैं लेकिन भूमि जिन्हें दी जानी चाहिये, वह उसका उचित उपयोग कर सके ताकि उत्पादन बढ़ सके, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है।

मुआविज़ा देने के सम्बन्ध में भी कुछ चर्चा की गई है। हमारे संविधान में मुआविज़े की व्यवस्था है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो मुआविज़े की दर रक्खी गई है वह ज़मीन की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए ठीक नहीं है। ब्या ज की दर भी बहुत कम है। मुआविज़े की दर बढ़ानी चाहिए। यह मुआविज़े का अधिकार एक दुधारू तलवार है जो कि दोनों तरफ चल सकती है। जब किसान से ज़मीन ली जाय सरकार ऐक्वायर करे तब भी मुआविज़े की दर कम रहती है तो अगर विधेयक में हम स्थाई तौर पर यह व्यवस्था कर दें जिसके कि अन्तर्गत मुआविज़ा कम दिया जाय तो उसका उपयोग किसानों के विरुद्ध भी किया जा सकता है।

जहां तक श्री राधारमण के संशोधन का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि सभी लोगों को जिन्होंने कि क्रय-विक्रय किया है, उन्हें उससे छूट मिलनी चाहिये और केवल सन् १९५६ तक ही नहीं बल्कि इस विधेयक के एक्ट बनने तक भी अगर हम यह छूट दे दें तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। बस इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि यह विधेयक कृषकों की उचित मांगों को पूरा नहीं करता है। दूसरी ओर कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि दिल्ली के नागरिक क्षेत्रों के भी हितों का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिये। जिससे अन्ततः समूचे राष्ट्र की समृद्धि पर विचार हो सके। इन दो विकल्पों के बीच में हमें यह निश्चय करना है कि किस बात को पूर्ववर्तिता प्रदान की जाय।

जहां तक दिल्ली प्रशासन के ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हमें कृषकों के हितों को पूर्ववर्तिता प्रदान करनी चाहिये। वस्तुतः १९५४ में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम पारित करते समय दिल्ली विधान सभा के सम्मुख यही उद्देश्य था। इसलिये जैसा कि गृह-मंत्री ने कहा है यह विधान देश के भूमि सुधार सम्बन्धी सब से प्रगतिशील विधानों में से एक है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर गौर करें कि कृषकों को भूमिधारी या स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार देने में कितने क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये हैं। वस्तुतः दिल्ली विधान सभा ने कृषकों के विभिन्न वर्गों को महत्वपूर्ण अधिकार देने के मामले में बहुत प्रगतिशील कार्य किया।

१५ गांवों को १९५४ के अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया। क्योंकि १९५६ में इन गांवों को पृथक रखना नागरिक क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक समझा गया। दिल्ली सुधार प्रन्यास ने इन सभी गांवों को दिल्ली के विकास के लिये खुद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। इन गांवों के क्षेत्रफल के अन्तर्गत २०६८ एकड़ बंजर जमीन, १९५१ भूस्वामी किसान और १५३५

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

काश्तकार आते हैं। लेकिन जब यह ज्ञात हुआ कि इस विशाल क्षेत्र के उपयोग की अभी आशा नहीं है तो सरकार ने इस क्षेत्र के कृषकों को भी १९५४ के अधिनियम के अन्तर्गत पूरे पूरे लाभ प्रदान करने का निश्चय किया। फलस्वरूप उक्त छट हटा दी गई। जहां तक इस सुधार का तात्पर्य है सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। केवल एक सदस्य ने यह कहा कि यह छूट नहीं हटायी जानी चाहिये क्योंकि दिल्ली नगर की समृद्धि पर ही अन्ततः भारत की समृद्धि निर्भर है। कुछ अंशों तक यह सत्य हो सकता है, तथापि हम यह नहीं चाहते हैं कि दिल्ली को समृद्धि प्रदान करने के लिये कृषकों के हितों की बलि ली जाय। इस कारण यह छूट हटाना आवश्यक समझा गया और १९५४ के अधिनियम को सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया।

अन्तरकालीन अवधि में कुछ घटनायें हुईं। जिन पर हमें विचार करना पड़ेगा। हमें इन १५ गांवों को इस आधार पर अधिकार देना है कि जैसे १९५६ का अधिनियम पारित ही न हुआ हो। अर्थात् उन्हें तब से अधिकार मिलने चाहियें जब दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ था। अतः जनता को पूर्ण लाभ प्रदान करने के लिये हमें उन आज्ञप्तियों को रद्द कर देना चाहिये जो इस अवधि में जारी की गई थीं। लेकिन यदि मूल्य ले कर कुछ भूमि का हस्तांतरण किया गया हो, और यदि यह हस्तांतरण सदाशयता से किया गया हो तो उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाने चाहियें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

श्री च० कृ० नायर ने कहा है कि विक्रेताओं को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये, तथापि यदि विक्रय अनुचित हो तो उसे सामान्य व्यवहार विधि द्वारा भी अमान्य करार दिया जा सकता है। वस्तुतः विक्रेता को अपनी भूमि के लिये कुछ मूल्य अवश्य मिलता है तभी वह अपनी भूमि या अपना स्वामित्व छोड़ता है। जहां तक विक्रेता के उद्देश्य का सम्बन्ध है हमें उस पर विचार नहीं करना है। किसी भी सौदे के अनुचित होने पर उसे संविदा अधिनियम के अधीन अवैध घोषित किया जा सकता है। ऐसा विक्रय कर्ता के हितों की रक्षा करने के लिये किया गया है जो अपने हितों की स्वयं रक्षा नहीं कर सकता है और खरीददार के चंगुल में फंस जाता है। लेकिन यहां पर हम सदाशयता से किये गये सौदों की बात कर रहे हैं इसीलिये 'सदाशयता' शब्द इसमें रखा गया है। श्री प्र० सिं० दौलता ने यह कहा है कि जब किसी गैर सरकारी व्यक्ति की बंजर जमीन गांव सभा द्वारा ली जाय तो उसे अधिक प्रतिकर दिया जाय। उन्होंने इसकी राशि बाजार मूल्य की लगभग दस गुना बताई है। यहां हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि यह सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का अर्जन नहीं है। यदि भूमि कृषि योग्य है तो वह गांव सभा को दी ही नहीं जा सकती है। वस्तुतः यह भूमि किसी व्यक्ति विशेष को उसके प्रयोजन के लिये नहीं दी जायेगी अपितु समस्त गांव की संस्था, गांव सभा को दी जायेगी। यह इस विधेयक के विशेष पहलुओं में से एक है कि गांव की बंजर जमीन बेकार नहीं रहेगी और उसका प्रयोग उचित प्रयोजन के लिये किया जायेगा। इसी प्रयोजन के लिये १९५४ के अधिनियम की सब से महत्वपूर्ण बात गांव सभाओं का निर्माण था। ऐसी स्थिति में अधिक प्रतिकर देने की बात कहना निरर्थक है। पंजाब में भी ऐसी भूमि गांव सभाओं को दे दी जाती है और उनके लिये कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता है।

उन्होंने अधिक दर से ब्याज देने की बात भी कही है। हम ने प्रतिकर न मिलने तक ढाई प्रतिशत की दर निश्चित की है। इस सम्बन्ध में हम ने उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधि की दर को स्वीकार किया है।

मैं श्री राधा रमण के संशोधन से सिद्धान्ततः सहमत हूं । और इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तावित कर रहा हूं जिससे वह विधेयक की भावना के अनुकूल हो । इस संशोधन का यह प्रभाव होगा कि अक्टूबर १९५६ तक कृषि तर प्रयोजनों के लिये किये गये भूमि का हस्तांतरणों को संरक्षण मिल जायेगा । वस्तुतः इस तारीख को पहिला अधिनियम पारित हुआ था । यह तारीख इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ मुकदमे जियों इत्यादि के कारण कुछ भी करना सम्भव नहीं हो सका था । उद्देश्य यह है कि भविष्य में जो कुछ होने वाला है इसे न जानने के कारण यदि कुछ भूमि को प्लाटों के रूप में बेच दिया गया था तो क्या ऐसे सौदों को संरक्षण दिया जा सकता है । विशेषतः ऐसी भूमि को जो कृषि के प्रयोजन के लिये नहीं बेची गई हैं । मैं पहिले ही बता चुका हूं कि सदाशयता से किये गये सौदों को संरक्षण दिया जायेगा । इसीलिये मैं कुछ शाब्दिक परिवर्तन करने के उपरांत संशोधन स्वीकार कर रहा हूं ।

मैं संशोधन ६ को भी स्वीकार कर रहा हूं । इसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को कम से कम तीस दिन तक दोनों सभाओं के पटल पर रखा जायेगा और यदि सभा आवश्यक समझे तो उन नियमों में परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा ।

विधेयक के अन्य भागों में भी हम ने यह प्रयत्न किया है कि कृषकों के अधिकारों की यथाशक्ति रक्षा की जाय । वस्तुतः इस विधेयक में किये गये संशोधनों का उद्देश्य मूल विधेयक की उपयोगिता बढ़ाना ही है । जहां तक १५ गांवों का सम्बन्ध है यद्यपि उनके सम्बन्ध में एक बात कही गई है तथापि गांव सभा के बनने की बात पर भी गौर करना आवश्यक है । दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित दोनों विधेयकों में इस सम्बन्ध में कुछ असंगति रह गई थी कि गांव सभा में गांव के सभी वयस्क व्यक्ति होंगे अथवा केवल मतदाता ही होंगे । इस असंगति को दूर करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । अब इस सम्बन्ध में एक रूप विधान बना दिया गया है ।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के प्रश्न पर समझौता होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये । इस बात पर उचित रूप से विचार किया जायेगा । वस्तुतः हमारा उद्देश्य यथाशीघ्र एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का है जिसे हम इसी सत्र या अगले सत्र में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । तथापि इस सारे कार्य में विलम्ब करना विशेषतः गांव सभाओं के निर्माण का कार्य रोकना जनता के हित में उचित नहीं होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"दिल्ली भूमि सुधार, अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**पाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

खंड २ से ४ विधेयक का अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ५

(धारा ७ का संशोधन)

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : मैं संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ पंक्ति २२ में

'*1958*' (१९५८) के स्थान पर '*1959*' (१९५९) शब्द रख दिया जाये ।

†श्री राधा रमण : मैं संशोधन संख्या ३, प्रस्तुत करता हूं ।

–श्री दातार मैं उस संशोधन को निम्नलिखित रूप में स्वीकार करता हूं :

(१) पृष्ठ ३ पंक्ति ६ से ८ में,

'During the period commencing on the 20th day of the July 1954, and ending with the 27th day of Oct. 1956."

(जुलाई, १९५४ की २० तारीख और अक्तूबर, १९५६ की २७ तारीख के बीच की अवधि में) शब्दों के स्थान पर at any time befor the 28th day of October 1956 (अक्तूबर, १९५६ की २८ तारीख के पहिले किसी भी समय) शब्द रख दिये जायें ;

(२) पृष्ठ ३ पंक्ति ९ और १० के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें :—

(c) acquired by a bonafide purchaser for value at any time before the 28th day of Oct. 1956, for purposes other than those mentioned in clause (13) of section 3".

[(ग) धारा ३ के खंड (१३) में उल्लिखित प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिये अक्तूबर १९५६ की २८ तारीख से पहिले किसी भी समय मूल्य देकर नेकनीयती खरीदार द्वारा अर्जित की गई हो ।]

†श्री राधा रमण : मैं माननीय मंत्री द्वारा स्वीकृत परिवर्तित रूप में स्वीकार करता हूं ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री च० कृ० नायर : मैं संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ८, ९, ३ का संशोधित रूप और ४ सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, राधा रमण जी का जो संशोधन है, मैं उस का विरोध करता हूं और उस के लिये एक विशेष कारण है कि जो किसान हैं उनकी भूमि का, और जैसा कि बंजर जमीनों के बारे में कहा जाता है, बहुत जमीनें ऐसी हैं किसानों की जिन्हें जमींदारों से छुड़वा लीं और उसी को प्राटेक्शन देने के लिये यह संशोधन लाया गया है । मैं थोड़े में कह सकता हूं कि इस तरह के बहुत से केसेज़ हैं दिल्ली के अन्दर । जब चकबन्दी हुई तो चकबन्दी के अन्दर किसान के कब्जे में जो ज़मीन थी—मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह समझ लें—उनके सम्बन्ध में ज़मींदारों ने मिल कर उन किसानों को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वह बंजर जमीन

†मूल अंग्रेजी में

ले लें और जो काश्त की जमीन थी वह उन्होंने अपने हाथ में ले ली यह कह कर कि उस को ज्यादा जमीन मिलेगी। इस तरह के बहुत से किस्से हैं और मुझे डर है कि वह सब लोग जो कि इन बंजर ज़मीनों में हैं उन से बेदखल हो जायेंगे क्योंकि ज़मीदारों ने उन बंजर ज़मीनों को बेच दिया है और एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन सब बातों को देख लें, विचार लें और सोच लें। उस के बाद ही इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री प्र० सिं० दौलता : मुझे मिनिस्टर साहब से जो खतरा था वह मैं सुन रहा हूं कि दुरुस्त खतरा था। इस तरमीम के बारे में जो मेरे लायक दोस्त आनरेबल मेम्बर साहब रख चुके हैं मिनिस्टर साहब कबूल करने के लिये कह चुके हैं। उस के बाद मैं इस बिल का बिल्कुल हिमायती नहीं हूं और जो कुछ मैं ने पहले कहा था वह सारे का सारा विदड्रा (वापस लेता) करता हूं क्योंकि बिल का जो मकसद था, वह बिल्कुल फेल हो चुका। जो ज़मीनें मालिकों नें, जागीरदारों ने हासिल की थीं, वह सब बेदखल हो जायेंगी और बिक जायेंगी। मैं आनरेबल मेम्बर के साथ मुत्तफिक हूं कि जो बोनाफाइड पर्चेजर (नेकनियत खरीददार) हैं उन में एक भी शख्स ऐसा नहीं जिस के बोनाफाइड पर्चेज को चैलेन्ज किया जा सके। इस अमेंडमेंट को कबूल करने के बाद इस ऐक्ट का सारा परपज जाया हो रहा है और यह अमेंडमेंट कतई कबूल करने लायक नहीं है।

श्री च० कृ० नायर : मेरा कहना यह है कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने से कोई फायदा नहीं। ओरिजिनल ऐक्ट (मूल अधिनियम) में भी है और इस में भी बोनाफाइड पर्चेजर को स्वीकार किया गया है। मैं पूछता हूं कि आखिर यह क्या बात है? मैं यहां पर बोनाफाइड पर्चेजर का सवाल नहीं उठा रहा हूं। पर्चेज करने वाले सब बोनाफाइड होते हैं। वह मकान बनाने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े लेते हैं, खास कर जैसा सरदार साहब ने फरमाया उन में बहुत से रिफ्यूजी भी हैं और लोअर मिड्ल क्लास (निम्न मध्यमवर्ग) के भी बहुत से लोग हैं। हमें इस में कोई ऐतराज़ नहीं, हमारा एतराज यह है कि जो जमीदार इस कानून के परपज को खत्म करने के लिये, डिफीट करने के लिये कोशिश करते हैं, उन के खिलाफ़ आप क्या करते हैं? जो अपने मकसद के लिये मुजाहिरा को डिप्राइव (संविहित रूप देने) करने की कोशिश करते हैं उनके लिये आप ने क्या किया? जहां तक जमीन का ताल्लुक़ है, उस में बोनाफाइड का सवाल तो बेचने वाले पर आता है। हमें बेचने वालों के इरादे पर शक है। वह उस को बेच चुका है और उस का पैसा भी हड़प कर लिया है। उस पैसे का हकदार आखिर कौन है? उस पैसे का हकदार कोई है तो दो आदमी हैं। अगर बंजर जमीन है तो उस का असली मालिक और अगर मुजाहिरे के पास वाली जमीन बेची गई है तो मुजाहिरे को हक है और उस को भूमिधरी का हक पहुंचना चाहिये। असल में सन् १९५४ में जब यह कानून बन चुका था तभी से भूमिधर हकदार थे और उसमें अमेंडमेंट सन् १९५६ में लाया गया इस लिये १९५६ तक की खरीद पर शक किया जा सकता है। उसे अदालत में क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी ज़मीनें उस वक्त से छोटे छोटे आदमियों ने खरीद रक्खी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अदालत में जो भूमिधर है वह इस का क्वेश्चन कर सकता है या नहीं कि जो सो काल्ड जमीदार है उस को ज़मीन बेचने का हक था या नहीं। अब अगर हम इस चीज़ को अदालत पर भी छोड़ दें तो मुझे एतराज नहीं। लेकिन हम कहते हैं पार्लियामेंट उन का पक्ष क्यों ले? उन को हम क्यों बोनाफाइड करार दे दें? हमें जमींदार के ऊपर शक है जिस ने गरीब मुजाहिरे को डिप्राइव (वंचित) करने के लिये अपनी ज़मीन बेची और रुपया ले लिया। अगर हम इसे मान भी लें तो यह पैसा यानी जो जमीन की कीमत है वह भूमिधर को जानी चाहिये और जैसा कि हमारे दूर्व वक्ता ने कहा था कि सचमुच में जो इस बिल का मकसद था उस को हम इस अमेंडमेंट से डिफीट करते हैं। इस लिये जो अमेंडमेंट राधा रमण जी ने पेश किया है मैं उस का विरोध करता हूं।

†**श्री दातार :** अभी अभी जिन सदस्यों ने भाषण किया है उन्हें इस स्वीकृत संशोधन के सम्बन्ध में भ्रान्ति है। इसका उद्देश्य उचित और सही कठिनाइयों को दूर करना है। श्री राधा रमण के उद्देश्य को पूरा करने के लिये मैं ने खंड ५ में उक्त दूसरा अंश जोड़ दिया है। इससे स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है अतः हमें दोनों संशोधनों को साथ-साथ लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ और ९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री राधा रमण के संशोधन संख्या ३ को मंत्री महोदय द्वारा संशोधित रूप में रखता हूं। प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ३ पंक्ति ६ से ८ में "During the period commencing on the 20th day of July 1954, and ending with the 27th day of October, 1956" (जुलाई, १९५४ की २० तारीख और अक्तूबर, १९५६ की २७ तारीख के बीच की अवधि में) शब्दों के स्थान पर "At any time before the 28th day, October, 1956" (अक्तूबर, १९५६ की २८ तारीख के पहिले किसी भी समय) शब्द रख दिये जायें;

(२) पृष्ठ ३ पंक्ति ९ और १० के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें :—

"(c) acquired by a bonafide purchaser for value at any time before the 28th day of October, 1956, for purposes than other those mentioned in clause (13) of Section 3".

[(ग) धारा ३ के खण्ड (१३) में उल्लिखित प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिये अक्टूबर, १९५६ की २८ तारीख से पहिले किसी भी समय मूल्य देकर नेकनीयत खरीदार द्वारा मूल्य देकर अर्जित की गई हो]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २२ में "1958" (१९५८) के स्थान पर "1959" (१९५९) शब्द रख दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ (धारा ११ का संशोधन)

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ३३ और ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"6. In section 11 of the principal Act, in sub section (2) for the portion other than the proviso, the following shall be substituted, namely :—"

["६. मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (२) में परन्तुक को छोड़ कर शेष अंश के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें, अर्थात् :—"]

(श्री दातार)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड ६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

खंड ७ से ११ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १२ (धारा ३३ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना)

†**श्री च० कृ० नायर** : यह खंड भूमिधर पर जमीन बेचने पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से रखा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वह किसान जिनके पास आठ एकड़ से कम जमीन है वे अपनी जमीन न बेच सकें और जिनके पास ८ एकड़ से अधिक जमीन है वे भी इतनी जमीन न बेच सकें कि उनके पास आठ एकड़ से कम रहे। मेरे विचार से यह खंड निरर्थक है इससे कोई प्रयोजन हल नहीं होगा ।

†**श्री दातार** : इस खंड से हमारा उद्देश्य यह है कि किसानों के पास खेती करने के लिये निश्चित मात्रा में न्यूनतम जमीन रहे। इस लिये ८ एकड़ से कम जमीन के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में रोक लगा दी गई है। यह ८ एकड़, भूमि की उत्पादन क्षमता, प्रकार इत्यादि को ध्यान में रख कर 'प्रामाणिक' एकड़' स्वीकार किये गये हैं जिनसे इसके द्वारा ५ व्यक्तियों वाले परिवार का भली कार निर्वाह हो सके । इस लिये माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३ से १८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

नया खंड १८—क

श्री क० स० रामस्वामी (गोबीचेट्टीपलयम्) : मेरा संशोधन संख्या ६ है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७ में, पंक्ति ११ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :—

"18A: In section 191 of the principal Act, after sub-section (2) the following sub section shall be added, namely :—

(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon

†मूल अंग्रेजी में

as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliaments may make during the session in which they are so laid or the session immediately following."

["१८-क. मूल अधिनियम की धारा १९१ में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

(३) इस अधिनियम के अधीन नियमों के बनने के यथाशीघ्र पश्चात् इन्हें कम से कम ३० दिनों के लिये संसद् के दोनों सभाओं के समक्ष रखा जायेगा तथा उन में उस सत्र अथवा उसके तत्काल बाद वाले सत्र में संसद् की इच्छानुसार संशोधन किये जा सकेंगे।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७ में, पंक्ति ११ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"18A: In section 191 of the principal Act, after sub-section (2) the following sub section shall be added, namely :—

(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following".

["१८-क—मूल अधिनियम की धारा १९१ में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

(३) इस अधिनियम के अधीन नियमों के बनने के यथाशीघ्र पश्चात् इन्हें कम से कम ३० दिनों के लिये संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जायेगा तथा उन में उस सत्र अथवा उसके तत्काल बाद वाले सत्र में संसद् की इच्छानुसार संशोधन किये जा सकेंगे।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १८-क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १८—क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २०—(कुछ आज्ञप्तियों और आदेशों का शून्यीकरण)

संशोधन किया गया

पृष्ठ ८, पंक्ति १६ और १७, में

"On the date of the commencement of this Act" ["इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को"]

†मूल अंग्रेजी में

शब्दों के स्थान पर "Immediately before the date on which the section comes into force (इस धारा के लागू होने की तत्काल पहिली तारीख को)" शब्द रख दिये जायें।

[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"खंड २०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २० संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १—(संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ)

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति ४—

'1958' (१९५८) के स्थान पर '1959' (१९५९) शब्द रख दिया जाये।

[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन् सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति १—

(Ninth Year (नवें वर्ष) शब्दों के स्थान पर 'Tenth Year' (दसवें वर्ष) शब्द रख दिये जायें।

[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन् सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन् सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/माघ २२, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १० फरवरी, १९५९

२१ माघ, १८८० (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९—४५

तारांकित

प्रश्न संख्या

१. घड़ियां बनाने के कार्य में भारतीयों को प्रशिक्षण . .	१९—२१
२. केन्द्रीय डिजाइन संगठन तथा निर्माण अभिकरण . . .	२१-२२
३. विद्युदंशिक तांबा . . .	२२—२४
४. कैप्टन किनियर	२४—२६
५. भिलाई इस्पात कारखाना	२६-२७
६. पुर्तगाली सेना द्वारा सीमा का उल्लंघन . .	२७-२८
७. अम्बर चर्खे	२८-२९
८. भोपाल राजधानी परियोजना . . .	२९-३०
९. जाली पार-पत्र	३०—३२
१२. हथकरघा उद्योग के लिये रंग	३२—३३
१३. द्वितीय पंचवर्षीय योजना	३३—३५
१४. गैर-सरकारी उद्योगों में विनियोजन	३५—३७
१५. बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना . . .	३८-३९
१६. दण्डकारण्य योजना . . .	३९-४०
१७. सौरभित रसायन	४०-४१
१८. बीड़ी-मज़दूरों की न्यूनतम मज़ूरी	४२

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

१. मिट्टी के तेल के भाव	४२—४५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४५—८०
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०. चीन में रूसी राजदूत का भारत सम्बन्धी लेख	४५-४६
११. आसनसोल का केन्द्रीय अस्पताल	४६
१९. बम्बई में सीमेंट के नये कारखाने	४६
२० शिक्षित बेरोजगार	४६-४७
२१. पाकिस्तानी विमानों का उतरना	४७
२२. चाय का निर्यात	४७-४८
२३. पंजाब में वक्फ सम्पत्तियां	४८
२४. सोलहवां भारतीय श्रम सम्मेलन	४८
२५. भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां	४९
२६. सैलम में अल्युमिनियम संयंत्र	४९
२७. हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	४९-५०
२८. फिल्मों को राजकीय पुरस्कार	५०
२९. सोवियत रूस से अखबारी कागज की खरीद	५०-५१
३०. भारतीय हस्तशिल्प	५१
३१. बम्बई राज्य में वस्त्र मिलों का बन्द होना	५१-५२
३२. हथकरघा उत्पादों पर छूट	५२
३३. साबुन का निर्माण	५२
३४. यूरोपीय सामान्य विपणन योजना	५३
३५. सोवियत रूस द्वारा काश्मीरी शालों का आयात	५३
३६. केरल बागान हड़ताल की जांच	५४
३७. सिंगरेनी कोयला खानें	५४
३८. नये समाचार अभिकरण का निर्माण	५४-५५
३९. पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास	५५
४०. छोटे पैमाने के उद्योग	५५
४१. भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	५६
४२. भारत का राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	५६
४३. रबड़ तथा चमड़े की पट्टियां	५६
४४. आकाशवाणी गवेषणा विभाग द्वारा रेडियो तैयार किया जाना	५६
४५. नगर हवेली और दादरा का मामला	५७
४६. भारतीय चाय का रूस को निर्यात	५७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४७. जंगपुरा पुल का दोषरहित निर्माण ५७
४८. सिंगरेनी कोयला खानों को पानी का संभरण . . ५८
४९. लक्ष्मीबाई नगर में बाजार. . . ५८
५०. सरकारी विज्ञापन ५८
५१. भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड . . ५८-५९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१. पंजाब में औद्योगिक एकक. ५९
२. प्रविधिक प्रशिक्षण समिति. . . . ५९
३. पाकिस्तान से व्यापार ५९
४. चाय बागान ६०
५. द्वितीय पंच वर्षीय योजना. . . . ६०
६. गन्दी बस्तियां हटाना ६०-६१
७. संचारी रोगों सम्बन्धी चलचित्र ६१
९. भूमि की अधिकतम सीमा ६१-६२
११. राष्ट्र मंडल प्रसारण सम्मेलन ६२
१२. दिल्ली में कुटीर उद्योग ६२-६३
१३. "ज़िरकोन" ६३
१४. पंजाब में रेशम कीट पालन का विकास . . ६३
१५. पंजाब में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग . . ६३-६४
१६. जूट-वस्तुयें ६४-६५
१७. अल्प-आय वर्ग आवास योजना . . . ६५
१८. मूंगफली का तेल ६५
१९. आन्ध्र प्रदेश में "कार्बानाइजेशन प्लान्ट" . . ६५
२०. कारों तथा ट्रकों का निर्माण ६६
२१. ट्रकों और बसों का निर्माण ६६-६७
२२. टेपयो का उत्पादों का निर्यात . . . ६७-६८
२३. दिल्ली में निष्क्राम्य इमारतों की नीलामी . . . ६८
२४. जम्मू और काश्मीर में उद्योग ६८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर— (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५. काम दिलाऊ दफ्तरों को खाली जगहों की सूचना भेजना . . ६६
२६. पश्चिमी बंगाल में बत्तख फार्म ६६
२७. प्रसारण के प्रभाव का अध्ययन . . . ६६-७०
२८. प्लास्टिक का सामान ७०
२९. भारतीय मानक संस्था ७०
३० खाद्य की उपज में वृद्धि की योजनायें ७०
३१. योजना समितियां ७०-७१
३२. औद्योगिक उत्पादन ७१
३३. आयात लाइसेंस ७१-७२
३४. राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना . . . ७३
३५. चर भूमि ७३
३६. हथकरघा गवेषणा संस्था, बम्बई ७३-७४
३७. काम दिलाऊ दफ्तर ७४
३८ विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन . . . ७४-७५
३९. मीरथल (पंजाब) में न्यूज प्रिंट और सल्फाइट सैल्यूलोज की मिलें ७५
४०. कच्ची फिल्मों का आयात ७५
४१. विंक्लियर्स कोयला खान, तालचेर ७५-७६
४२. पंजाब में हथकरघा उद्योग. ७६
४३. कोयला खान श्रमिकों का शिक्षण . . . ७६
४४. चिकित्सा की आयुर्वेदिक तथा आधुनिक प्रणालियां . . ७६-७७
४६. विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिये निवास-स्थान . . ७७
४७. श्रीमती सुभ्रा जोशी की रिहाई ७८
४८. होटल जनपथ ७८-७९
४९. हथकरघा उत्पादों पर अवहार . . ७९
५०. कुथ (कास्टस) तेल . ७९
५१. कुथ (औषधीय जड़ी बूटी) . . ७९-८०
५२. मेघलीबन्द चाय बागान . . ८०

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . . ८१—८२

अध्यक्ष महोदय ने रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में कथित तालाबन्दी से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिस की सूचना सर्वश्री स० म० बनर्जी और श्री तंगामणि द्वारा दी गयी थी, प्रस्तुत करने की, अनुमति नहीं दी।

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . ८२—९५

अध्यक्ष महोदय ने १७ जनवरी, १९५९ के समाचार-पत्रों में प्रकाशित श्री एम० ओ० मथाई द्वारा प्रधान मंत्री को भेजे गये अपने पत्र में लिखी गई कुछ बातों के बारे में श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा उठाये जाने वाले विशेषाधिकार के प्रश्न को नियमानुकूल ठहराया और प्रश्न को उठाने के लिये सदस्य को सभा की अनुमति मांगने की स्वीकृति दे दी।

चूंकि अनुमति दिये जाने पर आपत्ति उठाई गई, इसलिये अध्यक्ष महोदय ने उन सदस्यों से अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहा जो अनुमति देने के पक्ष में थे। क्योंकि २५ से अधिक सदस्य खड़े हुए अतः अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सभा ने अनुमति दे दी है।

इस के बाद श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :—

"कि १० फरवरी, १९५९ को कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सभा का ध्यान प्रधान मंत्री के विशेष सहायक श्री एम० ओ० मथाई द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गये एक पत्र की ओर आकर्षित किये जाने पर, जो प्रधान मंत्री के सचिवालय और भारत सरकार के प्रैस सूचना विभाग द्वारा १७ जनवरी, १९५९ को प्रैस विज्ञप्ति के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिस में श्री एम० ओ० मथाई ने अन्य बातों के साथ यह कहा था;

"किन्तु हमारी संसद् और हमारे समाचार-पत्रों में तथ्यों की जांच पड़ताल किये बिना सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप करने की निरतन्र बढ़ती हुई प्रवृत्ति का बहुत ही हतोत्साहक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार की शोचनीय स्थिति में आत्म-सम्मान रखने वाले बहुत कम व्यक्ति सरकारी नौकरियों अथवा सार्वजनिक जीवन में जाना चाहेंगे।"

यह सभा संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो इस बात की जांच कर के अपना प्रतिवेदन दे कि क्या श्री एम० ओ० मथाई की उक्त बात जो कि प्रधान मंत्री के सचिवालय और भारत सरकार के प्रैस सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है, संसद्-सदस्यों और लोक-सभा के अध्यक्ष के लिये मानहानिकारक है और क्या इस से संसद् का अवमान हुआ है और इस बात की सिफारिश भी करे कि इस मामले में सभा और क्या कदम उठाये।"

विषय **पृष्ठ**

विशेषाधिकार का प्रश्न—(क्रमशः)

श्री ब्रज राज सिंह द्वारा इस प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया गया, जो अस्वीकृत हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ९५–९६

निम्नलिखित पत्र पटल पर रखे गये :—

(१) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४० की एक प्रति।

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दो निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) जी० एस० आर० संख्या १२१४/आर०—अमैंडमेंट २८, दिनांक २० दिसम्बर, १९५८;

(२) जी० एस० आर० संख्या १०८/आर०—अमेंडमेंट २९, दिनांक २४ जनवरी, १९५८।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११ की एक प्रति।

(४) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६ की एक प्रति।

(५) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ९६--९९

श्री राम कृष्ण ने देश में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों की ओर, जिन के फलस्वरूप जनसाधारण को कष्ट हो रहा है, खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया। खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक पारित . . . . १००—३७

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन/उपस्थापित . . १३८

चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/माघ २२, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि--

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५८, और भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार और उन्हें पारित करना।